खण्ड-420, अंक-1
शुक्रवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1919
(1 अगस्त, 1997 ई0)

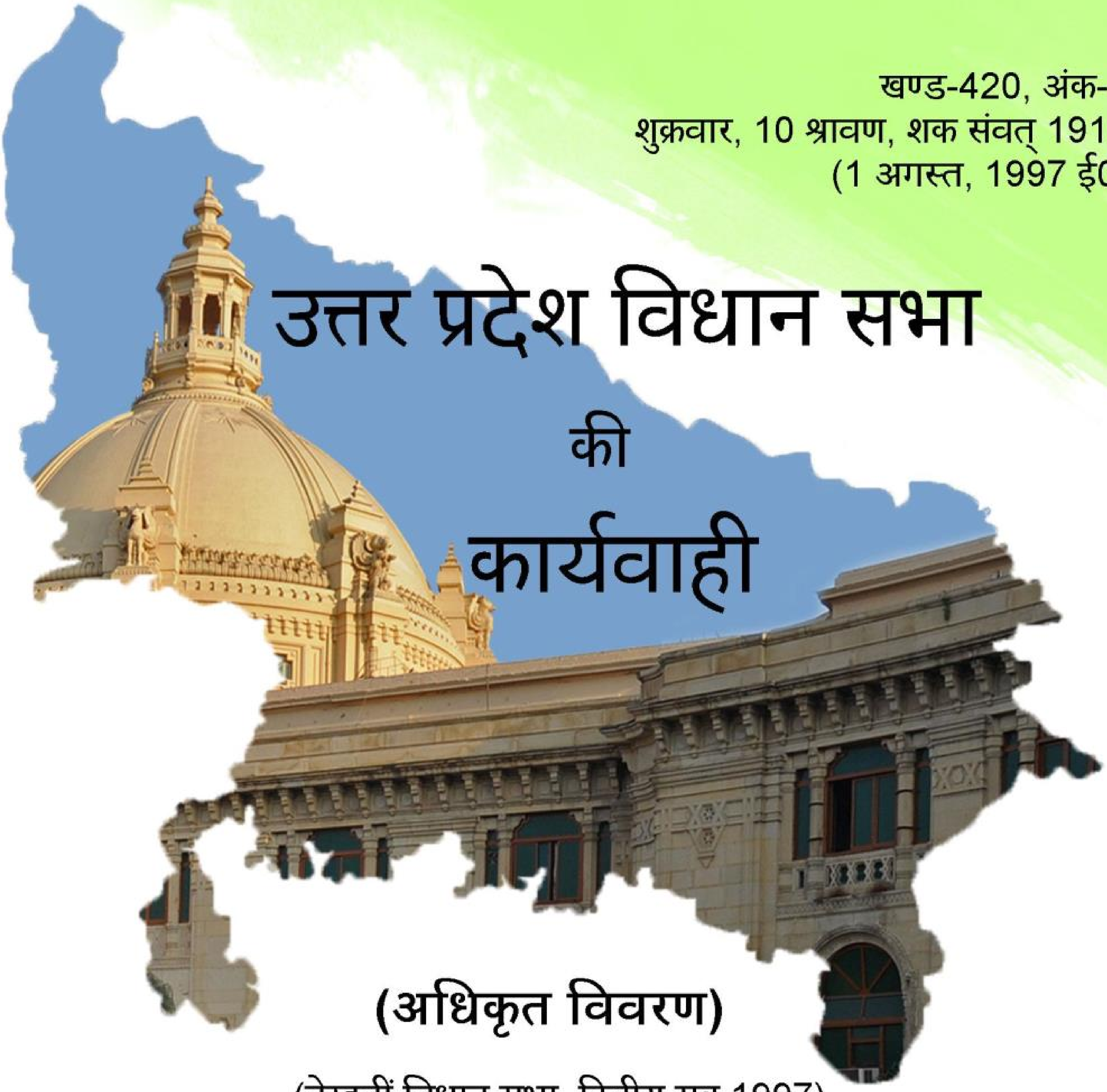

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–36
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	36–38
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	39
जनपद भदोही के औराई क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत कल्याणपुर में सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39–40
कर्ण प्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सैकड़ों गांवों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद महराजगंज की नौतनवां तहसील ग्राम कुनसेरी उर्फ विशुनपुरवा में फर्जी नाम परिवर्तन को निरस्त कर मूल खातेदारों के नाम पुनः दर्ज कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
जनपद शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल की परीक्षाओं में सन्नि परीक्षा हेतु आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	42–43
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	43
विधान सभा मण्डप के प्रत्येक द्वार पर ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों के सिरस्त्राण लगे होने विषयक औचित्य का प्रश्न	43–44
विधान सभा सत्र के दौरान सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा सदन से बाहर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	45–49
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग संबंधी द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न–5 को चौथे बुधवार के तारांकित प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	49–50
जनपद आगरा में अधिकारियों द्वारा सिंचाई विभाग में किये गये घोटाला विषयक प्रथम सत्र 1997 में दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का पूर्ण एवं अंतिम उत्तर दिलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	50

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला योजना का धन शासन द्वारा सीधे अम्बेदकर गांवों को हस्तान्तरित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	51
जनपद फैजाबाद स्थित के० एम० शुगर मिल मसौधा परिक्षेत्र में अल्कोहल फैक्ट्री से प्रदूषण उत्पन्न होने के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा० संसदीय कार्यमंत्री के आश्वासन विषयक औचित्य का प्रश्न ...	52.
ब० स० पा० तथा भा० ज० पा० की सरकार को छः छः महीने चलाये जाने के समझौते से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न	52
अयोध्या तथा फैजाबाद के तीर्थ स्थलों के शान्त और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को विषाक्त बनाये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की मांग	53
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 (पारित हुआ, सदन के पटल पर रखा गया)	53
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	53
उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल के अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	53
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में जानकारी ...	54
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	54–56
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	56
कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं	56–67
दिलीप होटल हुसैनगंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोलीकाण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)	67–70
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों के लिये मतदान, अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या–80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (जारी)	70–71
दिलीप होटल हुसैन गंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोली काण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग (जारी)	71–72
श्री राम विशुन आजाद व श्री धर्मज्ञ मिश्र का सदन से निष्कासन ...	72
दिलीप होटल हुसैन गंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोली काण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग (जारी)	72–75
श्री राम विशुन आजाद एवं श्री धर्मज्ञ मिश्र का सदन से निष्कासन समाप्त किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्णय...	75–76

विषय	पृष्ठ संख्या
दिलीप होटल हुसैनगंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोली काण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग (क्रमागत)	76–78
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों के लिये मतदान अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग–अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान सं–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान सं०–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	79–83
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	83–84
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमार गंज फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	84
जनता इन्टर कालेज वेलहरी थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर के प्रधानाचार्य की हत्या किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	84–85
जनपद फिरोजाबाद के फतेहाबाद आगरा मार्ग पर यमुना नदी पर शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनाये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	85–86
जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद को लेकर किसानों के मध्य हुये खूनी संघर्ष से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	86–88
जनपद मैनपुरी में पूर्ण साक्षरता योजनान्तर्गत फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर लाखों रुपयों का घोटाला किये जाने विषयक नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	88–89
नत्थी	90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
*आलमबदी, श्री	आजमगढ़
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश, श्री	देवरिया
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल जी टन्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
*वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

---

* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 1997'

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने की सुनिश्चित पेराई एवं किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान संबंधी नीति की जानकारी

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में उत्पादित गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने एवं किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उस कार्यान्वित किये जाने के क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

* सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

कृषकों द्वारा चीनी मिलों में अनुबंधित सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सुनिश्चित कराये जाने तथा क्रय किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने की स्पष्ट नीति निर्धारित है । पेराई सत्र 96-97 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा अपने क्षेत्र में पूर्ति योग्य उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई करके पेराई सत्र का समापन किया जा चुका है तथा वर्तमान सत्र के देय गन्ना मूल्य में लगभग 86 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दूं । 31 जुलाई तक 88.5 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है । मई के महीने में 346.82 करोड़ रुपये जून के महीने में 328.88 तथा जुलाई के महीने में 91.11 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ इस तरह से कुल 766.81 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ । आज की तिथि में 62.27 करोड़ रुपये का बकाया है । पिछले सत्र का 300 करोड़ रुपये के कर्जे का भुगतान किया गया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि जो किसान हैं उनके गन्ने की पूरी कीमत का भुगतान हो जाये तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य में जो गन्ना उत्पादन होता है वह कितना है क्या वह उत्पादित गन्ने की पेराई की क्षमता वर्तमान में जो मिल हैं उनके पास है ? यदि नहीं, तो उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि 86 प्रतिशत, 88 प्रतिशत या 89 प्रतिशत भुगतान हुआ । लेकिन किसी भी सत्र में कृषकों को पूरे मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया । तो मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि जो कृषक हैं जब वह गन्ना लेकर मिल पर जाते हैं तो उसका पहले वजन होता है उसके बाद पर्ची दी जाती है तो क्या ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है कि उसका तत्काल भुगतान हो जाये ? अथवा कृषकों को उसी सत्र में गन्ने के मूल्य का भुगतान हो जाये ? इस हेतु कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उसके सुझाव लेने पर यह सरकार विचार करेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जैसा कि हमने कहा और माननीय सदस्यों ने कहा कि किसी भी सत्र में गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान नहीं हो पाता है । मैंने यह कहा था कि इस सत्र का कुल 62 करोड़ रुपये का बकाया है और हमारा यह निरन्तर प्रयास है कि अगला सत्र शुरू होने से पहले यह पूरा भुगतान हो जाय । इसी भुगतान की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी चिन्ता थी । हमने पत्र भी लिखा है और हमारे सचिव महोदय भी दिल्ली में हैं कि उत्तर प्रदेश का कोटा रिलीज कर दें । पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का कोटा, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान दर है उससे ज्यादा रिलीज करा दें । यही हमारा प्रयास है । शत प्रतिशत हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि भुगतान केन्द्र की मिलों को अदा करना है । कुछ अपनी कोआपरेटिव की मिलें हैं, निगम की मिलें हैं और निजी मिलों पर है, तो हम दबाव बनाये हैं । शासन से आग्रह करेंगे कि 53 करोड़ दिया है, और दें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो गन्ना उत्पादित होता है उसकी पूरी पेराई नहीं हो पाती है, इस कारण गन्ना किसानों को बचे हुए गन्ने को अलाभकारी कार्यों में प्रयुक्त करना पड़ता है । वर्तमान में राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित होने वाले गन्ने की पूरी मात्रा क्या है और क्या पूरी मात्रा में पेराई की क्षमता है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सर्वविदित है कि 35–56 प्रतिशत ही पेराई होती है, दस प्रतिशत खाण्डसारी इकाइयां पेरती हैं, 35–36 प्रतिशत गन्ने का गुड़ बनाया जाता है और 17–18 प्रतिशत गन्ना किसान बीज के लिये सुरक्षित रखता है । यह सही है कि प्रदेश की मिलों की क्षमता नहीं है कि शत प्रतिशत गन्ना मिलों में पेरा जा सके, यह क्षमता नहीं है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि 4 करोड़ रुपया बकाया है तो क्या उस बकाये रुपये पर माननीय मंत्री जी किसानों को ब्याज दिलाने की व्यवस्था करेंगे और नहीं तो उन पर जो रिकवरी है या जो उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटीज से उधार ले रखा है, उसको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व में ही दिया जा चुका है । यह प्रयास है कि 15 दिन के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान हो जाये और अगले सत्र में मुझे उम्मीद है कि हम सफल रहेंगे । जहां तक ब्याज का सवाल है शासन की जो परम्परा है उसी के अनुसार नीति लागू की जायेगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने पत्र में सभी सदस्यों को अवगत कराया है कि 86 प्रतिशत मूल्य भुगतान किया जा चुका है और 14 प्रतिशत शेष है, जो 300 करोड़ रुपया आता है । क्या माननीय मंत्री जी शासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि गन्ने मूल्य का भुगतान करा दें और जब चीनी बिकेगी तो शासन के पास वह पैसा आ जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अभी तक तो हम आश्वस्त हैं कि इस सत्र में गन्ने का भुगतान करा देंगे इसलिये शासन से पैसा देने का कोई कारण नहीं है । निगम और सहकारी मिलों को 53 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और भी देने पर विचार कर रहे हैं और जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जायेंगे कि भुगतान नहीं हो पायेगा तो शासन उनको देने पर विचार करेगा । मान्यवर, किसानों का हित सर्वोपरि है ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के उत्तर में बताया कि ब्याज देने का प्रश्न नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने सभी गन्ना अधिकारियों को और उप गन्ना आयुक्तों को पत्र लिखा है कि अगर चीनी मिलें 15 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती हैं तो उनसे ब्याज वसूल किया जाये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह उसी की परम्परा में है कि मिलों पर दबाव बनाया जा सके, यह उसी का एक अंग है।

श्री समरपाल सिंह–

सभी जिला गन्ना उपायुक्तों को पत्र गया है कि सभी चीनी मिलों से ब्याज वसूल किया जाय। और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह खानापूरी है। (व्यवधान) मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि वह पत्र गन्ना आयुक्त ने लिखा है, उसका कड़ाई से पालन करने और ब्याज वसूलने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अभी तो हमारी चिन्ता गन्ना मूल्य के भुगतान की है, उस पत्र में जो नि[illegible] गये हैं आवश्यकता पड़ेगी तो उसको कार्यान्वित भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, प्रश्न प्रहर में आपके द्वारा माननीय सदस्यों को संरक्षण मिलता है। लेकिन न तो आप, न हम मंत्री जी को किसी उत्तर के लिये बाध्य कर सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी के विभाग ने कोई निर्णय लिया या कोई पत्र जी० ओ० और शासनादेश विभाग से गया उसके संबंध में माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी उसका स्पष्ट उत्तर देने के लिये माननीय मंत्री जी बाध्य हैं। जैसा कौकब हमीद और समरपाल साहब ने पूछा था उसी क्रम में आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि यह 9 जुलाई, 97 का उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त श्री एस० आर० लाखा का स्पष्ट पत्र है जो समस्त जिला गन्ना अधिकारी, समस्त उप गन्ना आयुक्तों को गया है। आपकी अधीनस्थ अधिकांश मिलों द्वारा वर्तमान सत्र के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना खरीदने के 14 दिन के अन्दर नहीं किया गया है तथा चीनी मिलों पर अभी भी काफी धनराशि गन्ना मूल्य के मद में अवशेष है। इस राशि का भुगतान चीनी मिलों द्वारा काफी पूर्व कर दिया जाना चाहिए था किन्तु अब तक धनराशि अवशेष रहने से उस पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि भी देय हो गयी है। जब तक सम्पूर्ण गन्ना मूल्य की धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक का विलम्ब अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की देनदारी नियमानुसार मिल की है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आपकी अधीनस्थ गन्ना समितियों द्वारा विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज के बिल मिलों को न प्रेषित किये गये हों तो उसे तुरन्त मिलों को प्रेषित करते हुए चीनी मिलवार/समितिवार के ब्याज की राशि का विवरण 10 दिन में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। 15 प्रतिशत ब्याज की वसूली के लिए जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्तों को लिखा जा चुका है।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करिये। भूमिका बांधने में इतना वक्त लेंगे तो अनुपूरक प्रश्न नहीं हो पायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पत्र के अनुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

इसके अलावा क्या इस पेराई सत्र में जो गन्ना मिलों को दिया गया वह 3456 करोड़ 97 लाख रुपये का था और गत सत्र में 3531 करोड़ 40 लाख दिया गया। क्या इस साल 425 करोड़ रुपया का गन्ना सरकार ने कम खरीदा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जिस आदेश का उन्होंने जिक्र किया उसकी अन्तिम लाइन को पढ़ें। उसमें कहा गया है कि 15 परसेंट का विवरण दे दें कि किसके ऊपर कितना बकाया है ? वह अधिकार शासन के हाथ में है। लेकिन हम अभी, हमारी प्राथमिकता गन्ने की कीमत का भुगतान है। उसके लिये हम दबाव बनाये हैं और फिर शासनादेश के अनुसार जैसी आवश्यकता होगी विचार कर लेंगे। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया पिछले साल के भुगतान के बारे में तो पिछले साल गन्ना ज्यादा पैदा हुआ था पिछले साल जितना हुआ था पेर नहीं पाये थे, इस साल जितना सट्टा हुआ था शत प्रतिशत गन्ना पेरा जा चुका है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गोरखपुर और बस्ती दोनों मण्डलों की कितनी चीनी मिलों का 75 फीसदी से अधिक गन्ना मूल्य बकाया है और उसका भुगतान कराने के लिये क्या कोई निश्चित तारीख बतायेंगे जिस तारीख तक कम से कम 50 प्रतिशत पर ला दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि खलीलाबाद पर 86 प्रतिशत, सरदार नगर पर 86 प्रतिशत, प्रतापपुर पर 14 प्रतिशत, गोपालगंज पर 69 प्रतिशत, रामकोला पर 28 प्रतिशत और सेवरही पर 16 प्रतिशत बकाया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि 50 प्रतिशत पर कब तक ला देंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सरकार गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सरकार गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री सुवाष चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य 50 प्रतिशत की बात कर रहे हैं हमारा प्रयास है कि हम पूरा भुगतान करा दें।

प्रदेश से गुड़ निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

**2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस वर्ष गन्ना किसानों को 30 से 40 रुपये प्रति कुन्तल की दर से गन्ना बेचने पर मजबूर होना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुड़ के आवागमन [illegible] से बाहर निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1996-97 में गुड़ एवं खाण्डसारी इकाइयों से प्राप्त सूचना अनुसार रु० 25/- से 92/- तक प्रति क्विंटल की दर से गन्ना क्रय किया गया है । खाण्डसारी इकाइयों को आपूर्ति होने वाले गन्ने के मूल्य पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है । यह मांग तथा आपूर्ति पर निर्भर करता है ।

गुड़ के प्रदेश के बाहर निर्यात एवं आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों का हर तरह से व्यापक शोषण हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि गन्ना 25 रुपये क्विंटल बिका । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इकाइयां गुड़ बनाती हैं और उसको उत्तर प्रदेश के बाहर ले जाना चाहती हैं तो पुलिस विभाग के लोग अनावश्यक रूप से प्रतिबन्ध की बात कहकर पैसा उगाही करते हैं । क्या कोई ऐसी व्यवस्था आगामी पेराई सत्र से की जायेगी कि पुलिस विभाग गुड़ के निर्यात में अनावश्क हस्तक्षेप न करे ?

* श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, शासन की तरफ से गुड़ के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो शासन समय-समय पर निर्देश देता रहता है और शिकायत मिलने पर जांच भी की जाती है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड़ के आवागमन और निर्यात पर रोक होने के कारण किसानों को अपना गन्ना 20 रुपये क्विंटल पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करायेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

खाण्डसारी इकाइयों द्वारा गन्ना खरीदे जाने पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है । जहां तक शासन को सूचना है 20 रुपये में नहीं खरीदा गया है । कई खाण्डसारी इकाइयां मिल चलने से पहले गन्ना खरीद लेती हैं क्योंकि उस समय प्रतिस्पर्द्धा नहीं होती है । मिलों ने 92 रुपये पर भी खरीदा है ताकि प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे और किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके । मूल्य नियंत्रण नहीं रखा गया है । 1976-77 और 1977-78 में खाण्डसारी इकाइयों द्वारा गन्ना मूल्य का नियंत्रित करने के लिये मूल्य निर्धारण किया गया लेकिन उसका विरोध भी हुआ और माननीय उच्च न्यायालय में खाण्डसारी इकाइयों के लोग गये और उनको स्टे भी मिल गया लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह खारिज हो गया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जिन क्षेत्रों में चीनी मिल नहीं हैं किसान गन्ना पैदा करता है गुड़ बनाता है । उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

शेष बातें कल चर्चा में आ जायेंगी ? आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, प्रतिबन्ध लगा होने के कारण गुड़ दूसरे जनपदों में नहीं जा पाता । मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा आपका आदर सम्मान करते हुए कि यह मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कृपया इसे प्रश्नकाल के बाद सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ चुका है कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है । आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री समर पाल सिंह–

उत्तर प्रदेश के अन्दर 30–40 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों को जाता है शेष खाण्डसारी इकाइयां लेती हैं । इस वर्ष पेराई सत्र में किसानों का गन्ना 20–25 रुपये क्विन्टल की दर से खरीदा गया । क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कानून बनायेंगे कि खाण्डसारी यूनिट के ऊपर विचार हो सके ?

श्री अध्यक्ष–

नीतिगत प्रश्न है, बता दें क्या ऐसा कानून बनायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो गन्ना उत्पादित होता है उसका 35 प्रतिशत चीनी मिल द्वारा पेरा जाता है जो प्रदेश की मिलें हैं उसकी कार्यक्षमता के अनुसार होता है । 10 प्रतिशत खाण्डसारी 35 प्रतिशत गन्ना गुड़ बनाने में जाता है । 17–18 प्रतिशत गन्ना किसान बीज के रूप में सुरक्षित करता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरा जवाब तो आ जाए । आप सब बैठ जाएं यह चर्चा में आ जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जहां तक शासन की नीति का सवाल है यह 92 रु० में गन्ना खरीदा गया । माननीय सदस्य को अधिकार है यह आपके सामने लिखकर दे दें, कि मंत्री जी का कथन गलत है । हम लिखकर दे देंगे कि किस किस खाण्डसारी ने कैसे खरीदा है ।

(व्यवधान)

किसानों को अच्छा लाभ मिल सके, इसलिये मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने तथा बुनकरों के व्यापक कल्याण संबंधी नीति की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने एवं बुनकरों के व्यापक कल्याण हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और कब तक उसे कार्यान्वित किये जाने की योजना है ?

हथकरघा एवं रेशम उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबू लाल कुशवाहा)–

जी नहीं ।

उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत कार्य योजना बन चुकी है । बुनकरों के कल्याणार्थ सामाजिक, आर्थिक एवं विपणन आदि सुविधाएं प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से आवास योजना, थ्रिफ्ट फण्ड योजना, बीमा योजना, विपणन विकास सहायता योजना एवं हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना आदि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परियोजना निरूपण एवं अनुश्रवण सेल का गठन एवं विभिन्न समितियों में बुनकरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए पुनगर्ठन कर प्रभावी बनाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और बुनकरों की कठिनाई को दूर करने के निमित्त यह प्रश्न किया है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं हथकरघा उद्योग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कर रही है । मान्यवर, जनवरी, 1997 में राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में हथकरघा के प्रबन्ध निदेशक प्रमुख सचिव, ऊर्जा, सीलिंग कम्पनियों के सदस्यों की एक बैठक हुई उसमें कुछ निर्णय नहीं किया इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये । मैं दो-तीन प्रश्न करना चाहता हूं मैं वाराणसी जिले का रहने वाला हूं वाराणसी रेशमी साड़ी के लिये प्रसिद्ध है लेकिन वहां एक विडम्बना है जो आयातित रेशम है वह बुनकरों को उपलब्ध नहीं है । उसकी जो गांठें आती हैं उसको कस्टम के अधिकारी और पुलिस की मिली भगत से उसको गलत बताकर उनको महीनों रोक लिया जाता है तथा कस्टम और पुलिस वालों की सांठगांठ से जो बाहर से तस्करी का रेशम आता है उसको ऊंचे भाव पर बुनकरों को खरीदना पड़ता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये जो रेशम बोर्ड है उससे अनुरोध किया जायगा कि आयातित रेशम बुनकरों को उपलब्ध कराया जायेगा । उस आयातित रेशम को उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह 2 अक्टूबर, 1989 तक के जिन बुनकरों ने 10 हजार तक का ऋण लिया है उसकी रिकवरी नहीं होगी, उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी, उसको माफ कर दिया जायेगा आपने देखा होगा कि अभी तक लोग यहां कैम्प लगाकर मांग कर रहे हैं उनकी आर० सी० निकल रही है इस पर कार्यवाही की जा रही है । एक निर्णय यह लिया गया था कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र को आधार मानकर बुनकरों को बिजली फ्लेट रेट के आधार पर दी जायेगी। इस पर क्या निर्णय हुआ है ?

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

मान्यवर, नियोजन विभाग से 1997-98 में इस विभाग के लिये 5 करोड़ 89 लाख रुपये आवंटित हुए । उपलब्ध संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग नई योजना बनाने में असमर्थ हैं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम देव राय चौधरी ने तीन अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं । माननीय सदस्य अपने प्रश्न फिर से दोहरा दें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वाराणसी के बुनकरों को आयातित मूल्य पर रेशम उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरा 2 अक्टूबर, 1989 तक के जो कर्जे हैं जिनको 10 हजार रुपये तक कर्ज दिया गया था उनके कर्ज को माफ किया जायेगा ? तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी इसके बारे में बताएं तथा तमिलनाडु और महाराष्ट्र का आधार मानकर उसको फ्लेट रेट पर बिजली देने का निर्णय लिया गया था इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

सभी बुनकरों का ऋण माफ नहीं हुआ है जो असली पात्र बुनकर थे जिनको 2-10-86 या उसके पूर्व ऋण दिया गया था तथा 2-10-89 तारीख को ऋण बाकी था उसमें केवल 10 हजार रुपये माफ किया गया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी मौखिक उत्तर दें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो तीन सवाल उठाए हैं। एक आयातित रेशम के बारे में है आयातित रेशम बुनकरों को उपलब्ध हो, उसको कस्टम वाले रोक रहे हैं तथा फर्जी लोगों को पुलिस और कस्टम वाले बिकवा देते हैं। तो मान्यवर, यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि जो भी आयातित रेशम नियमानुसार आता है उसके वितरण में किसी भी प्रकार से अनियमितता न हो अगर इस तरह की कोई अधिकृत सूचना दे देंगे कि इस तरह बुनकर का उत्पीड़न किया गया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जो गलत तरीके से रेशम बिक रहा है उसको रोकने के लिये यह प्रयास किया जायेगा कि वह न बिकने पाये। दूसरे ऋण के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया था और उसके तहत ग्रामीण एवं कृषि ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण माफ किया गया था। कुल सहकारी क्षेत्र में 1807 बुनकर, सहकारी समितियों के 32,701 तथा 3865 बुनकरों को लाभ दिये जा चुके हैं। जहां तक बिजली के बारे में माननीय सदस्य ने तमिलनाडु का जिक्र किया तो मान्यवर, यहां की परिस्थिति और तमिलनाडु की परिस्थिति में काफी अन्तर है इसलिये इसको कर पाना सम्भव नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि जैसे कृषकों को फ्लैट रेट पर विद्युत दी जाती है क्या सरकार उसी प्रकार बुनकरों को देने पर विचार करेगी ?

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

मान्यवर, इसके लिये विद्युत विभाग को लिख दिया गया है तथा यह विद्युत विभाग से सम्बन्धित है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी को कहिये कि तैयारी करके आया करें। इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें।

(माननीय मंत्री जी के जवाब से असन्तुष्ट होने के कारण कई सदस्यों द्वारा इस प्रश्न को स्थगित करने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत विभाग को लिख दिया गया है, मैं तो समझ रहा हूं कि फ्लैट रेट पर देने के लिए लिखा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसको स्थगित न करें मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस पर आपका निर्णय हो चुका है और इसे आपने स्थगित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठ जायं। इस प्रश्न को मैंने स्थगित कर दिया है। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

कतिपय राजमार्गों से बसों की सेवा बन्द कर दिये जाने से जनता को हो रही परेशानी की शिकायत

*2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय मार्गों से राजकीय परिवहन निगम की बसें हटा दी गयी हैं ? क्या यह सही है कि इससे जनता को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के कितने रूटों पर परिवहन निगम की बसें बन्द कर दी गयी हैं ? क्या सरकार जनहित में अविलम्ब उन बन्द रूटों पर बस चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अपनी सेवायें संचालित कर रहा है। समय-समय पर सेवाओं के प्रतिफलों के आंकलन के उपरान्त समय सारिणी, मार्ग, मार्गांश में परिवर्तन कर सेवाओं को लाभप्रद बनाने की दृष्टिकोण से रीशिड्यूलिंग की कार्यवाही की जाती है। यातायात असुविधा नहीं है।

वर्तमान में 219 अलाभकारी अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की सेवायें समाप्त कर दी गयी। अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की सेवायें संचालित करने की नीति नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों यात्रियों के आवागमन में हो रही असुविधा से सम्बन्धित सवाल है। मैंने स्पष्ट रूप से यह जानना चाहा है कि माननीय मंत्री जी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय मार्गों से परिवहन निगम की बसें हटा दी गयी हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है ? इसके बारे में मूल उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने जनपदों के अन्दर कितनी बसें हटा दी गयी हैं ? दूसरा 219 अलाभकारी अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें समाप्त की गई हैं, इसका मतलब यह है कि परिवहन निगम अभी तक अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी बसें चला रहा था। मेरे क्षेत्र में भी 25–30 चल रही बसों में से 7 बसों को बन्द कर दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत बस मार्गों के चयन का फार्मूला क्या है ? दूसरे जो बसें बंद कर दी गयी हैं, जैसा मैंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया, उसके संबंध में क्या सोच रहे हैं और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते माननीय मंत्री जी की जवाबदेही है कि पूरे प्रदेश में आवागमन की सुविधा मुहैया करायें, लेकिन जहां नहीं करा पा रहे हैं, उसके बारे में क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 219 ऐसे मार्ग हैं, जहां परिवहन निगम ने अपनी गाड़ियां चलाना बंद किया है । वर्ष 1994-95 में करनैल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व प्रबन्ध निदेशक आदि थे, उसी में इन 219 मार्गों को अलाभकारी घोषित किया गया था, लेकिन मान्यवर, इन मार्गों पर रीजनल ट्रांसपोर्ट एथारिटी के माध्यम से प्राइवेट आपरेटरों को परमिट दिये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत मार्गों का मापदण्ड क्या है, यह बता दें ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जिन मार्गों पर रोडवेज की गाड़ियां चलती थीं, उन सभी को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया गया था ।

श्री अध्यक्ष–

यह उत्तर नहीं आया । माननीय सदस्य फिर से प्रश्न को सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत कर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न जो किया था, उसका उत्तर अभी तक नहीं आया, उसका उत्तर दे दिया जाय और जो 219 अलाभकारी अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बस सेवायें बंद कर दी गयी हैं, उसके संबंध में जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत मार्गों का मानक क्या है ?

तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारी सरकार की जवाबदेही है कि ऐसी जगहों पर जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, वहां के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं, चौथी बात जो मेरे क्षेत्र में बसें बंद कर दी गयी हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ?

श्री राम वीर उपाध्याय–

मान्यवर, एक-एक प्रश्न माननीय सदस्य पूछें, मैं सबका उत्तर दूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस जिज्ञासा में 4 प्रश्न एक साथ पूछे थे कि पता नहीं आप दुबारा अनुमति दें या न दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप एक-एक प्रश्न पूछिये, मैं अनुमति दे दूंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो लिखित प्रश्न है उसका उत्तर दिया जाना चाहिए । जो मूल प्रश्न पहले से किया हुआ है इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए यह तो विधान सभा की परिसम्पत्ति बन चुका है ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत मार्ग के चयन का मानक क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जिन मार्गों पर परिवहन निगम की गाड़ियां चलती थीं और लाभ दे रही थीं उनको राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिया गया और जिन मार्गों पर अलाभकारी रूट था उनको अराष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया था ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आप के द्वारा दिये गये उत्तर के अंश पर ले जाते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाभकारी, अलाभकारी के बारे में जितनी बार भी प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि अलाभकारी का मूल कारण रख रखाव, उसकी देखभाल और भ्रष्टाचार जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसके साथ जिन मार्गों पर जनता को जाने और ले आने की जिम्मेदारी है उसको दूसरों के जिम्मे डाल कर अलाभकारी घोषित कर देना बिना किसी निश्चित प्राविधान के यह उचित नहीं है । मान्यवर, जहां सर्वाधिक आवश्यकता है उन रूटों से गाड़ी को हटा लिया गया है और अलाभकारी का बहाना बनाया, उसको चलाते, आप का मूल दायित्व है लोक कल्याणकारी मंत्री होने के नाते । मान्यवर, प्राइवेट बस वालों से और परिवहन के दूसरे साधनों से अनुचित कारणों से दबाव में यह जो अनुचित फैसला लेने का काम किया गया है उसको वापस लेंगे और पुनः स्पष्ट परिभाषित तरीके से इसको तय करने का काम करेंगे ।

(श्री बी० आर० वर्मा द्वारा उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है लेकिन जब तक विभाग के मंत्री असमर्थ न हो जायं तब तक यह नहीं होना चाहिए । विभाग के मंत्री को तैयारी के साथ आना चाहिए। यह सारे मर्जों की एक दवाई क्यों हो रही है ? परिवहन मंत्री इसका उत्तर दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है और सभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है, यह सरकार की भी चिन्ता है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबको परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाय कहीं यातायात में दिक्कत न हो यह सरकार की चिन्ता है और इसके लिये यह सरकार कृत संकल्पित है । परन्तु मान्यवर, जो परिवहन निगम की जो घाटे की स्थिति है उसको ध्यान में रखना होता है । फिर भी हमारी यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा हो इसके लिये यह सरकार कृत संकल्पित है और कोशिश कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेज रहा हूं ।

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

[शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में आपूर्ति होने वाली सामग्री के संबंध में शिकायत

*1–श्री लल्लू सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० कर्मचारी कल्याण निगम के अन्तर्गत डिपो पर जो वस्तुएं आपूर्ति होती हैं क्या उनका रेट बाजार रेट से ज्यादा होता है ? यदि हां, तो क्या मार्केट में कम्पनियों द्वारा जो सप्लाई की जाती है उसका सर्वे कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि डिपो में आने वाले समस्त सामानों के लिये सीधे कम्पनी से पत्र व्यवहार न करके मध्यस्थ से खरीदने का क्या औचित्य है ? क्या यह सत्य है कि उससे निगम को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाई जा रही है ? यदि हां, तो इसको रोकने के क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिजवी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पत्र व्यवहार सीधे कम्पनी से ही किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री लल्लू सिंह–

मान्यवर, जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल गलत है पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर में कहा था कि 1996-97 में 22 हजार से अधिक पंखे खरीदे गये, पंखों की कीमत ज्यादा थी, उसमें दो परसेंट मूल्य कम किया गया और उत्तर में कह रहे हैं कि बाजार रेट से ज्यादा नहीं होता । तो इसको स्पष्ट करें ?

* श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

मान्यवर, जो प्रश्न है क्या बाजार से ज्यादा दाम लिये जाते हैं उसका स्पष्ट उत्तर मैंने दिया है कि जी नहीं ।

श्री लल्लू सिंह–

मान्यवर, जो दूसरा भाग है प्रश्न का उसमें ये पूछा था कि डिपो में आने वाले समस्त सामानों के लिये सीधे कम्पनी से पत्र व्यवहार न कर मध्यस्थ से खरीदने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, इनका एग्रीमेंट हुआ कम्पनियों से । जो वी० आई० पी० की एजेन्सी जो कानपुर की है उसके लायजनर जो हैं उनका नाम बताने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी मुख्य प्रश्न यह है कि मध्यस्थ से खरीदा जाता है कि नहीं ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

मान्यवर, कम्पनी को डायरेक्ट पत्र लिखकर उनसे माल मंगाया जाता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कम्पनी को डायरेक्ट पत्र लिखा जाता है यह कहा जा रहा है, माल जो है मध्यस्थ से खरीदा गया जैसा कि अभी माननीय लल्लू सिंह ने कहा । मध्यस्थ से खरीदने के कारण रेट ज्यादा होते हैं । तो जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या रेट थे और जो माल आया वह क्या रेट थे ?

श्री ऐजाज रिजवी–

माननीय सदस्य अगर किसी चीज के लिये जानना चाहेंगे तो उसके बारे में बता दें हम जवाब दे देंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

कम्पनी से पत्राचार किया और उसके बाद बीच में मध्यस्थ जो डाल दिया । कम्पनी पहले ज्यादा रेट बताती है फिर मध्यस्थ के कारण वह कम कर दिये जाते हैं और इस बीच लेन-देन की प्रक्रिया हो जाती होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रश्न की अन्तिम पंक्ति की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें पूछा गया है ''क्या यह सत्य है कि उससे निगम को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाई जा रही है ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है ''जी नहीं'' । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निगम लाभ में है या हानि में है, यदि लाभ में है तो कितने करोड़ रुपये के लाभ में है यदि हानि में है तो कितने करोड़ रुपये की हानि में है ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

मान्यवर, 1996-97 में निगम को 54 लाख 67 हजार रुपये का लाभ हुआ और 1997-98 में 55 लाख 99 हजार रुपये के लाभ में है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को प्रभावी ढंग से लागू न किये जाने की शिकायत

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को निलम्बित करने हेतु सरकार एवं व्यापारियों के बीच में 5 मई, 97 को कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या अभी भी धारा 3/7 प्रदेश में पूर्ववत् लागू है जिससे व्यापारियों का अकारण उत्पीड़न हो रहा है ? सरकार उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/6 को कब तक समाप्त कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जी नहीं ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 पूर्ववत् प्रदेश में लागू है । व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो इसके लिये शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं जिसका तत्परता से अनुपालन कराया जा रहा है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है । अतः राज्य सरकार द्वारा धारा 3/6 नहीं अपितु धारा 3/7 को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप एक नई परम्परा देख लें । वर्तमान सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों में किसी नियम के संदर्भ में यह शासन निर्णय ले चुका है और नये सिरे से उत्तर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि यह केन्द्रीय अधिनियम है । आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने क्या धारा 3/7 को इस प्रदेश से निलम्बित कर दिया था ? क्योंकि इस धारा से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता था । 5 मई या इसके आसपास की दूसरी तारीख हो सकती है व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें उनके सांसद/विधायक भी थे इस सरकार से धारा 3/7 को निलम्बित करने के संबंध में मिला था । उस समय सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया था, परन्तु इस समय इस सदन में क्या कारण है कि इसको केन्द्रीय अधिनियम यह कहकर इसको समाप्त करने पर विचार नहीं कर सकती ? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिये धारा 3/7 को निलम्बित करने पर विचार करेंगे ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस धारा को न निरस्त किया था और न ही निलम्बित किया था, केवल 3/7 के अन्तर्गत एफ० आई० आर० को समाप्त करने की घोषणा की थी। दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा था कि इसे निलम्बित करने पर विचार कर रहे हैं ? वर्तमान में इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है क्योंकि यह अधिनियम भारत सरकार की परिधि में आता है और यह 31 अगस्त तक प्रभावी है। उसके बाद भारत सरकार पुनः विचार करेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 पूर्ववत् लागू है और प्रश्न में स्वीकार किया है कि धारा 3/7 में एफ० आई० आर० न लिखने की कार्यवाही के लिये सरकार ने आदेश दिया था। तो क्या इस सरकार ने फिर से एफ० आई० आर० की कार्यवाही के अधिकार या 3/7 में उत्पीड़न की कार्यवाही के आदेश यथावत् लागू कर दिये हैं ? इस संबंध में व्यापारियों को शोषण से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

मान्यवर, 15-12-93 को एफ० आई० आर० के संबंध में आदेश दिया था लेकिन उसके बाद निरस्त कर दिया गया था। फिर अभी 10 दिसम्बर, 1996 को सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी प्रकार से न हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाय और खासतौर से उन्हें निर्देशित किया गया था कि जब कभी कोई बात संज्ञान में आये तो जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी (आपूर्ति) इसे देख लेंगे और उसके बाद एफ० आई०आर० लिखाई जायेंगी अन्यथा नहीं।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धारा 3/7 की कार्यवाही पहले निलम्बित करने का आधार क्या था और इस धारा में जो केसेस दर्ज हुए थे उसमें कितने लोगों को सजा दी गयी है ?

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आज धारा 3/7 को दोबारा लागू किया गया तो कितने लोगों को आरोपित पाया है ? व्यापारियों, विधायकों और सांसदों ने जो मांग किया है कि धारा 3/7 को पुनः स्थगित किया जाना चाहिए, तो इस पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री ऐजाज रिजवी–

मान्यवर, मैंने माननीय सदन को अवगत कराया है कि 10 दिसम्बर, 1996 को इस तरह के आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिये गये थे कि व्यापारियों का किसी प्रकार से उत्पीड़न न हो, इसलिए उन्हें आदेश दिये गये थे कि इस संबंध में किसी अपराध को संज्ञान में लाने के पूर्व उसका परीक्षण कर लें।

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दि० 25-7-97 को ता० प्र० सं० 5 द्वारा उत्तरित]

यू० पी० हैण्डलूम व यूपिका हैण्डलूम, कानपुर द्वारा जनता धोती का उत्पादन बन्द होने से बुनकरों का कारोबार बन्द हो जाने की शिकायत

*4–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों के विकास के लिये यू० पी० हैण्डलूम व यूपिका हैण्डलूम कानपुर द्वारा जनता धोती बन्द करके नान जनता वस्त्र तैयार करवाने से समस्त बुनकरों का कारोबार बन्द हो गया है ? क्या सरकार चेक टाइप के अतिरिक्त प्लेन टाइप का

कपड़ा तैयार कराने का निर्देश दोनों संस्थानों को जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

प्रदेश में जनता धोती का उत्पादन बन्द नहीं किया गया है । यह योजना भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित कराई जा रही है । भारत सरकार की नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना से टेपरिंग प्रारम्भ कर लक्ष्य कम होता रहा । भारत सरकार द्वारा जनता वस्त्र उत्पादन हेतु वर्ष 1997-98 में 20.00 लाख वर्ग मीटर कपड़ा तैयार कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

जी नहीं । जनता वस्त्र का उत्पादन भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि प्लेन अथवा ग्रे कपड़े का उत्पादन भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्व से हो रहा है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों के हित के लिये जनता धोती उत्पादन की योजना चलायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

कौन सी योजना ?

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

जनता धोती उत्पादन योजना ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसका जवाब मूल प्रश्न में ही दे दिया है । मैंने उसमें यह कहा है कि जनता धोती का उत्पादन प्रदेश में बन्द नहीं किया गया है । इसका स्पष्ट मतलब है कि उत्पादन हो रहा है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी ने हैण्डलूम और यूपिका की निरन्तर गिरती हुई स्थिति से उत्पन्न प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की ओर ध्यान दिलाया है । जनता धोती का उत्पादन जनता सरकार ने कराया था । उसका अर्थ यह था कि सस्ते वस्त्र का निर्माण हो और बुनकरों का हित हो । तो क्या बुनकरों के हित के लिये कोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जनता वस्त्र उत्पादन योजना यह भारत सरकार की लक्ष्य योजना है । भारत सरकार समय-समय पर जो लक्ष्य निर्धारित करती है उसी लक्ष्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हथकरघा वस्त्र निगम और यूपिका दोनों को आवंटन करते हैं । कौन कितना करेगा यह लक्ष्य भारत सरकार निर्धारित करती है और हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था उसका उत्तर यह आया कि प्रदेश में जनता धोती का उत्पादन बन्द नहीं हुआ है । आज प्रदेश के बुनकरों द्वारा उत्पादित जो जनता धोती है वह भण्डारण में पड़ी है और उसका 6, 6 महीने का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे बुनकर लोग भुखमरी के कगार पर आ खड़े हुए हैं । तो यह हैण्डलूम और यूपिका के लोगों का भुगतान का कितना बकाया है उसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जनता धोती और मोटा कपड़ा उत्पादित करने में सूत मिलता है उसका 30 या 40 प्रतिशत सूत या मोटा कपड़ा बनाने के लिये निर्देशित है उससे उत्पादन हो रहा है या नहीं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 1993 में नयी कपड़ा नीति की घोषणा भारत सरकार ने की थी जिसमें प्लेन या ग्रे कपड़े के 10 प्रतिशत तक का प्राविधान था । उसे पहले 50 प्रतिशत तक होता था । जो नीति बनी है हम उसी का पालन करते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1997-98 का क्या लक्ष्य भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के हैण्डलूम या यूपिका को दिया है ? क्या जैसे भारत सरकार बुनकरों को छूट देती है उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी देगी या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो लक्ष्य है, मूल उत्तर में है । 1997 में 20 लाख वर्ग मीटर कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य है और जो छूट दी है वह 3.4 प्रतिशत वर्ग मीटर के हिसाब से दी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सरकार बुनकर विरोधी है इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

*5–श्री राम औतार शाक्य–

[चौथे बुध में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6–श्री राजेन्द्र सिंह–

[7वें मंगल में ता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अपात्र जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्तियां एवं भ्रामक पदनामों की पट्टिकायें लगाने की शिकायत

*7–श्री सरदार सिंह तथा श्री राम कृपाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अपात्र जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्तियां एवं भ्रामक पदनामों से नाम पट्टिकायें लगाई जा रही हैं ? यदि हां,तो सरकार इसको रोकने के लिये कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

इन अनधिकृत बत्तियों के प्रयोग को रोकने के संबंध में शासन एवं परिवहन आयुक्त स्तर से संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वे जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से सहयोग लेकर इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में अपात्र लोग बहुत बड़ी संख्या में लाल बत्ती अपनी गाड़ियों में लगाते हैं और वह पुलिस की आंख में धूल झोंक निकल जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके काल में ऐसे कितने केस रजिस्टर्ड हुये हैं जहां पर अपात्र वयक्ति लाल बत्ती लगाये हुए और वाहन पकड़े गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

केस रजिस्ट्रेशन का मामला तो इस मूल प्रश्न से नहीं निकलता है। इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सरदार सिंह–

उनके इस प्रकार के व्यवहार पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से किस तरह से सहयोग लेंगे, क्या उनको रोक कर थाने में ले जायेंगे, उसका तरीका क्या होगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, इस संबंध में समय-समय पर शासनादेश जारी होते रहे हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सहायता से गाड़ियों को बन्द करते हैं। उनके संज्ञान में अगर यह आता है कि फलां व्यक्ति अनधिकृत रूप से लाल बत्ती का प्रयोग अपनी गाड़ी में कर रहा है, तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जायेगा।

श्री दल बहादुर कोरी–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने का अधिकार है और किन-किन को नहीं है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, श्री राज्यपाल, मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, मुख्य सचिव, अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग, जिला जज एवं उनके समकक्ष अधिकारी, अपनी गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने के अधिकारी हैं।

श्री दल बहादुर कोरी–

जिला पंचायत के सदस्यों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधान सभा परिसर में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनमें मुख्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी की गाड़ी में लाल बत्ती लगी रहती है, तो ऐसे कितने अधिकारी

हैं जो लाल बत्ती लगाकर इस परिसर में आते हैं, लाल बत्ती का वह अनधिकृत रूप से प्रयोग करते हैं, क्या इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी देंगे ? इसी परिसर में बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें लाल बत्तियां लगी हैं जो इसके अधिकारी नहीं हैं । तो ऐसे अपात्र व्यक्तियों की लाल बत्ती उतरवाने की कृपा करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा अभी बताया गया जो लोग लाल बत्ती के अनुमन्य हैं उसमें मुख्य मंत्री का भी नाम है और मुख्य मंत्री की एक फ्लीट होती है उसमें किस तरह के लोग जाते हैं ? और उस फ्लीट में लाल बत्ती लगी रहती है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि मुख्य मंत्री के साथ जो फ्लीट की गाड़ियां रहती हैं उनमें लाल बत्ती लगी रहती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो श्रेणी बताई है उसमें जो उल्लेख किया गया है कि इन-इन गाड़ियों पर लाल बत्ती लगेगी, दूसरी गाड़ियों पर नीली बत्ती लगेगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस विधान भवन परिसर के आस-पास बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ऐसी बत्तियां लगी हैं जिनके लिये वह अधिकृत नहीं है । और लाल बत्ती लगाकर सरकार की कृपा से चल रहे हैं जिनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है वह इन गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं । तो उनकी यह लाल बत्ती उतरवाने का काम सरकार करेगी और इस पर गम्भीर निर्देश देगी कि जो इसके लिये अधिकृत नहीं हैं वह अपनी लाल बत्ती हटा लें । इसके लिये कोई समय सीमा एक हफ्ता 8 दिन या कोई भी समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसको सुनिश्चित कराने के लिये 12 फरवरी, 97 को 2 सख्त आदेश जारी किये हैं । जिसमें समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो अनुमन्य नहीं है लाल बत्ती और पट्टी लगाकर चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए । तो इस तरह के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री शिवाकान्त–

क्या जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला स्तर के प्रतिनिधि जो हैं उनको लाल बत्ती लगाने की छूट है, अगर छूट नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

[illegible] चलाकर इसे बन्द कराने की कोशिश की गई है । अगर इस तरह के मामले प्रकाश में [illegible] अवश्य कार्यवाही की जाएगी । बिना प्रकाश में लाये भी सरकार की जिम्मेदारी है और इस [illegible] भरपूर प्रयोग करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रदेश में द्वितीय श्रेणी तक हिल्स कैडर लागू करने की मांग

*8–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए द्वितीय श्रेणी तक हिल कैडर कड़ाई से लागू करने का आदेश देगी ? अभी तक कितने विभागों में हिल कैडर लागू कर रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की गई है ? क्या छूटे हुये विभाग इस पर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तराखण्ड विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

पर्वतीय उप संवर्ग कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में हाल में ही आदेश जारी किये गये हैं ।

कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना सं० 13/8/92 का–1–1992 दिनांक 25 नवम्बर, 1992 द्वारा 31 विभागों में समूह "ख", "ग" व "घ" पदों पर पर्वतीय उप संवर्ग लागू किये जाने की विज्ञप्ति जारी की गई थी । कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं०–13/8/92 का–1/1995 दि० 1 दिसम्बर, 1995 द्वारा समूह "क" को भी सम्मिलित किया गया तथा सचिवालय प्रशासन विभाग पर भी पर्वतीय उप संवर्ग लागू किया गया । सचिवालय प्रशासन विभाग को छोड़कर शेष विभागों में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" श्रेणी के पदों पर पर्वतीय उप संवर्ग का गठन कर दिया गया है । कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं०–13/8/92–क–1/97 दिनांक 2 जुलाई, 1997 द्वारा सभी विभागों पर पर्वतीय उप संवर्ग लागू कर दिया गया है । रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के आदेश समय-समय पर जारी किये गये हैं । विभागों को उत्तरांचल के लिये पृथक अधियाचन भेजने के निर्देश दिये गये हैं । व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिये उत्तरांचल हेतु पृथक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन का विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री भारत सिंह रावत–

[8वें मंगल में ता० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती द्वारा वर्ष 1996-97 में अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर पिछड़ी जाति की नियुक्ति किये जाने की शिकायत

*10–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा अनुसूचित जाति के लिये वर्ष 1996-97 में कितने पद सृजित करके कितने अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की गई है ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के स्थान पर पिछड़ी जाति के लोगों की नियुक्ति की गई है, जिसकी शिकायत प्रमुख सचिव को प्रश्नकर्ता ने की थी ? यदि हां,तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जिलापूर्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा अनुसूचित जाति के लिये वर्ष 1996-97 में कोई पद सृजित नहीं किया गया । जिलाधिकारी ने एक रिक्त स्थान पर अनुसूचित जाति के व्यकित की नियुक्ति 4-12-96 को की थी ।

जी नहीं । इस बिन्दु पर मा० प्रश्नकर्ता सदस्य का शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ।

मा० सदस्य द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोप की जांच करायी गयी । जांच से अनियमित नियुक्ति का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अन्य विभागों की तरह निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का भी विभाग उत्तराखण्ड में खोलने की मांग

*11–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तराखण्ड के सभी विभागों का मुख्यालय पहाड़ी अंचलों में ही अवस्थित किया गया है ? यदि हां, तो क्या निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड का भी मुख्यालय पहाड़ी मण्डलीय स्तर पर स्थापित कर दिया गया है ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मुख्यालय जनपद देहरादून में स्थापित है ।

उ० प्र० के जायसवाल (कलवार) जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग

*12–डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री विनोद मणि–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के जायसवाल (कलवार) जाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्बद्ध करने के लिये उ० प्र० प्रबुद्धजीवी जायसवाल समिति के अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका सं० 37275 वर्ष 1996 में दाखिल की थी जिस पर मा० उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 22-11-96 को पिछड़ी जाति में जायसवाल (कलवार) को सूचीबद्ध करने एवं प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जायसवाल (कलवार) जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शिव चरण प्रजापति)–

जी हां ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 22-11-96 में उ० प्र० बुद्धजीवी जायसवाल समिति के प्रत्यावेदन पर शीघ्रता से विचार करके निस्तारण हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्देशित किया है न कि सूचीबद्ध करने व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद महराजगंज में मृतक की पत्नी को प्रतिपूर्ति दिये जाने का मामला

1–श्री शिवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के वर्ष 1991 के द्वितीय सत्र के 2सरे सोम के अता० प्र० सं० 67 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दावा किस न्यायालय में है और उसका वाद संख्या और पेश करने की तिथि क्या है ? क्या मृतक को आज तक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक की पत्नी रुमालिया का आवेदन तहसील से भेजा गया ? यदि हां, तो किस क्रमांक और दिनांक को ? यदि नहीं, तो की जा रही लापरवाही के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? सहायता कब तक प्राप्त करा दी जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जलपान गृहों में कार्यरत कर्मचारियों को नगदीकरण की सुविधा से वंचित रखने की शिकायत

2–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अन्तर्गत सचिवालय परिसर एवं एनेक्सी में स्थित जलपान गृहों के अधिकांश कर्मचारियों को वर्ष 1996 से नगदीकरण नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उन्हीं में से कुछ कर्मचारियों को सन् 97 का भी नगदीकरण दे दिया गया है ? यदि हां, तो शेष कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित करने का क्या कारण है ? उनको नगदीकरण की सुविधा कब तक दे दी जायेगी ? इस अनियमितता के लिये सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जी नहीं । अधिकांश कर्मचारियों को नगदीकरण की सुविधा दी जा चुकी है ।

जी हां ।

जलपान गृहों में हुई हानि के कारण शेष कर्मचारियों को संसाधन उपलब्ध होने पर नगदीकरण दिया जाना सम्भव होगा ।

जलपानगृहों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर ही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उप संभागीय विपणन अधिकारी, लखीमपुर द्वारा पलिया कला में पकड़े गये खाद्यान्न का अवैध व्यापार

3–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उप संभागीय विपणन अधिकारी, लखीमपुर ने दिनांक 6-2-97 को लखीमपुर जनपद के पलियाकला में अवैध रूप से खाद्यान्न का व्यापार कर रहे व्यापारी से 51 कुन्तल चावल तथा 11 कुन्तल धान पुलिस बल के साथ छापा मारकर बरामद किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जी हां । दिनांक 6 फरवरी, 1997 को मारे गये प्रश्नगत छापे में 51 कुन्तल 9 कि० ग्रा० चावल 10 कुन्तल 50 कि० ग्रा० धान तथा 01 कुन्तल 10 कि० ग्रा० चावल पालिस बरामद हुई ।

जी नहीं ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि बरामद खाद्यान्न सामग्री का निस्तारण उक्त अधिनियम की धारा 6–ए के अधीन किया गया । बरामद सामग्री की नीलामी दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को कराई गयी । नीलामी में प्राप्त धनराशि रु० 33,733.00 सरकारी खजाने में जमा करायी गयी । आर० एम० आई० ऐक्ट, 1958 के अधीन कार्यवाही भी की गयी ।

इण्टर कालेज ढामकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के इन्टर की कक्षाओं में विज्ञान विषय की मान्यता दिये जाने की मांग

4–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्टर कालेज ढामकेश्वर पौड़ी गढ़वाल को इण्टर की कक्षाओं में विज्ञान की मान्यता शासन में लम्बित है ? क्या 1997-98 के वित्तीय वर्ष में इण्टर कालेज ढामकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल को इण्टर कालेज की कक्षाओं हेतु विज्ञान विषयों की मान्यता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ के माध्यम से जो आख्या प्राप्त हुई थी उसमें कुछ कमियां इंगित की गई थीं । कमियों के निराकरण हेतु क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ को शासन स्तर से लिखा गया था । उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रीय सचिव मेरठ से कमियों के निराकरण के उपरान्त पुनः शासन स्तर पर स्पष्ट संस्तुति प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती है ।

क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ से स्पष्ट संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोलाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल की इण्टर कक्षाओं के उच्चीकृत की मांग

5–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता उ० मा० वि० कोलाखाल (जिला पौड़ी गढ़वाल) का इण्टर कक्षाओं के लिये उच्चीकरण का प्रकरण शासन में लम्बित है ? क्या वित्तीय वर्ष 1997-98 में इस विद्यालय को इण्टर कक्षाओं हेतु उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के माध्यम से जो आख्या प्राप्त हुई थी उसमें कुछ कमियां इंगित की गयी थीं । कमियों के निराकरण हेतु क्षेत्रीय सचिव, मेरठ को शासन स्तर से लिखा गया था । उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रीय सचिव, मेरठ से कमियों के निराकरण के उपरान्त पुनः स्पष्ट संस्तुति शासन स्तर पर प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है ।

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से स्पष्ट संस्तुति प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेंहनगर आजमगढ़ परिवहन निगम की बन्द बस सेवा को पुनः चलाये जाने की मांग

6–श्री राम जग–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मेंहनगर (आजमगढ़) में परिवहन निगम की चलने वाली सभी बसों को बन्द कर दिया गया है ? क्या सरकार मेंहनगर क्षेत्र में परिवहन निगम की बन्द की गई बसों को पुनः चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां । एक बस सेवा का संचालन दिनांक 1-7-97 से प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्राइमरी पाठशाला कटका कलां विकास खण्ड भरावन जिला हरदोई में छात्रों को दिया जाने वाले पुष्टाहार को कोटेदार द्वारा चोर बाजार में बेचे जाने की शिकायत

7–श्री राम पाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला कटका कलां विकास खण्ड भरावन जिला हरदोई में बालकों (विद्यार्थियों) को बांटा जाने वाला सरकारी खाद्यान्न संबंधित कोटेदार ने न बांटकर फरवरी, 97 से सरकार से प्राप्त खाद्यान्न को बाजार में बेंच दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण न करने की शिकायत शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को करने पर मई, 97 में कोटेदार ने बाजार से सस्ता गेहूं खरीद कर स्टाक पूरा कर लिया और फर्जी मेडिकल सर्टीफिकेट बनवाकर दोहरी अनियमितता की है ? क्या सरकार उपरोक्त कोटेदार का कोटा निरस्त करके अनियमितता एवं राजकीय खाद्यान्न में हेराफेरी करने के लिये उसे दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित मूल्य पर राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था की मांग

8–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित मूल्य पर राशन वितरण की वर्तमान में कौन सी व्यवस्था लागू है ? क्या उपभोक्ताओं के आवेदन पर उन्हें नये राशन कार्य जारी किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना लागू की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति यूनिट दिये जाने वाले खाद्यान्न में कटौती की शिकायत

9–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पर्वतीय जनपदों में प्रति यूनिट प्रति माह दस किलो चावल और दस किलो गेहूं दिये जाने के विपरीत तीन किलो चावल और तीन किलो गेहूं वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरित किये जाने के कारण क्या हैं ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जी नहीं । पर्वतीय क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 01 जून, 1997 से 10 किली खाद्यान्न जिसमें 7 किलो गेहूं व तीन किलो चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जा रहा है । ए० पी० एल० में 20 कि०ग्रा० खाद्यान्न (14 किलो गेहूं व 6 किलो चावल) प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जनपद में राशन वितरण के विवरण की जानकारी

10–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शाहजहांपुर में कितने राशन की दुकानें हैं ? कुल कितनी चीनी, मिट्टी का तेल व अन्य खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जाता है ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

जनपद शाहजहांपुर के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 145 तथा 1105 कुल 1250 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें है । माह जून, 1997 में इस जनपद को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का आवंटन 761.0 मी० टन, मिट्टी तेल का आवंटन 1726 किलो लीटर, गेहूं का आवंटन 250 मी० टन तथा चावल का आवंटन 90 मी० टन का तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिये गेहूं तथा चावल का आवंटन क्रमशः 694.96 तथा 300.00 मी० टन किया गया ।

11–श्री राजेन्द्र सिंह–

[4थें मंगल में अता० प्र० सं० 205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

12–श्री नन्द राम–

[दि० 25-7-97 को अता० प्र० सं० 34 द्वारा उत्तरित]

ग्राम पंचायत पड़री के टोला मैनपुरवा विकास खण्ड सुकरौली तहसील हाटा जिला पडरौना में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित राशन की दुकानों को अन्य जाति को आवंटित किये जाने की शिकायत

13–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पड़री के टोला मैनपुरवा, विकास खण्ड सुकरौली, तहसील हाटा, जनपद पडरौना में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित सस्ते गल्ले की दुकान को अन्य जाति के व्यक्ति को अवैध रूप से आवंटित करने का क्या औचित्य है ? क्या वर्तमान में बाबूलाल पुत्र स्वरूप की दुकान को तुरन्त निरस्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी पात्र व्यक्ति को आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच अस्पताल खोले जाने के शासनादेश का पालन न होने की शिकायत

14–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1997 को विधायकों एवं अधिकारियों की बैठक में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 चिकित्सालय खोलने हेतु 31 मार्च को ही शासनादेश द्वारा स्वीकृति देने की उनकी घोषणा का अनुपालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में चिकित्सालय खोलने हेतु अपनी सूची उपलब्ध करा दी थी ? यदि हां, तो चिकित्सालयों की स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

भारत सरकार के मानकों के अनुसार वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर 20,000 ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुमन्य होता है । तद्नुसार उत्तरांचल क्षेत्र में 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध 233 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है । निर्धारित मानकों के अनुसार चिकित्सालयों की स्थापना होने के कारण वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी ।

जी हां । उपर्युक्तानुसार ।

उत्तरांचल के सभी विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत सड़कों एवं झूला पुलों के निर्माण में देरी की शिकायत

15–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के सभी विधान सभा क्षेत्रों में 31 मार्च, 1997 को स्वीकृत नयी सड़कों व झूला पुलों का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि शासनादेश में स्वीकृत सड़कों का निर्माण करने हेतु दो माह के भीतर वित्तीय स्वीकृति पुनः प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई थी ? क्या पूर्व में जारी किये गये शासनादेशों में भी वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया भी इसी प्रकार रही है ? यदि नहीं, तो क्या उत्तराखण्ड विकास विभाग के अधिकारी दोषी हैं ? क्या इस लापरवाही के लिये मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

जी नहीं । शासनादेश में दो माह में आगणन/नक्शे आदि मात्र बनाने की बात इंगित की थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगणनों के सत्यापनोपरान्त वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत होंगी ।

राज्य सरकार द्वारा हिल्स कैडर के प्राविधानों के अन्तर्गत भरे जाने वाले विकल्प पत्र की समय सीमा बढ़ाये जाने की मांग

16–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश, जिसमें पर्वतीय सम्वर्ग में अधिकारियों की तैनाती के विकल्प दिये जाने का प्राविधान है, में विकल्प पत्र जमा करने की तिथि समाप्त कर दी गई है ? क्या यह सही है कि इससे कई अधिकारी अपरिहार्य कारण वश विकल्प पत्र जमा नहीं कर पाये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र तैनाती के लिये इच्छुक अधिकारियों के लिए विकल्प पत्र भरने हेतु समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

विज्ञप्ति सं० 13-8-92–का–1–1992 दिनांक 25 नवम्बर, 1992 के द्वारा "उ० प्र० पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992" समूह ख, ग व घ पदों के लिए तथा विज्ञप्ति सं० 13/8/92–टी०सी०–का–1/1995 दिनांक 01 दिसम्बर, 1995 "उ० प्र० पर्वतीय उप संवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली 1995" समूह "क" के पदों के लिए प्रख्यापित की गयी है । इन अधिसूचनाओं में प्रख्यापन की तिथि से 3 माह का समय विकल्प हेतु निर्दिष्ट था, जो समाप्त हो चुका है ।

उक्त नियमावाली में विकल्प हेतु निर्दिष्ट अवधि बढ़ाने का प्राविधान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय उपसंवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली दिनांक 2 जुलाई, 1997 को प्रख्यापित की जा चुकी है । उक्त नियमावली के नियम–6 (2) के अनुसार इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी स्थिति में जहां पर्वतीय उपसंवर्ग में विकल्प मांगे जाने की प्रक्रिया पूरी न हुई हो, या आंशिक रूप से पूरी हुई हो, सामान्य संवर्ग के सदस्यों से पर्वतीय उपसंवर्ग में आवंटन के लिए ऐसी नियमावली के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर विकल्प देने की अपेक्षा कर सकता है ।

परन्तु उन विभागों और पदों के संबंध में, जिनसे विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हों, उनसे नये विकल्प आमंत्रित नहीं किये जायेंगे ।

बेवर डिपो मैनपुरी में प्राइवेट बसों एवं जीपों के चलने से परिवहन विभाग को हुए घाटे की शिकायत

17–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार उ० प्र० परिवहन निगम के बेवर डिपो जनपद-मैनपुरी की विगत 10 वर्षों का वर्षवार आय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी ? क्या यह सच है कि बेवर में निगम को प्रतिवर्ष वहां पर अवैध रूप से चलने वाली प्राइवेट बसों व जीपों के कारण लाखों रुपये का घाटा होता है और इसमें निगम के कर्मचारियों की सांठ-गांठ रहती है ? यदि हां, तो उक्त डिपो की आय को बढ़ाने की सरकार क्या कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम वीर उपाध्याय–

जी हां । उ० प्र० परिवहन निगम के बेवर डिपो की विगत 10 वर्षों की आय के आंकड़े निम्नवत् हैं :–

वर्ष	आय (लाख रु०)
1987-88	198.93
1988-89	215.76
1989-90	241.60
1990-91	315.00
1991-92	378.75
1992-93	419.50
1993-94	431.11
1994-95	458.24
1995-96	437.10
1996-97	373.49

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत संचालन से आय कुप्रभावित होती है । निगम के कर्मचारियों की कोई सांठ-गांठ सूचित नहीं की गई है ।

बेवर डिपो की आय बढ़ाने के लिये निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष के तीन महीनों में कुल 141.53 लाख रुपये की आय हुई है, जो औसतन 47 लाख प्रतिमाह रही । जबकि पिछले वर्ष औसत आय मात्र 31 लाख प्रतिमाह थी ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (पर्वतीय) के कतिपय डिपो के परिवहन सेवाओं के व्यवधान की शिकायत

18–श्री लाखी राम जोशी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उ० प्र० परिवहन निगम (पर्वतीय) डिपो देहरादून, ऋषिकेश एवं हरिद्वार से जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली के लिए कितनी बस सेवायें नियमित रूप से चल रही हैं और कितनी बस सेवायें बन्द कर दी गयी हैं ? उक्त चारों जनपदों में पूर्व से चल रही बस सेवाओं को कब तक पुनः आरम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उ० प्र० परिवहन निगम के देहरादून एवं हरिद्वार डिपो से जनपद पौड़ी, टिहरी, चमोली एवं उत्तरकाशी के लिए वर्तमान में कुल 16 सेवायें संचालित हैं, परन्तु ऋषिकेश डिपो से उक्त जनपदों के लिए कोई भी सेवायें संचालित नहीं हैं । देहरादून एवं हरिद्वार डिपो से संचालित बस सेवायें ऋषिकेश होकर ही जाती हैं ।

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर आय परीक्षण के उपरान्त 11 बस सेवायें बन्द कर दी गयी हैं ।

पुनः चलाया जाना अपेक्षित नहीं है ।

अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवाओं का विस्तार नहीं किया जाना है ।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में कोटेदारों द्वारा माह में प्रतिदिन राशन दिये जाने की मांग

19–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा राशन कोटेदारों को राशन वितरण हेतु माह में कितने दिन राशन वितरण के आदेश जारी किए गये हैं ? जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में राशन कोटेदारों द्वारा माह में कितने दिन राशन वितरण किया जाता है ? क्या यह सही है कि उक्त कस्बे में राशन दुकानदारों द्वारा माह में मात्र एक या दो दिन राशन वितरण करके राशन समाप्त कहकर राशन की चोर बाजारी कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार माह में प्रतिदिन राशन दुकान खोले जाने के आदेश देते हुए इस बात की पुष्टि वितरण रजिस्टर की तिथियों से समय-समय पर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शुक्ल बाजार सुल्तानपुर में बस सेवा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विधायक श्री राम लखन पासी के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

20–श्री तेजभान सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लखन पासी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 3-4-97 जो शुक्ल बाजार सुल्तानपुर में बसों के चलाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पूर्व की भांति बसों का संचालन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

लखनऊ-हैदरगढ़-शुक्ल बाजार-सुल्तानपुर के लिये एक सेवा का संचालन प्रयोगात्मक आधार पर दिनांक 29-7-97 से किया गया है ।

अराष्ट्रीयकृत मार्गांशों पर निगम द्वारा संचालन नहीं किया जाता है । प्रयोगात्मक रूप से एक सेवा लखनऊ-हैदरगढ़-शुक्लबाजार-सुल्तानपुर का संचालन दिनांक 29-7-97 किया गया है ।

प्रदेश के जनपद मैनपुरी के ग्रामीण अंचलों में विक्रेता को लाइसेन्स देने एवं फुटकर डीजल देने की नीति की जानकारी

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में डीजल के फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निर्गत करने की नीति क्या है ? जनपद मैनपुरी में अभी तक कितने लाइसेंस दिये जा चुके हैं ? क्या यह सच है कि जनपद में ग्रामीण अंचलों में 10, 10, कि० मीटर की परिधि में ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई विक्रेता नहीं है ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कराकर नये लाइसेंस सरकार निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिजवी–

किसी तेल कम्पनी के डीजल रिटेल आउटलेट के कम से कम 5 कि० मी० की परिधि के बाहर कम से कम 20–25 कि० ली० मासिक खपत पर, प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर, प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर, प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर आवेदक की आर्थिक स्थिति, उसके चरित्र सत्यापन, निवास स्थान का सत्यापन आदि की

औपचारिकतायें पूर्ण करके एवं निर्धारित आरक्षण तथा वरीयता के आधार पर डीजल के फुटकर विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत किया जाता है ।

जनपद मैनपुरी में अब तक 75 लाइसेंस निर्गत किये गये हैं ।

जनपद मैनपुरी के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 10 कि०मी० की परिधि में फुटकर डीजल विक्रेताओं की नियुक्ति हैं । फुटकर डीजल विक्रेताओं की नियुक्ति जनता एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग पर उक्त निर्धारित नीति के आधार पर की जाती है । अतः सर्वेक्षण कराकर नये लाइसेंस निर्गत करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण अंचलों में राशन कार्ड बनाये जाने की मांग

22–श्री दलवीर सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़, जनपद में देहाती क्षेत्र में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक राशन कार्ड जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बनाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में राशन आपूर्ति की कमी की शिकायत एवं शासन कोटा बढ़ाये जाने की मांग

23–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सीमान्त जनपद-पिथौरागढ़ में विगत दो माह से खाद्यान्न आपूर्ति में कटौती की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सीमान्त जनपद-पिथौरागढ़ में खाद्यान्न का कोटा बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नई योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम खाद्यान्न प्राप्त होने तथा उनके दिशा निर्देशानुसार खाद्यान्न आवंटित करने से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी आई है । पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न दिये जाने हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की गई है । जनपद पिथौरागढ़ की खाद्यान्न समस्या को देखते हुए फिलहाल मैदानी क्षेत्र से गेहूं–1802 मी० टन तथा चावल–911 मी० टन कुल 2713 मी० टन अतिरिक्त खाद्यान्न पिथौरागढ़ को डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे वर्तमान में वहां पर खाद्यान्न की कमी नहीं है ।

गढ़वाल जनपद में वन संरक्षण अधिनियम के कारण वर्ष 1980 से अवरुद्ध निर्माणाधीन सड़कों के विवरण की जानकारी

24–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में वर्ष 1980 के पूर्व स्वीकृत कौन-कौन सी और कितनी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम के कारण अवरुद्ध

हैं ? प्रदेश शासन द्वारा इन अवरोधों का दूर किये जाने हेतु क्या प्रयास कब-कब किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

5 (पांच)

1. रामनगर-लालठांग-कालागढ़ मोटर मार्ग ।
2. दुगड्डा-रथुवाठाव, हल्दूखाला नैनीडांडा मोटर मार्ग ।
3. बैजरों-चौखाल-उफरईखाल-वूंगीधार-वछुवावाण मोटर मार्ग ।
4. रिखणखाल-वीरोंखाल-केदारगली-जोगीमठी-ढौढ-थलीसैंण मोटर मार्ग ।
5. पैठाणी-चाकी सैंण-त्रिपाली सैंण-थलीसैंण-देघाट मोटर मार्ग ।

इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास जारी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोटद्वार जनपद गढ़वाल में मानपुर-सिम्मल मार्ग पर दीपक सिनेमा के पास क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत की मांग

25–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि कोटद्वार, जनपद गढ़वाल में मानपुर-सिम्मल चौड़ा मार्ग पर दीपक सिनेमा के पास पुलिया कई वर्षों से टूटी पड़ी है ? क्या उस क्षेत्र के निवासियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

वर्ष 1988 में बाढ़ के पानी की निकासी हेतु रपटा तोड़ दिया गया था ।

सामान्यतः नहीं । केवल भारी वर्षा के दौरान वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों को सरकार द्वारा राशन दिये जाने की नीति की जानकारी

26–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे निर्धन वर्ग के लोगों के लिये खाद्य नीति क्या बनायी गई है ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्बल वर्ग को क्या वास्तव में लाभ हो पा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जून, 97 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, पूर्वी क्षेत्र वाराणसी के अधीन हुयी परिचालकों की नियुक्ति में धांधली के संबंध में शिकायत

27–श्री राम आसरे पासवान तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मा० मुख्य मंत्री के पूर्व मंत्रित्वकाल में राज्य सड़क परिवहन निगम पूर्वी क्षेत्र वाराणसी के लिये 500 परिचालकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र रु० 60/- पोस्टल आर्डर के विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त भर्ती हेतु आवेदकों से हटकर बाहरी लोगों की बिना साक्षात्कार व लिखित परीक्षा के अनियमित तरीके से नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी नियुक्तियों को अवैधानिक करार करके सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करने एवं नियमित नियुक्ति करने पर विचार करेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 1995 में निगम के विभिन्न क्षेत्रों जिसमें वाराणसी क्षेत्र भी सम्मिलित है में 500 परिचालकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे । इस सम्बन्ध में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र के साथ रु० 60/- एवं अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों से रु० 15/- पोस्टल आर्डर मांगे गये थे ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-1-95 के अनुसार निगम में प्रशिक्षित शिशिक्षुओं, जो वांछित अर्हता रखते थे को वरीयता देते हुए नियुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश थे । अतः परिवहन निगम में प्रशिक्षित शिशिक्षुओं के साथ ही बाहरी अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन पत्र विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे, का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया गया ।

परिवहन निगम द्वारा उपरोक्तानुसार की गई नियुक्तियां उचित हैं ।

मेला पिरान कलियर जनपद हरिद्वार हेतु गठित मेला समिति में असरकारी आदमी रखे जाने की शिकायत

28–श्री राम सिंह सैनी तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेला पिरान कलियर (जनपद-हरिद्वार) हेतु किसी मेला समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य असरकारी सदस्यों के नामित करने का आधार क्या है ? क्या इस मेले के लिये कुंभ की भांति सरकार आवश्यकतानुसार धन आवंटित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बुनियाद हुसैन अंसारी)–

मेला, पिरान कलियर (जनपद-हरिद्वार) हेतु शासन/ सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा किसी मेला समिति का गठन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । मेले के लिये धन आवंटित करने के लिये शासन स्तर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला हरदोई में सुधार की मांग

29–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हरदोई के सुधार किये जाने के सम्बन्ध में पत्र सं० एम०-3/60-9/हरदोई/96 दिनांक 23-12-96 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली के कतिपय जीर्णशीर्ण विद्यालयों के भवनों को बनवाये जाने की मांग

30–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री जनपद चमोली के अत्यन्त जीर्णशीर्ण और ध्वस्त रा० इ० कालेज जाख, मेहल चौरी केदारूखाल रोहिड़ा, कुनीगा डबंग, सिद्धौली तथा रा० उ० मा० विद्यालयों कण्डारा, नेल, सलियाना, धनपुर, वरतोली, सिलिंगी चौरा सैण, लाटूगैर व कांसुवा के भवनों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

बड़ी संख्या में विद्यालय भवनों की मांग एवं सीमित संसाधनों के परिपेक्ष्य में शासन ने दो कक्षा-कक्षों के निर्माण की योजना कार्यान्वित की है जिससे कि कुछ सुविधा अधिक से अधिक विद्यालयों को मिल सके । पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10–10 विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की स्वीकृति दी गयी थी । नवीं योजना काल में यह योजना चालू रहेगी । सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण भवन निर्माण का कार्यक्रम अधिक गतिशील करना सम्भव न होगा ।

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की ओर से जनपद हरदोई में अल्पसंख्यक छात्रों के छात्र वृत्ति के विवरण में अनियमितताएं

31–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की ओर से जनपद हरदोई में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को वर्ष 1996-97 में छात्रवृत्ति के रूप में दिये जाने हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ? कितने छात्रों में उक्त धनराशि को बांटा गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कस्बा सण्डीला जनपद हरदोई में किन छात्रों को उक्त छात्रवृत्ति दी गयी ? क्या सरकार छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की सूची को उनको दी गयी धनराशि के व्यौरे सहित सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा वितरण का कार्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा नहीं अपितु शासन द्वारा किया जाता है ।

जनपद हरदोई को अल्पसंख्यक छात्रों/छात्राओं के छात्रवृत्ति वितरण हेतु वर्ष 1996-97 में रु० 93.50 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया ।

जनपद हरदोई में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कक्षा–1 से 10 तक के कुल 37,259 छात्रों/छात्राओं को रुपया 63.50 लाख की धनराशि बांटी गयी ।

कस्बा संडीला हरदोई के 2099 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ।

छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की प्राप्त सूचियां अत्यंत वृहद हैं एवं 68 पृष्ठों की है अतः उन्हें सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

गरीबी की रेखा के नीचे स्तर के लोगों को आधी कीमत पर राशन वितरण योजना के अन्तर्गत संडीला कस्बा हरदोई के विवरण की जानकारी

32–श्री वीरेन्द्र सिंह–(वाराणसी)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोगों को आधी कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अन्तर्गत कस्बा सण्डीला जनपद हरदोई में कितने व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किये गये ? क्या जिन्हें इस प्रकार के कार्ड जारी किये गये वे वास्तव में इसके पात्र हैं ? क्या सरकार इस संबंध में जांच कराकर अपात्र व्यक्तियों के कार्ड निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को कार्ड जारी करने का आदेश देगी एवं दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज रिज़वी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पंचायत धावा परगना व जिला लखनऊ के सरकारी कोटे के कोटेदार की शिकायत

33–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत धावा परगना व तहसील व जिला- लखनऊ के सरकारी कोटे के कोटेदार श्री रामचन्द्र यादव द्वारा चीनी, मिट्टी के तेल की घटतौली, निर्धारित दर से अधिक पैसा लेने एवं 10 कुन्तल गेहूं के चोर बाजारी की शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी को गत वर्ष प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी तथा एरिया इंसपेक्टर द्वारा किन परिस्थितियों में पुनः कोटा बहाल किया गया है ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पुनः कोटे का आवंटन स्वस्थ परम्परा के अनुसार अन्य पात्र व्यक्ति के पक्ष में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

उचित दर विक्रेता श्री राम चन्द्र यादव की दुकान/अनुबंध-पत्र निलम्बित नहीं किया गया अपितु उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ द्वारा की गई विभागीय कार्यवाही में सिद्ध पाई गई अनियमितताओं के लिए दुकानदार द्वारा जमा प्रतिभूति की समस्त धनराशि रु० 250/- शासन के पक्ष में जब्त करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भदोही जनपद में बस डिपो एवं कार्यशाला स्थापित किये जाने की मांग

34–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि भदोही जनपद में कोई बस डिपो है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार निकट भविष्य में भदोही जनपद के औराई कस्बे में बस डिपो तथा कार्यशाला स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

बस डिपो की आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं । औराई में परिवहन निगम का बस स्टेशन स्थापित है, जहां से इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी में स्थापित डिपो की पर्याप्त संख्या में बसों का आवागमन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में परिवहन निगम द्वारा पुरानी बस के संचालन की शिकायत

35–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ स्थित परिवहन निगम के पिथौरागढ़ एवं लोहाघाट डिपो में क्रमशः कितनी बसें संचालित है ? इनमें से दिनांक 30 जून, 1997 तक कितनी बसें ऐसी हैं जो निर्धारित मानक एवं अवधि समाप्त होने पर भी सड़कों पर चल रही हैं ? क्या सरकार ऐसी बसों को हटा कर नई बसों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

पिथौरागढ़ एवं लोहाघाट डिपो में क्रमशः 69 एवं 28 बसों का दैनिक संचालन निर्धारित है, परन्तु औसतन प्रतिदिन पिथौरागढ़ से 60 एवं लोहाघाट से 24 बसें संचालित हो रही हैं ।

इनमें से दिनांक 30 जून, 1997 तक 37 बसें ऐसी हैं जो निर्धारित मानक एवं अवधि समाप्त होने पर भी सड़कों पर चल रही हैं ।

यथा समय वित्तीय संसाधनों आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

पौड़ी गढ़वाल में पेयजल योजनाओं को पूरा करने की मांग

36–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ की चुजा, शुक्र, सैजी, गढ़ी गांव की पेयजल योजना तथा खिर्सू विकास खण्ड की बातोली, छतोड़ा पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इन पेयजल योजनाओं के पूर्ण निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? इन पेयजल योजनाओं को शासन कब तक पूरा करेगा ?

श्री मातवर सिह कण्डारी–

विकास क्षेत्र पावों की सैजी तथा विकास क्षेत्र खिर्सू की छतोड़ा पेयजल योजना के कार्य पूर्ण है । विकास क्षेत्र पावों की चुला, शुक्र गढ़ी, गांव पेयजल योजनाओं के जलाशय के कार्यों को छोड़कर शेष कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं । जलाशयों हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने/विवाद के कारण इन योजनाओं के कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके । बतौली ग्राम, विकास क्षेत्र खिर्सू में जमशाली खण्डधार पेयजल योजना के साथ सम्मिलित कर निर्माणाधीन है । मूल बातोली पेयजल योजना गढ़वाल जल संस्थान के रख-रखाव में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवशेष कार्य वर्ष 1997-98 में पूर्ण कर लिया जाएगा ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट पैडल ग्राम समूह पेयजल योजना को पुनर्गठन की मांग

37–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट की पैडुल ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून से प्रस्ताव कब

पारित किया गया था और उत्तर प्रदेश जल निगम को कब उपलब्ध कराया गया था तथा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा इस योजना के पुनर्गठन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक योजना के पुनर्गठन किये जाने की सम्भावना है ? विलम्ब के कारण क्या है तथा इसके लिये उत्तरदायी कौन है ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

गढ़वाल जल संस्थान ने अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश जल निगम को दिनांक 24-6-97 में भेजा गया है परन्तु उक्त प्रस्ताव गढ़वाल जल संस्थान के निदेशक मण्डल द्वारा अभी अनुमोदित नहीं कराया गया है । निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ रखा जाएगा ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रस्ताव के विधिवत अनुमोदन के पश्चात् जल निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

उपर्युक्तानुसार ।

जिला अल्मोड़ा की तहसील भिकियासैंण में पेयजल योजनाओं की जानकारी

38–श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा की तहसील भिकियासैंण स्थित जल निगम के नौला डिवीजन द्वारा वर्ष 1995-96 में कौन-कौन सी पेयजल योजनायें प्राक्कलन सहित बनायी गयी ? इन योजनाओं की प्राक्कलित धनराशि तथा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि कितनी थी तथा योजनाओं की लम्बाई कितनी थी ? उक्त डिवीजन में उपरोक्तांकित अवधि में किये गये कार्यों के संबंध में तथा अन्याय प्रकरणों के संबंध में कुल कितने परिवाद पत्र (कम्प्लेन्ट) प्राप्त हुए ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

इसका उल्लेख सूची में किया गया है ।

दस परिवाद पत्र प्राप्त हुए जिसका निस्तारण किया जा चुका है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 90 पर)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के जल संयोजनहीन चिकित्सालयों का विवरण

39–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कौन-कौन से चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र हैं जिनके भवन निर्मित होने के वर्षों बाद भी इन भवनों पर जल संयोजन करवाने की दिशा में विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है ? इन चिकित्सालयों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण होने की क्या तिथि है तथा कब तक इन भवनों पर जल संयोजन करा दिया जायेगा ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्मित भवनों जिन पर जल संयोजन अपेक्षित है निम्नवत हैं:–

क्र०सं०	नाम	निर्माण तिथि
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट	1996-97
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसण्डाखाल	50 वर्ष पुराना है।
3.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेलूसेण	
4.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीकूखाल	1992-93
5.	उपकेन्द्र बहेड़ाखाल	1980-81
6.	उपकेन्द्र चेलूसेण	1996-97

1–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट पर जलापूर्ति के लिये पम्पिंग सेट लगाया गया था। विद्युत आपूर्ति व जल स्रोतों की कमी के कारण जल आपूर्ति पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पाई।

2–उपकेन्द्र, बहेड़ाखाल में कनेक्शन देने हेतु दिनांक 9-7-1997 को रु० 40, 116 जमा कर दिया गया है। शीघ्र जल संयोजन सम्भावित है।

3–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसण्डाखाल, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीकूरवाल व चेलूसेण तथा उपकेन्द्र चेलूसेण के आस- पास जल स्रोत नहीं है।

जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर में विकलांग पेंशन की धनराशि का विवरण

40–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती एवं सिद्धार्थनगर में विकलांगों को पेंशन की धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब तक का और कब तक का भुगतान अवशेष है ? क्या अवशेष का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव चरण प्रजापति–

जी हां।

विवरण इस प्रकार है :–

जनपद	माह, जब तक का स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया गया।
बस्ती	सितम्बर, 1997
सिद्धार्थनगर	सितम्बर, 1997

स्वीकृत धनराशि का भुगतान अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(शोर)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

* श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुखपाल पाण्डेय जी, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक बयान दिया है, मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने गलत बयान दिया है । उन्होंने सदन को गुमराह किया है मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना देंगे तो उसका परीक्षण करके जो कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैंने प्रश्न प्रहर में आपका ध्यान खींचा था कदाचित समय नष्ट न हो इसलिये उस समय मैंने नहीं कहा था । जिन माननीय सदस्यों का मूल प्रश्न है उसके ऊपर माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं और जिन माननीय सदस्य का मूल प्रश्न होता है । उनका आप नाम पुकारते हैं तो वह एक या दो अनुपूरक प्रश्न करते हैं । अन्य माननीय सदस्यों को भी आप प्रश्न करने की अनुमति देते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अनुशासित सदस्य हैं जिनमें एक अनुशासन का एक कल्चर डेवलप हो गया है, जो उश्रृंखलता डेवलप नहीं कर पाये हैं, आप जैसे अध्यक्ष के प्रति जितना सम्मान और जितनी श्रद्धा है जिन माननीय सदस्यों में है वह आपके डर से कि आप नाराज न हो जायें, कोई ऐसा आचरण नहीं करते हैं और अनुशासन बद्ध रहते हैं । लेकिन मैंने अनुभव किया है यहां पर समय की लूट होती है । ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम नहीं पुकारा गया, मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, जो अनुशासन तोड़कर, बगैर नाम पुकारे धाराप्रवाह शुरू हो गये उनको आप सुन लेते हैं । उनका प्रेस दीर्घा नोटिस लेती है और अखबारों की सुर्खियों में वही वह रहते हैं । ऐसा लगता है कि जैसे और माननीय सदस्य मूक हैं या उनको प्रश्न करने की तमीज नहीं है या उनको जानकारी नहीं है । इसलिये मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि इस सेशन का जो समय और आगामी सेशन जो आयेगा उसमें क्या ऐसी व्यवस्था होगी कि जो अनुशासित सदस्य हैं उनको भी अपनी बात कहने का समय मिले । प्रश्न प्रहर में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की भी भागीदारी होती है, अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न करना चाहते हैं । इसलिये आप कृपा करके इस पर व्यवस्था दें, कि समय की जो लूट बनी हुयी है उस पर आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गौरी शंकर एडवोकेट जी ने जो प्रश्न उठाया है वह इस सदन की कार्यवाही संचालन की प्रक्रिया के संबंध में है ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी मैं अभी व्यवस्था दे रहा हूं । जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय गौरी शंकर एडवोकेट जी ने उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस समस्या का समाधान नियमों में हैं ।. नियमों में इस बात का प्राविधान है कि कोई भी माननीय सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बोलेगें । तो अगर इसी नियम का पालन कर लें, तो जिस समस्या के प्रति ध्यानाकर्षण किया गया है वह उठेगी नहीं ।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

और मैं अपेक्षा करता हूं । मैं यथा सम्भव प्रयास करता हूं कि अधिकतम लोगों को बोलने का अवसर दूं लेकिन कभी न कभी तो विनियमन करना पड़ता है । जिसको मैं अनुमति दूं वह ही अपने विचार रखें, तो सदन विनियमित भी रहेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री सुखपाल पाण्डेय जी ने अभी गलत बयानी के बारे में माननीय खाद्य मंत्री के बारे में विशेषाधिकार हनन की नोटिस दिये जाने की बात कही । आपने पीठ से निर्देश दिया कि सूचना दे दें दिखवा लेंगे । लेकिन मान्यवर, उनको अनुचित तरीके से अपने आसन के नजदीक बुलाकर माननीय मंत्री जी उन्हें प्रभावित कर रहे हैं इससे उन्मुक्त रूप से जो उनका विशेषाधिकार है उसका हनन हो रहा है । तो मान्यवर, जब तक विशेषाधिकार के प्रसंग का उत्तर नहीं आ जाता तब तक पाण्डेय जी को हां लाबी से ना लाबी में भेज देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप द्वारा उनके संबंधित अधिकार का हनन हो जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मेरे ऊपर दबाव डालें भी तो मैं झुकने वाला नहीं हूं । दबाव चौधरी साहब पर पड़ रहा होगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज की कार्यसूची में नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या–3 मेरे द्वारा पूछा गया था । गोपनीयता के आधार पर इसे निरस्त कर दिया गया है, तो इसकी सूचना मुझे भी मिलनी चाहिए । जब कोई सदस्य प्रश्न करता है और यदि उसकी गोपनीयता या किसी अन्य आधार पर निरस्त किया जाता है तो कम से कम जिस सदस्य द्वारा वह पूछा गया है चूंकि उसको पूछने का मौलिक आधार है उसको सूचना मिलनी चाहिए कि आपका प्रश्न इस कारण से निरस्त कर दिया गया है । मान्यवर, मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न निरस्त कर दिया गया है परन्तु मुझे इसकी सूचना नहीं दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी पत्रावली निकलवाकर देख लेता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, मैं एक गम्भीर मुद्दे पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । अभी प्रश्नकाल में माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे । आपके संज्ञान में यह है कि सदन में बहुत से ऐसे लोग मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है । आपके संज्ञान में यह भी तथ्य है कि परिपाटी का अनुपालन नहीं हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने मंत्रियों का परिचय करायें । क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे इस सदन की कार्यवाही चलाने के लिए और सदस्यों की जानकारी के लिए कि जिस तरह से पुलिस के लोग अपने सीने में नेम प्लेट लगाते हैं, मंत्री लोग भी लगायें । ऐसी व्यवस्था मान्यवर करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

फिर तो ऐसा हो जायेगा कि माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रियों में भेदभाव हो रहा है माननीय सदस्य भी नेम प्लेट लगायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं । आज दिनांक 1 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं :–

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं)

जनपद भदोही के औराई क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र औराई जनपद भदोही के अन्तर्गत स्थित गंगा और वरुण नदी के बीच स्थित क्षेत्र सिंचाई की सुविधाओं का अत्याधिक अभाव है । यहां पर सिंचाई के साधन बहुत ही कम है । यहां पर केवल नलकूप ही सिंचाई के साधन के रूप में उपलब्ध है । ऊंची-नीची जमीन होने के कारण नहर के सिंचाई हो पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । नहरें यहां पर सफल नहीं हैं । इसलिए नहरों से नाममात्र की सिंचाई हो पाती हैं । नलकूप से ही जो सिंचाई हो पाती है, वही हो पाती है ।

किसानों के सामने घोर आर्थिक संकट पैदा हो गया है । चीनी मिल क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद सिंचाई का साधन न होने के कारण किसान गन्ने की बुवाई नहीं कर पाते हैं । सरकार बदहाल से गुजर रहे किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है । यहां के किसान जमीन के होते हुए भी भुखमरी, बेकारी और गरीबी के शिकार हैं । इस क्षेत्र में दूसरे भी उद्योग नहीं पनप पाये हैं केवल खेती ही मुख्य व्यवसाय के रूप में है ।

यहां पर अधिकाधिक नलकूप लगाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि किसान अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई व अपना जीवन किसी तरह बिता सकें । वर्तमान समय में सिंचाई का अभाव होने के कारण खरीफ की फसल की बुवाई के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है । अत्यधिक संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

ऐसी स्थिति में मा० अध्यक्ष जी से आग्रह है कि शासन को निदेश दें कि औराई विधान सभा क्षेत्र जनपद भदोही की जटिल समस्या को दूर करने के लिए कम से कम 50 नलकूप पृथक से स्वीकृत करते हुए उसे लगवाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें ।]

लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत कल्याणपुर में सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोमती यादव–

[महोदय, लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत कल्याणपुर के एक विस्तृत क्षेत्र को वहां के निवासियों ने "नेहरू बिहार" का नाम दिया है । नेहरू बिहार के मुख्य तथा सम्पर्क मार्गों से प्रतिदिन सैकड़ों विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों का आना जाना बना रहता है, किन्तु मार्गों के डामरीकरण न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

होने, नालियों के न बने होने एवं मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था न होने से आवागमन में अति कठिनाई होती है और आये दिन जान-माल का खतरा बना रहा है । मार्गों में गड्ढों में गन्दा पानी भरा रहता है ।

इन कार्यों को कराने हेतु वहां के निवासियों ने शासन एवं माननीय नगर विकास मंत्री को कई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिन्हें माननीय नगर विकास मंत्री ने आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम को भेजे हैं किन्तु अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि जिस प्रकार लखनऊ के शिवानी बिहार, पन्तनगर, खुर्रमनगर, शक्तिनगर, कूर्मांचल नगर आदि क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था करायी गयी है उसी प्रकार इस क्षेत्र के मुख्य व सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण, नालियां बनवाने एवं मार्ग प्रकाश की व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर कराने हेतु शासन के नगर विकास विभाग को निर्देशित किया जाय । ।

कर्ण प्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सैकड़ों गांवों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

। महोदय, गढ़वाल हिमालय की कर्ण प्रयाग विधान सभा सम्भवतः भारत वर्ष की सबसे विहड़तम व विकास की दृष्टि से पिछड़ी विधान सभाओं में है, न उद्योग है न यातायात और चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण सुविधायें, तमाम आवश्यक आवश्यकता से आज भी यह क्षेत्र पेयजल के संकट को भी झेल रहा है ।

जनपद पौढ़ी व चमोली में तमाम ऐसे गांव आज भी पेयजल से वंचित हैं जो इस भीषण संकट के कारण गांव तक छोड़ने के लिए मजबूर हैं ।

वीरौखाल (पौड़ी) पेयजल के लिए मैंने ग्यारहवीं विधान सभा बारहवीं विधान सभा में भी प्रश्न उठाये थे । नियम 301 के तहत सरकार ने उन तमाम योजनाओं पर कार्य करने का आश्वासन दिया था जो आज तक भी पूरे नहीं हुए हैं कुछ योजनाओं पर कार्य शुरू भी हुआ किन्तु घटिया किस्म के टूट गये ।

वीरौखाल के आसपास लगभग 30 गांव जो पेयजल को त्राहि-त्राहि मचाये हैं आज एक कनस्टर पानी भी उन्हें 15 कि०मी० से लाना पड़ता है सब कामकाज छोड़कर लोग इस पेयजल की ही आपूर्ति में जुटे हुए हैं सारा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है यही दशा तौगांव, व्याणगढ, पोखरी, विशल्ड, विडोली, चूलाकोट, कनाकोट माझोली, ऋषिवल्यों, शाचौरा, सकनोली नौगांव सिरमोल्या सहित सैकड़ों गांव पेयजल से वंचित हैं लोगों ने डंगरों को बेंच दिया है ।

महोदय लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है ।

आपसे अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर सरकार को कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल संकट को दूर करने के लिए आदेश देकर इस लोक अविलम्बनीय समस्या पर चर्चा कराने की कृपा करेंगे । ।

(श्री दलवीर सिंह सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरि शंकर तिवारी–

[महोदय, नियम 301 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व के एक प्रकरण की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन के अधिष्ठान अनुभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सचिवालय प्रशासन द्वारा कतिपय पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जाते हैं तथा अभ्यर्थियों द्वारा योगदान देने आने पर उनका योगदान नहीं कराया जाता तथा अभ्यर्थियों का उत्पीड़न किया जाता है । सचिवालय प्रशासन विभाग में कतिपय सेवा संबंधी विवादों पर मा० न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध निर्णय किये गये हैं किन्तु विभाग द्वारा न तो न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है और न ही न्यायालय में अपील दायर की जाती है और इस प्रकार अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है । सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन रक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ पीठ द्वारा माह मार्च/अप्रैल, 1997 में दिये गये निर्णय पर तीन-चार माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कर्मचारियों/अधिकारियों का मनचाहा न हो पाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है ।

अस्तु निवेदन है कि सचिवालय प्रशासन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु प्रभावी कदम तत्काल उठाये जायें ।]

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है उसमें लिखकर वहां से आ गया है कि अपरिहार्य कारणों से कुछ कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको दिखवा लेंगे ।

जनपद महराजगंज की नौतनवा तहसील ग्राम कुनसेरी उर्फ बिशुनपुरवा में फर्जी नाम परिवर्तन को निरस्त कर मूल खातेदारों के नाम पुनः दर्ज कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अमर मणि–

[ग्राम कुनसेरी उर्फ विशुनपुरा तहसील नौतनवां जनपद महराजगंज में वर्ष 1985 से अब तक कुल खातेदार व्यक्तियों के खतौनी में फर्जी तरीके से नाम काटकर दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया है ।

धारा 229 बी का फर्जी मुकदमा चलाकर नाम परिवर्तन किया गया है । श्रीमती बाल सुन्दरी पत्नी घनश्याम, साधु शरण, माधोशरण राम सागर पुत्रगण महेश शर्मा के नाम कितनी जमीन उक्त ग्राम में है कितनी भूमि का क्रय हुआ । कितनी भूमि धारा 229 बी के माध्यम से दर्ज हुआ है कितने अभिलेखों में फर्जी तरीके से नाम का परिवर्तन हुआ है । कुल कितनी भूमि उक्त ग्राम में बाल सुन्दरी पत्नी साधु, माधौ, राम सागर पुत्र महेश शर्मा व महेश की पत्नी के नाम दर्ज है । क्या सरकार कुनसेरी उर्फ विशुनपुरवा में अभिलेखों में फर्जी परिवर्तन 229 बी के फर्जी मुकदमा के माध्यम से नाम परिवर्तन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करके दोषी अधिकारी/कर्मचारी लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। क्या फर्जी नाम परिवर्तन को निरस्त कर मूल खातेदारों के नाम पुनः दर्ज कराने का काम करेगी।

अतः इन उपरोक्त मुद्दों पर सदन की कार्यवाही तथा चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[महोदय, शाहजहांपुर की विद्युत व्यवस्था में इधर हाल के छः माह में अत्यन्त खराब हुई है। 10-12 घण्टों की अघोषित कटौती से नगर व जनपद में त्राहि-त्राहि मची है। स्थान-स्थान पर जाम लगाये जाते हैं, आन्दोलन, प्रदर्शन, धरने दिये जाते हैं परन्तु विद्युत सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। अधिकारीगण कहते हैं कि आपको सामान नहीं मिलेगा तो वें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शाहजहांपुर में 3 सब-स्टेशनों का विस्तारीकरण हो रहा है यह हैं गोविन्दगंज पावर स्टेशन, पैना पावर स्टेशन तथा जगौर सब-स्टेशन (नया बन रहा है)। सामान के अभाव में सीनों अधूरे पड़े हैं। यद्यपि मा० मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 10-6-1997 को इनके पूरा कराने के आदेश दिये हैं परन्तु इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। शाहजहांपुर की विद्युत अव्यवस्था से अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश को भी अवगत करा दिया गया है परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ है। ट्रान्सफार्मर फूंकने के बाद भी महीनों ट्रान्सफार्मर नहीं लगते हैं। वर्तमान में भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम कुरसण्डा ददिहरा खानपुर देहा, रहीमपुर (महपुरा महाऊ ब्लाक सिधौली) के ग्रामों में 2 माह से ट्रान्सफार्मर न बदले जाने से 2 माह से विद्युत नहीं है। भीषण गर्मी में विद्युत की कटौती असहनीय है। उद्योगों व सिंचाई पर भी विद्युत कटौती का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शाहजहांपुर में एक थर्मल पावर स्टेशन जो रोजा में स्वीकृत हैं, उसका भी कार्य प्रारम्भ न होना चिन्ता का विषय है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुए अवाध गति से शाहजहांपुर में विद्युत सप्लाई की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष–

अब एक सूचना मैं प्रतीक्षा सूची से ले रहा हूं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल की परीक्षाओं में सन्नि परीक्षा (स्कूटनी) हेतु आवेदन, परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती सीमा द्विवेदी तथा श्रीमती मन्जू सिंह–

[मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल की परीक्षाओं में सन्नि परीक्षा (स्कूटनी) हेतु आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक माह के अन्दर आमंत्रित किये जाते हैं, किन्तु ऐसे मामलों का निस्तारण प्रायः 6 माह के उपरान्त किया जाता है जिससे लाखों परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण नहीं हो पाते। अगली परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं एवं जो उत्तीर्ण हो जाते हैं उनका भी साल बेकार जाता है और वे अगली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं । उक्त स्थिति के कारण प्रदेश भरके लाखों परीक्षार्थी एवं अभिभवकों में रोष एवं कुण्ठा व्याप्त है ।

अतः मैं शासन से मांग करती हूं कि इस वर्ष 1997 में अब तक प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण 15 अगस्त, 1997 तक आवश्यक रूप से किया जाय एवं यह व्यवस्था स्थायी रूप से लागू की जाय ।]

श्री अध्यक्ष–

निम्न मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं । श्रीमती कृष्णाराज, श्री प्रदीप बालियान, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री सरवर अली खां, श्री जयनारायण तिवारी, डा० ज्ञानवती, श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री श्याम किशोर यादव, श्री दीपक कुमार, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री बिन्दु लाल, श्री भारत सिंह रावत, श्री नन्द राम, श्री हरि नारायण, श्री तेजभान सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री दीप लाल भारतीय, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री राधेश्याम जायसवाल तथा श्री विनय कुमार पाण्डेय ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचना ले रहा हूं ।

विधान सभा मण्डप के प्रत्येक द्वार पर ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों के सिरस्त्राण लगे होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, आज सम्पूर्ण राष्ट्र आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है विगत दिवस विधान सभा की हीरक जयन्ती भी मनायी गयी है इस महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता की भावना प्रबल होती है । इस महत्वपूर्ण अवसर पर मान्यवर, मैं सम्मानित सदन से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जितने सदन के भीतरी द्वार बने हैं उसमें गुलामी के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश सैनिकों के सिरहमण सिलमेटा लगे हुए हैं । जब इस पर ध्यान जाता है तो एक उक्ति याद आती है कमरे में टंगी तस्वीर टांगने वाले की मानसिकता को दर्शाती है । तो उस वक्त की गुलामी की तस्वीर मन में आती है स्वतन्त्र रूप से सदन की कार्यवाही संचालित होने में असुविधा होती है । सदन के अन्दर इस गुलामी के प्रतीक को हटाया जाए । त्रिमूर्ति का प्रतीक लगाया जाए । यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है इसलिए नियम 300 में यह औचित्य का प्रश्न है । माननीय सदस्यों को सदन में बैठकर स्वतन्त्रता की अनुभूति होनी चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है आप इस पर व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं श्री बाल चन्द्र मिश्र जी की बात का समर्थन करता हूं । और सुझाव देना चाहता हूं कि इस स्थान पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतीक चिन्ह मछली है उसके लकड़ी के चिन्ह बनवाकर इस जगह पर टांग दिये जायें ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, इसी तरह से इस विधान सभा के मुख्य द्वार पर जहां पर मा० स्व० चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगी है उसके पीछे बीच के मेहराब के दोनों ओर इसी तरह के प्रतीक चिन्ह लगे हैं मैं जब से

चुनकर आया हूं मेरी नजरों में वह बराबर खटकता रहता है । यही नहीं राज भवन सहित प्रदेश के कई भवनों में भी इसी तरह के दासता के प्रतीक विदेशी चिन्ह लगे हैं । इन सभी को हटवाया जाय ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इस देश के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से लेकर 1947 में जब हमें आजादी मिली है न मालूम कितने हजारों लाखों लोगों ने इस देश की आजादी में अपने प्राण न्योछावर किये हैं । उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधान सभा जो अपने आप एक देश है । इस गरिमामय विधान सभा जिसके अन्दर बहुत सारे निर्णय आपकी पीठ से होते हैं उनकी चर्चा न केवल देश में बल्कि बाहर भी होती है । अभी आपने हीरक जयन्ती भी उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर मनायी है । हम स्वतन्त्रता की 50वीं स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं ऐसे में इस गरिमामय स्थान तथा जिस गेट से हम निकलते हैं वहां पर भी इसी तरह के प्रतीक चिन्ह लगे हैं । सभा मण्डप में जो यह प्रतीक लगे हैं उसके स्थान पर त्रिमूर्ति जो हमारी श्रद्धा और परम्परा की प्रतीक है उसको यहां पर रख दिया जाए ।

श्री अमर मणि–

माननीय बाजपेयी जी ने कल ही एक सवाल उठाया था कि यहां पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिस पर आपने मंत्री जी को निर्देश दे दिया था । लेकिन इस सवाल पर व्यवस्था आपको करनी है इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है । यह सीधे-सीधे आपको करना है । मुझे आपसे निवेदन करना है कि लोक सभा की तरह यहां पर माननीय सदस्यों को लंच करने के लिए स्थान नहीं है । हमको नीचे उतरकर कैंटीन में जाना पड़ता है । वहां से सदन की आवाज सुनाई नहीं देती है जिससे हमको यहां पर हो रही कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मण्डप के पास हम लोगों के लिए स्नैक्स की व्यवस्था करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात पर ध्यान दूंगा ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में यह व्यवस्था बनायी गयी है और आपकी पीठ से दी गयी व्यवस्था भी है । 1985-89 अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों का संकलन है इसमें 194 पेज पर दिया हुआ है कि औचित्य के प्रश्न पर एक सदस्य को सुना जा सकता है । आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है लेकिन अच्छा हो कि एक सूचना पर एक ही व्यक्ति को सुना जाए जिससे सदन का महत्वपूर्ण समय भी बचे । जहां आपके नियंत्रण की बात है इसके बारे में सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता है माननीय सदस्यों ने जो बात आपके संज्ञान में लायी उस पर आप कार्यवाही करेंगे ही लेकिन सदन में इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना के माध्यम से मण्डप की व्यवस्था के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है । मैंने आपकी भावनाओं का संज्ञान लिया है जो भी यथोचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी । यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है ।

दूसरी सूचना लिए जाने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि एक सूचना पर एक ही माननीय सदस्य अपने विचार रखें ।

अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री विवेक सिंह की है ।

विधान सभा सत्र के दौरान सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

आप इस विधान सभा के गौरवशाली पीठ पर प्रतिष्ठित हैं और अपने निर्णयों से न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में इस सदन की गरिमा और मर्यादा को महिमा मण्डित करने का प्रयास किया है। एक तरफ आप इस विधान सभा की गरिमा को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिमामंडित कर रहे हैं दूसरी तरफ इस शासन द्वारा निरन्तर इस तरह से कार्य हो रहे हैं, जिससे सदन की संसदीय परम्पराओं को, मर्यादा को तथा सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। श्रीमन्, इस बजट सत्र में बजट के प्रस्तुतीकरण में माननीय मंत्री जी अपने विभागों के कार्यकलापों का लेखाजोखा दें। अपना कोई वक्तव्य दें इसके बजाय लिखित भाषण पढ़ रहे हैं, एक नई परम्परा शुरू हुई है। मान्यवर, आप प्रश्नों के उत्तर भी देख रहे हैं आज प्रश्नों के उत्तर मंत्री जी ने कह दिया कि बिजली विभाग को लिख दिया गया है अतः बिजली विभाग से संबंधित है। चाहे प्रश्न हों या बजट हो या संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं को ठेस पहुंच रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप औचित्य के रूप में ग्राह्य कर लें जिससे सभी सदस्य ग्राह्यता पर भाग ले सकें और इस सदन की मर्यादा और परम्पराओं को अक्षुण्य रखने के लिए बहुमूल्य सुझाव दे सकें। इस पीठ से कदाचित आपने कई बार इस सरकार को निर्देश दिया है, पूर्व में भी माननीय अध्यक्ष और अधिष्ठाता जो पीठ पर आसीन होते हैं उन्होंने भी समय-समय पर निर्णय दिये हैं किसी भी प्रदेश के मंत्रि-परिषद् के सरकार के मंत्री या मुख्य मंत्री अगर सदन का सत्र चल रहा है, विधान सभा की कार्यवाही चल रही है तो कोई भी नीतिगत निर्णय सदन के अन्दर घोषित किये जायेंगे सदन के बाहर नहीं होंगे।

आप देखें कल मंत्रि-परिषद् की बैठक हुई, मंत्रि-परिषद् में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये चाहे अनुसूचित जाति या निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह धनराशि को दुगुनी करने की बात हो या बासमती चावल या गैर बासमती चावल के लेवी की बात हो या उत्तर प्रदेश सचिवालय में रिक्त पड़े हुए पद हों और 10 साल के नियम को शिथिल करके 5 साल हो, यह सब नीतिगत निर्णय लिए गये। जब प्रदेश विधान सभा का सत्र चल रहा हो और सभी सम्मानित विधायक भाग ले रहे हों इस मंत्रि-परिषद् के निर्णयों की घोषणा इस सदन में होनी चाहिए थी जबकि सार्वजनिक रूप से बयान दिया गया और सारे समाचार-पत्रों में आया जिसका जनता ने भी संज्ञान लिया है तो इस सदन की क्या उपयोगिता और सार्थकता रह जायेगी अगर सरकार के मंत्रि परिषद् और मंत्रियों के निर्णय सदन के अन्दर उल्लेख करने के बजाय सदन के बाहर किया जायेगा तो यह औचित्य का प्रश्न बनता है इसलिए इसको कृपा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक औचित्य के रूप में ग्राह्य करें।

* श्री राजा राम पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल 1980 में बांगरमऊ उन्नाव में पाल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने गये थे और अभी इसी 30 तारीख को क्षत्रिय सम्मेलन में भाग लेने गये थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह आज यह स्पष्ट करें कि वह क्षत्रिय समाज के हैं या पाल समाज के ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री समर पाल सिंह के खड़े होने पर)

आपकी सूचना है । आप अभी स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामले में मेरा नाम लिया गया और सन् 80 में मेरे पाल सम्मेलन में भाग लेने का उल्लेख किया गया । मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी सूचना गलत है, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और जिसका मुझे गर्व है, परसों मैंने वहां भाग लिया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग यूं ही एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहेंगे, यह कतई उचित नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह सारी बातें गरिमा के अनुरूप नहीं हैं, कोई यह कहे कि मैं क्षत्रिय हूं, इसका मुझे गर्व है, यह सब आप कार्यवाही से निकलवा दीजिये, इस तरह की बातों से अहम की बू आती है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लूंगा ।

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय यह सदन सत्र में होता है, उस समय सरकार द्वारा यदि कोई महत्वपूर्ण घोषणा करना हो तो सदन के अन्दर की जाती है, यह केवल परम्परा ही नहीं है बल्कि हमारी लोकतंत्र की बाध्यता भी है वरना इस सदन का महत्व ही क्या है । अगर सरकार में बैठे हुये मंत्री, मुख्यमंत्री सदन के बाहर घोषणा करते रहें तो सदन का कोई महत्व नहीं रह जाता है.....

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, समाप्त करें, आपकी बात आ गई ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो भी वहां निर्णय हो, चाहे सचिवालय की नियमावली परिवर्तन की बात हो, चाहे अनसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान बढ़ाने की बात हो, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये इस सदन को संज्ञान में लिये बिना घोषणा किया जाना परम्परा का उल्लंघन है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है, साथ ही इस सदन के सम्मानित सदस्यों तथा इस सदन की अवमानना है, कृपया इसका संज्ञान लेने की कृपा करें ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली और उसका संज्ञान भी ले लिया है । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सूचना में विवेक कुमार सिंह का भी नाम है, कृपया उनको भी सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आज 13 विभागों की अनुदान मांगें हैं, जिन में से 4 पर बहस नहीं होगी, थोड़ा समय आज भी विनियमित कर लेने दीजिये । यदि हर सदस्य बोलना चाहेगा तो कैसे चलेगा ।

* श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, हम लोग आप को बचपन से एक सैद्धान्तिक परम्परा वादी व्यक्ति के रूप में जानते थे । मान्यवर, मेरा आप से निवेदन है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सदन के बाहर कोई नीतिगत घोषणा नहीं होनी चाहिए, सदन के अन्दर होनी चाहिए अगर आप सरकार पर अंकुश नहीं लगायेंगे तो एक बड़ी परम्परा का उल्लंघन हो जायेगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर आप के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कल विधान सभा की गरिमा घट रही है मंत्रि-परिषद् कोई निर्णय लेकर उसकी घोषणा करे और सदन चल रहा हो तो यह सदन का घोर अपमान है । आप सरकार को निर्देश दें कि जो भी नीतिगत फैसले लें उसकी घोषणा बाद में करें पहले सदन में लायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बात चीत में आया है, मंत्रियों से मालूम हुआ है, सदस्यों से मालूम हुआ है, अखबार से नहीं मालूम हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पीठ से अनेक बार यह निर्णय हुआ है कि जब सदम की बैठक आहूत हो उस समय नीतिगत निर्णय जो भी लिये जायं तो उसकी उद्घोषणा सदन में होनी चाहिए । मान्यवर, संविधान में इस बारे में स्पष्ट है । मंत्रि-परिषद् सदन के प्रति जिम्मेदार होती है यहां उस नियम का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है । मान्यवर, 174 पढ़ लें इसमें उल्लेख है कि मंत्रि-परिषद् पहले सदन के प्रति जवाब देह होता है मान्यवर, एक तरफ बैठक चल रही थी उसी समय मंत्रि-परिषद् की बैठक भी चल रही थी । वहां कुछ निर्णय लिये गये । मान्यवर, मैं उसमें कुछ नहीं कहता सरकार चलानी है तो मंत्रिपरिषद् की बैठक तो होगी ही, नीतिगत निर्णय लेने की छूट है, लेकिन मंत्रि-परिषद् को छूट नहीं है कि वह उसकी उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से करे । मान्यवर, आपने देखा होगा कि इन्होंने विशेष रूप से चावल के मामले में, यह कृषि प्रधान देश है, यहां चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है । चावल के आयात निर्यात के बारे में, मान्यवर, बासमती चावल के लेवी की छूट की घोषणा बाहर की गयी है, प्रोन्नति की घोषणा बाहर की गयी है, यह नीति विषयक है । आप पीठ से दिये गये निर्देशों को निकलवा लें, जो घोषणा की गयी है उसके लिए आप सरकार की खिचाई करें, सरकार को प्रताड़ित करें ताकि दुबारा ऐसी अनुशासनहीनता न कर सके । मान्यवर, पूरी सरकार न मिले तो संसदीयकार्य मंत्री को प्रताड़ित करें ताकि दुबारा ऐसी हरकत न करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस औचित्य के प्रश्न को माननीय सदस्य उठा रहे हैं, कदाचित माननीय सदस्य यदि मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण को ध्यान से पढ़े होते या सुने होते तो ऐसा न कहते । मान्यवर, मैं बजट भाषण के पेज 22 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय परिवारों के इलाज के लिए वर्तमान में देय धनराशि एक हजार रुपये को बढ़ाकर 2 हजार रुपये करने और पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान में अनुमन्य धनराशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपयें करने का निर्णय लिया है । यह नीतिगत घोषणा थी, यह सदन में हुई । इसको कार्यान्वयन के लिए नियमावली में मात्र संशोधन करना था तो उसे नियमावली में संशोधन किया गया है । यह घोषणा नई नहीं है । वह सदन में कही गयी है । एक औपचारिकता मात्र थी, वह पूरी की गयी है ।

दूसरी बात माननीय सदस्य चावल के निर्यात प्रोत्साहन के निर्णय के बारे में कह रहे हैं । यह निर्णय 1995 से लागू है और उसी निर्णय के अनुरूप पूर्ववत् से चला जा रहा है । यह कोई नीति नहीं है, न नई नीति की घोषणा है । यह पहले से चल रही है । मान्यवर, आरक्षित वर्ग कोटे को भरने के बारे में जो बात है, वह सदन के संज्ञान में है । पहले ही शासनादेश जारी करके जिन विभागों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है उसके पूरा करने के बारे में शासन ने निर्णय लिया । उस समय सदन भी नहीं चल रहा था । नियमावली में संशोधन की औपचारिकता थी उसे किया गया, कहीं पर कोई ऐसा नीतिगत निर्णय नहीं है । मान्यवर, इस सम्मानित सदन के प्रति मंत्री-परिषद् जिम्मेदार है और सदन के प्रति हम पूरा सम्मान और आदर करते हैं । नई नीति जो भी होगी निश्चित रूप से घोषणा सदन में होगी । जहां तक प्रशासनिक निर्णयों के बारे में बात है, मान्यवर, यह 79–84 का संकलन है । उसके पृष्ठ 211 में उल्लेख है श्री अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि भविष्य में माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार के सवाल जो प्रशासनिक हो उन्हें औचित्य प्रश्न के रूप न लाने की कृपा करें । मैं इस औचित्य प्रश्न को अग्राह्य करता हूं ।

मान्यवर, प्रशासनिक मामले में औचित्य का प्रश्न बनता नहीं है कृपया इसे अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हता 5 वर्ष करने जा रहें है यह क्या नीतिगत नहीं है यह कहीं बजट भाषण में उल्लिखित नहीं है । यहां पर प्रशासनिक निर्णय का प्रश्न नहीं ला रहे हैं । इसी तरह लेवी से छूट देने का निर्णय है, चावल आयातित करने के बारे में है । जो अर्हता 5 वर्ष कर रहे हैं उससे जो समकक्ष लोग हैं वह प्रभावित होंगे । हम चाहते हैं कि सरकार करे लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि चूंकि यह नीतिगत है इसलिए इसकी घोषणा सदन में होनी चाहिए । सदन के बाहर घोषणा करके सदन की और आप की अवमानना की है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर माननीय सदस्यों और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस प्रश्न को अग्राह्य करता हूं । बजट भाषण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की पुत्रियों की शादी में दी जाने वाली अनुदान राशि को दुगुना करने का उल्लेख है । चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए लेवी से छूट जारी रखने का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है परन्तु यह नीति पहले से चली आ रही है ।

शासन में कुछ वर्ग के लिये 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष अर्हता निर्धारित करने की जो बात है, यह नीति से सम्बन्धित विषय हो सकता है, परन्तु यह सूचना स्पष्ट नहीं है इस सूचना में यह नहीं कहा गया

है कि मंत्री-परिषद् की बैठक किस दिन हुई और मंत्री-परिषद् के निर्णय की तथाकथित घोषणा सदन के बाहर कब हुई यह सूचना एकदम अनिश्चित और अस्पष्ट है इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग संबंधी द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या–5 को चौथे बुधवार के तारांकित प्रश्न सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या–5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रश्न में मैंने पूछा था "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उसके दुरुपयोग से बचने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का केन्द्र सरकार को संस्तुति करने का कोई विचार है, यदि हां, तो उसके मुख्य विन्दु क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इस प्रश्न के उत्तर में न तो विभिन्न जनपदों से कोई आंकड़े मंगवाने थे और न ही यह सूचना मंगवानी थी कि किस-किस तिथि को कहां-कहां पर इसका दुरुपयोग हुआ है और कितने मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। सरकार को केवल दो लाईन का जवाब देना था। मान्यवर, इस अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जो जुल्म हो रहे हैं, उसे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने भी मान लिया है। क्योंकि पिछले दिनों, जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो उस समय बी० जे० पी० के कई माननीय सदस्यों ने आदरणीय सदन में अपने उद्गार व्यक्त किये और कहा कि हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, हमारे परिवार के ऊपर मुकदमा चल रहा है और निर्दोष लोगों को इस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रताड़ित किया जा रहा है और यह बात साबित हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

अभी साबित करने वाली बात प्रश्न के उत्तर में कहां से आ गई ?

श्री राम औतार शाक्य–

दो लाईन का इसका जवाब था परन्तु इसे चौथे बुधवार को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इससे लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वैसे भी आप देखें चौथा बुधवार आने वाला भी नहीं है क्योंकि 12 तारीख को हाऊस समाप्त हो जायेगा। इसी तरह से एक प्रश्न और है जो संख्या–6 पर लगा हुआ है, उसे 7वें मंगलवार को स्थानान्तरित कर दिया गया है और प्रश्न संख्या–9 को 8वें मंगलवार को कर दिया गया है। मान्यवर, विधान सभा किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती है हम सभी लोग यहां पर 14 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रश्नों को स्थानान्तरित कर हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी हठधर्मिता व जानबूझकर यदि सरकार विधायकों के हक को मारती है तो यह केवल एक विधायक का अपमान नहीं है अपितु पूरे सदन का अपमान है और पूरे प्रदेश की जनता का अपमान है। इसलिए इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य-एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जैसा कि इस पीठ से समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि प्रश्नों के बारे में औचित्य का प्रश्न नहीं बनाया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य की जो चिन्ता है यह टोटल आपके निर्णयाधीन है । आपका विनिश्चय होता है कि कब प्रश्न लिया जायेगा । सरकार केवल आपसे अनुरोध कर सकती है कि इन कारणों से जवाब नहीं दे सकती है और उसको देखने के बाद निर्णय लेने का आपको अधिकार है । जो चीज आपके नियंत्रणाधीन है उसके संबंध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । इसलिए किसी प्रकार से यह नियम 300 में नहीं आता है । इसलिए इसे आप अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । परन्तु मैंने पहले ही अपेक्षा की है कि प्रश्नों के उत्तर यथासंभव समय के अन्दर आ जाना चाहिए ।

चौथी सूचना श्री सरदार सिंह की है ।

जनपद आगरा में अधिकारियों द्वारा सिंचाई विभाग में किये गये घोटाला विषयक प्रथम सत्र 1997 में दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का पूर्ण एवं अन्तिम उत्तर दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सरदार सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना नियम 301 की सूचना से संबंधित है । गत सत्र में आपकी कृपा से मेरी सिंचाई से संबंधित सूचना स्वीकार हो गयी थी । मैंने जो अब सूचना दिया है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि मांटब्रांच गंगा नहर, और आगरा नहर एवं लोअर आगरा कैनाल आगरा के अधिकारियों द्वारा किये गये सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराने और संबंधित रजबाहों, माइनरों एवं नालों की सिल्ट सफाई कराने संबंधी है । तो अधिकरियों द्वारा सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया गया है इसके संबंध में मंत्री जी ने 10 जून, 1997 को उत्तर दिया है । सिंचाई मंत्री जी के उत्तर में यह भी है उन्होंने मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुए, मथुरा आगरा में अधिकारियों ने सिंचाई विभाग में जो घोटाले किये है, उसकी जांच के आदेश मुख्य प्राविधिक परीक्षक से कराने के आदेश दिये हैं ।

मान्यवर, मैं इसमें चाहता हूं कि पूर्ण उत्तर मिलना चाहिए चूंकि मामला गंभीर है और मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है । लेकिन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और वे अधिकारी वहां रहकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं । मान्यवर, मांट ब्रांच गंगा नहर, अपर आगरा नहर एवं लोअर आगरा कैनाल में पानी टेल तक नहीं पहुंचता है जिससे यहां का किसान तबाह हो रहा है । मैं चाहूंगा इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप पूर्ण उत्तर दिलवाएं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस नियम 301 की सूचना के संबंध में जो माननीय सदस्य ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है, तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप की पीठ से 1985–89 तक जो संकलन है उसके पृष्ठ 180 पर देखें तो नियम 489 में जो रूलिंग है उसके अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत दिये गये विषय को नियम 300 में नहीं उठाया जाना चाहिए । चूंकि नियम 301 में जो सूचना दिया था उसका उत्तर आ चुका है । मान्यवर, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है, किसी घपले के बारे में और माननीय सदस्य जांच के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां जो संबंधित अधिकारी है जिसके कारण यह गड़बड़ी हुई है और वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसे वहां से हटा दिया जायेगा । चूंकि सरकार निष्पक्षता चाहती है । इसलिए हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं । इस प्रकार यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

जिला योजना का धन शासन द्वारा सीधे गांवों को स्थानान्तरित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, यह पूरे जनपद से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष–

यह दूर-दूर तक नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इससे कहां विधान सभा का कार्य विनियमित हो रहा है। इसे आप किसी दूसरे नियमों के अन्तर्गत उठायें। विपक्ष के लोगों के पास तो नियम–56, नियम–51 और नियम–301 होता है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लें। श्रीमन्, जिला योजना का गठन 1982 में हुआ और उसमें अपेक्षा की गयी कि जो उसके मानक थे इसका निर्धारण सांसद और विधायक करेंगे। लेकिन श्रीमन्, जब से यह सरकार आयी है तब से यह हो नहीं रहा है। श्रीमन्, जिला योजना का पैसा सीधे शासन से निर्देशित कर दिया जाता है कि अमुक धन को यहां पर खर्च कर दिया जाय और नियोजन से ऐसे आदेश भी हुए हैं 28 फरवरी को। श्रीमन् जिला योजना में दो सेक्टर हैं। एक सामान्य योजना और एक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है। इसमें क्या हो रहा है, मान्यवर, नियमतः सामान्य योजना के पैसे को सामान्य में रखा जाय और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का जो 21.5 प्राविधान है, को जो अम्बेदकर गांवों में या अनुसूचित जाति या जनजाति के गांव हैं, उसमें खर्च करने का है। तो जो 21.5 प्रतिशत है उसको देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो सामान्य योजना का जो 50 प्रतिशत पैसा है उसको ले लिया जा रहा है। जो सामान्य गांवों या सामान्य लोगों को मिलना चाहिये था उसमें कटौती की जा रही है। जो जिला योजना से पास किया जाता है, वह नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें आपकी बात आ गयी है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, बस एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें विधायकों और सांसदों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, गाजीपुर में पिछली बार 14 राजकीय ट्यूबवेल स्वीकृत किये गये थे और उनको अम्बेदकर गांवों में लगा दिया गया। एक भी ट्यूबवेल को सामान्य गांवों में नहीं लगाया गया। मैं चाहूंगा कि दो चार ट्यूबवेल की किसी तरह से वहां पर व्यवस्था हो जाय। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का जो 21.5 प्रतिशत है वह तो उनको दिया जाय लेकिन जो सामान्य योजना के तहत जिला योजना से पैसा आता है पास होकर के, उसे सामान्य योजना के गांव में खर्च किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आपकी यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है। यदि आप चाहें तो इसे किसी दूसरे सुसंगत नियमों में दे सकते हैं। अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी की आश्वासन से संबंधित है। इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कल ही कोई अधिकारी जायेगा और मैं कल ही कार्यवाही से अवगत करा दूंगा।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैंने अधिकारी को भेजा है। उसने जाकर सैम्पुल ले लिया है और इसका विश्लेषण करने में पांच दिन का समय लग जायेगा उसके बाद जो रिपोर्ट आयेगी मैं अवगत करा दूंगा।

जनपद फैजाबाद स्थित के० एम० शुगर मिल मसौधा परिक्षेत्र में अल्कोहल फैक्ट्री से प्रदूषण उत्पन्न होने के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा० संसदीय कार्यमंत्री के आश्वासन विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, 28 जुलाई, 1997 को नियम 56 में यह सवाल उठाया गया, कि सैकड़ों गांवों में प्रदूषित पानी फैल गया है, धान की फसल सूख रही है, मोहम्मद आजाद नामक एक बच्चा प्रदूषण की गैस से मर गया। खेतों में धान इसलिये नहीं लगाया जा रहा है कि कहीं पैर न सड़ जायें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मामला गम्भीर है और कल ही अधिकारी को भेजा जायेगा और कल ही कार्यवाही से अवगत कराऊंगा। यह कार्यवाही निकाल लें और देख लें, मा० मंत्री जी ने अक्षरशः यही कहा है और नहीं कहा, तो कह दें कि नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि अधिकारी को भेजा गया है।

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को आग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री अमर मणि की है। यह सूचना तो काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। यह नियम 300 में किसी प्रकार से नहीं आती है।

ब०स०पा० तथा भा०ज०पा० की सरकार को छः–छः महीने चालाये जाने के समझौते से उत्पन्न स्थिति विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री अमर मणि–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन तो लें। मान्यवर, यह सदन से जुड़ी हुई सूचना है। आप देखें, कई दिनों से हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्यगण जो एक ही जाति और धर्म के हैं, उन लोगों ने अलग से बैठक की है। बसपा के भी सदस्य हैं उन्होंने उस बैठक में भाग लिया है और इस बात को तय किया है कि सदन पूरे पांच साल किस प्रकार से चले। भारतीय जनता पार्टी और बसपा में समझौता हो गया है कि 6 महीने आपका मुख्य मंत्री रहेगा और 6 महीने आपका मुख्य मंत्री रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई समझौता सदन में नहीं हुआ है।

श्री अमर मणि–

मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, आप जानते हैं कि 1989, 1991 और 1993 की तरह अंशकालिक तो नहीं है। पूरे के पूरे सदस्य किसी जाति या धर्म के इस तरह की बैठक न करें, यह बात सदन में तय हो जानी चाहिये। मान्यवर, हम चाहते हैं कि 5 साल तक कोई भी लोकतांत्रिक सरकार चले और हम लोग 5 साल तक विधायक रहे, हम यह चाहते हैं और कोई चुनाव न लाद दिया जाये। यह औचित्य का सवाल है, इस पर आप चर्चा करा दें। कौन सा ऐसा आधार है, जिस पर यह सदन अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इसको आग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री मित्रसेन यादव की है। यह सूचना किसी भी प्रकार से नियम 300 में नहीं आती है। इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अयोध्या तथा फैजाबाद के तीर्थ स्थलों के शान्त और सौहार्दपूर्ण वातावरण को विषाक्त बनाये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, विषय बहुत गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सुसंगत नियमों में सूचना दें ।

श्री मित्रसेन यादव–

आप इसे नियम 56 में परिवर्तित कर दें । मेरी गुज़ारिश थी इसमें नहीं तो 56 में स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचनाओं का चयन हो गया है । नियम 56 में शलाका निकल गई है । अब दूसरे दिन इसी सुसंगत नियम में दे दें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मेरी एक सूचना थी जो बहुत जरूरी है और जनहित की है । मेरे क्षेत्र मलिहाबाद एवं उसके अगल-बगल के गांवों में हैजे का प्रकोप बहुत जोरों से फैल रहा है । अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अगर तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो पूरा प्रदेश इस महामारी के संकट में पड़ जाएगा । मैं चाहता हूं कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आने दीजिये इसमें तो आपकी सूचना है ही नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि–

(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई 1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 जुलाई, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जुलाई,

---

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 जुलाई, 1997 को वापस प्राप्त हो गया ।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में जानकारी

श्री प्रमोद कुमार–

श्रीमन् सभी दलों के माननीय सदस्यों ने एक लिखित सूचना माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की दी है । जो एक विशेष घटना के संबंध में है, उस संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई हम जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उसका परीक्षण हो रहा है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 1 अगस्त, 1997 से 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 31 जुलाई, 1997 को सदन के लिये निर्धारित अनुदान संख्या–22 खेल विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 4 अगस्त, 1997 को निर्धारित विभागों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व तथा दिनांक 1 अगस्त, 97 के लिये निर्धारित अनुदान संख्या–85 सूचना विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 12 अगस्त, 1997 के लिये, निर्धारित विभागों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रखा जाय ।

2–वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा यदि पहले प्रारम्भ न हुई हो, तो अपराह्न 2-30 बजे से प्रारम्भ की जाय ।

3–सदन के दिनांक 1 अगस्त, 1997 से 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप से निर्धारित किया जाय :–

अगस्त, 1997

1 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
2 शनिवार	(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घंटे की चर्चा :– "इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।" (3) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–2 घण्टा ।

3 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

4 सोमवार — (1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 — आधा घण्टा

(ख) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 —— आधा घण्टा

(2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(3) गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी/प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अश्लीलता व दुर्व्यहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा —— एक घण्टा ।

(4) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क तथा अध्ययन शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना पर सदन में हुए वक्तव्य के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत ग्राह्य की गयी सूचना पर चर्चा । —— आधा घण्टा ।

(5) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाये ।"

5 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

6 बुधवार

7 गुरुवार

8 शुक्रवार — बैठक नहीं होगी ।

9 शनिवार

10 रविवार

11 सोमवार — वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

12 मंगलवार — (1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(अपराह्न 4–00 बजे तक)

(2) 4-00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

समय 1 बजकर 25 मिनट

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में दी है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना जो नियम 311 में प्राप्त हुयी थी जिसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है यह सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री नरेश अग्रवाल, श्री समरपाल श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री ओम प्रकाश, श्री मित्रसेन यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विवेक सिंह, श्री ओम प्रकाश, डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह की है । यह सूचना प्रदेश में विकास कार्यों के व्ययों में जनप्रतिनिधियों की सुनिश्चित भागीदारी हेतु विधायक विकास निधि के गठन किये जाने के बारे में है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, इसके बारे में मैंने सुबह भी अनुरोध किया था कि इस पर कुछ हम विचार कर रहे हैं । पूरे तथ्य सामने आ सकें । इसलिये आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यह सोमवार को ले लिया जाय ताकि हम समुचित उत्तर दे सकें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सोमवार को निश्चित ही आ जाय ।

श्री अध्यक्ष–

सोमवार को निश्चित आ जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, शासन की तरफ से अनुरोध आया है कि सोमवार के लिये रख दी जाय । ठीक है सोमवार को यह सभी विधायकों के लिये एक करोड़ की निधि की घोषणा कर दें तो सोमवार की जगह मंगलवार तक का समय आप दे दें । शासन विचार कर रहा है तो मंगलवार अच्छा दिन होगा उस दिन आप एक करोड़ रुपये प्रति विधायक को अपने क्षेत्र में काम कराने के लिये देने की घोषणा करें तो बहुत अच्छा रहेगा । अगर आप यह घोषणा कर देंगे तो बहुत लोकप्रिय हो जायेंगे और इधर जो आप अलोकप्रिय हो गये हैं तो फिर से लोकप्रिय हो जायेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिसकी बात मैं कह रहा हूं पूर्वांचल विकास निधि के बारे में माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह ने सूचना दी थी और आपने उसके बारे में निर्देश दिया था । मैं उसी के बारे में कह रहा हूं कि उसको सोमवार को ले लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूर्वांचल निधि के बारे में सोमवार को कुछ कर रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, बिना नाम लिये बोलने की इनकी प्रवृत्ति बन गई है । लगता है कि हम भी अपना आचरण ऐसा बनायें कि हर विषय पर बिना आपके द्वारा नाम पुकारे, या आपकी अनुमति मिले बिना ही अपनी बात कहें । इसी संबंध में मैंने व्यवस्था का प्रश्न भी आज किया था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

फिर देखिये वही प्रश्न उठ रहा है । आप लोग अनुमति प्राप्त करके बोलें तो ठीक रहेगा । मंत्री जी ने कह दिया है कि इसको सोमवार को ले लेंगे । यह नियम 311 की उस सूचना के संबंध में बात हो रही है जिसे नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । सरलीकरण के लिये संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही कि कितना स्वीकार कर पायेंगे, कितनी सुविधा दे पायेंगे इसके बारे में विस्तृत उत्तर सोमवार को दे देंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और अनुमति प्राप्त होने पर ही अपनी बात कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपकी अनुमति के बिना लोग बोल रहे हैं और मैं बोलने के लिये खड़ा हूं, आपकी अनुमति प्राप्त करने के लिये खड़ा हूं । आपकी अनुज्ञा चाहता हूं । मैं ऐसा नहीं हूं बार-बार खड़ा हो

जाऊं और बोलने लगूं। श्रीमन्, आपकी अनुमति से ही बोलूंगा। श्रीमन्, आपने एक बात कही संसदीय कार्य मंत्री इस प्रस्ताव के संबंध में कह रहे हैं कि इसको सोमवार को रख लीजिये। मान्यवर, जो सूचना है वह पूर्वांचल विकास नीति का है मान्यवर, मैं विधायक निधि के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या उसके बारे में, विधायक विकास निधि के बारे में की घोषणा सोमवार को करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैं इस प्रकार से उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

तो फिर श्रीमन्, आप इस सूचना की ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, अगर ग्राह्यता पर सुनने के बाद यह अग्राह्य या निरस्त हो गई तो फिर सोमवार को नहीं ली जायेगी। आपका इतना अनुरोध है, हठ है तो सुन लेते हैं और अग्राह्य होने पर सोमवार को नहीं सुनेंगे।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सोमवार को ही इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने सूचना दी है वह इस सूचना को दोबारा सोमवार को दे दें। उस पर पूरा विचार आ जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, इसको सोमवार को ही ले लें।

श्री अध्यक्ष–

सोमवार को लेंगे। कुंवर जी ने भी कह दिया है पांडेय जी ने भी कह दिया है तो शेष क्या बचा है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके निर्देश शिरोधार्य हैं किसी तरह की कहीं कोई शंका नहीं रह जाती है। लेकिन सोमवार को जब संसदीय कार्य मंत्री सरकार की तरफ से जवाब दें, उसमें पूर्वांचल विकास निधि को संबंधित न रखे। ऐसा न करें। पहले विधायकों की निधि का एक करोड़ रुपया, चाहे वह इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हों चाहे विरोधी दल के हों चाहे सत्ता दल के हों प्रत्येक विधायक को एक करोड़ रुपया एक वर्ष में देने की बात है उस पर सरकार का जबाब सोमवार को आएगा। मेरा निवेदन है कि कहीं ऐसा न हो सरकार सोमवार को जवाब देने के लिए खड़ी हो तो केवल पूर्वांचल विकास के लिए ही कहे।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने संज्ञान में ले लिया है ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री प्रमोद कुमार–

इनको खड़ा करके कहला दें।

मान्यवर, मुझे बहुत कटु अनुभव है मान्यवर, मैं चाहता हूं कृपापूर्वक इनको खड़ा करके आश्वासन दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है उसमें ध्यान आकृष्ट हो गया है। पहले देख लें। सरकार का दृष्टिकोण क्या होता है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

आज मान्यवर, जो आपने नियम–311 में एक सूचना थी नियम–56 में सूचना थी आपने दोनों को नम्बर–1 पर लिया है। कुंवर रेवती रमण सिंह डा० अशोक बाजपेयी और श्री ओमप्रकाश की सूचना पूर्वांचल विकास निधि के बारे में है एक सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार और श्री नरेश अग्रवाल जी की है इन दोनों को पिनप कर दिया। मान्यवर, एक दिन पूर्वांचल विकास निधि के बारे में इस सदन में आया था उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये परन्तु सहमति आपने दी थी और कहा था कि नम्बर–1 पर ले लिया जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य, इसे संगत नियमों में दे दें। सरकार की तरफ से स्पष्ट स्थिति आ जाए उसके बारे में मिलकर अनुरोध किया गया, यहां अनुरोध किया गया, जिसके बारे में यह है इसको सोमवार को ले लें तो सरकार को सारी चीजें स्पष्ट करने में सहूलियत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

सोमवार को सूचना दुबारा दे दें।

(श्री गोपाल कृष्ण, श्री मोतीलाल, श्री प्रीतम लाल के सदन में उपस्थिन न होने पर)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजमगढ़ में दो नई तहसील बनी हैं मेहनगर और निजामाबाद। मेहनगर के बारे में कुछ नहीं कहना है निजामाबाद तहसील में मेरे क्षेत्र में तहर ब्लाक को नई तहसील में जोड़ दिया गया है विधान सभा सदर आजमगढ़ में टोंस नदी है।

टोंस नदी के दक्षिण में निजामाबाद क्षेत्र है। उत्तरी भाग में मेरा क्षेत्र है। मैं कहना चाहूंगा कि ब्लाक तहवल की जनता यह नहीं चाहती कि हमको निजामाबाद में जोड़ा जाए। मैंने अपने सुझाव भी संबंधित अधिकारियों को दिया था। मगर संबंधित अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ब्लाक तहवरपुर की जनता यह चाहती है कि मेरा नाम सदर तहसील से न जोड़ा जाए निजामाबाद आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। वहां के अधिकारियों को सुझाव देने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया है। निजामाबाद तहसील में अब रानी की सराय, मिर्जापुर तीन ब्लाक को जोड़ा गया है। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र मोहम्मदपुर तहवरपुर तहसील सदर से जोड़ा जाए और रानी सराय के नदी के उत्तरी भाग में जो गांव जो मेरे क्षेत्र में आते हैं मेरे क्षेत्र के एक भी गांव को निजामाबाद में न जोड़ा जाए। जनता यह नहीं चाहती कि निजामाबाद क्षेत्र में जोड़ा जाए। इस विषय पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने जो बातें रखी हैं उसी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं वह आजमगढ़ के सदर क्षेत्र के विधायक हैं वह चौथी बार इस विधान सभा में चुनकर आए हैं। आज जो एक नई परम्परा बन गई है कि बिना बोर्ड आफ रेवेन्यू के द्वारा पुनरीक्षण कराए जिलों और तहसीलों की घोषणा कर दी जा रही है। दुर्गा प्रसाद ने जैसा कहा कि वहां पर भौगोलिक स्थिति को ध्यान में नहीं

रखा गया कि किन गांवों को किसमें मिलाया जाए । वहां पर दर्जनों ऐसे गांव हैं जो नदी के इस पार आते हैं उसे नदी के उस पार कर दिया गया तो बाढ़ जब आती है तो वहां के लोग नई तहसील में कैसे जायेंगे ? श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने जो बातें कहीं हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए सरकार को निर्देश दें कि वह इसका पुनरीक्षण करायेगी । नदी के किनारे जो पहले की तहसील में थे उन्हें वहीं बनाए रखा जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जब कोई जिला या तहसील बनाई जाती है तो वहां के जनप्रतिनिधियों की व वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार निर्णय लेती है । वहां पर बहुत दिनों से यह मांग चल रही थी क्योंकि पहले जो सदर तहसील थी, उसमें जितने ब्लाक थे आजमगढ़ और मऊ जनपद के बटवारे के बाद उस सदर तहसील में दो ब्लाक और सम्मिलित हो गए जबकि सदर तहसील पहले ही बहुत बड़ी थी जिसके कारण प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया । इस निर्णय को लेने में वहां की जनता की भावनाओं का ध्यान रखा गया है तथा निजामाबाद एक नई तहसील बनाई गई । वह तहसील वहां की पुरानी मांग है । निजामाबाद ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, वहां पर काफी प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वहां के मिट्टी के बर्तनों की देश और प्रदेश तथा विदेशों में बड़ी मांग है ।

एक तहसील बनाई गई है वहां के लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रख करके कि कहां कितना अंश किस ब्लाक का रहेगा । सभी से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया है इसलिए मैं समझता हूं कि न कोई तात्कालिकता है न तो लोक महत्व का है, लोक महत्व का इसलिए नहीं है कि लोगों की डिमांड पर तहसील बनाई गयी है इसलिए नियम 56 में कहीं से भी नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मैं इस विषय में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी और उनके सामने बात तय हुई थी कि कौन-कौन से गांव निजामाबाद तहसील में रहेंगे उस समय माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ने अपने सुझाव दिये थे और कमिश्नर ने भी इस बात को माना था कि विधायक जी जो राय दे रहे हैं वह सही राय दे रहे हैं नदी के इस पार के गांव इधर रहेंगे और नदी के उस पार के गांव उधर रहेंगे । तथा सहजपुर ब्लाक आजमगढ़ सदर तहसील में रहेगा लेकिन किसी द्वेषवश ऐसा नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात मैं इस मत का हूं कि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, चूंकि श्री दुर्गा प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से हैं इसलिए उनकी बात को नहीं माना गया । संसदीय कार्य मंत्री स्वयं आजमगढ़ के रहने वाले हैं और जानते होंगे कि 8 गांव जो पूर्व में दूसरी तहसील में थे उनको उसी में रखने से कोई मानक नहीं बदल जायेगा मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पूर्वाग्रह से काम किया जा रहा है । जहां तक नदी के इस पार के गांव हैं उनको पूर्ववत् रखने में मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और इस बात को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, वहां की जनता यह प्रस्ताव कर रही है और वह इस तहसील में नहीं रहना चाहती है उसमें रहना चाहती तो सरकार को क्या दिक्कत है। मैं आप के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जनभावना को देखते हुए इसको मान लें क्योंकि इसमें कोई व्यय भी नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रशासनिक निर्णय है जो बातें आपने कहीं हैं वह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ गई हैं।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठ जायें जब मैं कहूंगा तब बोलियेगा।

चौथी सूचना श्री अरिमर्दन सिंह की है चूंकि वह अनुपस्थिति हैं इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

पांचवी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आज नियम 56 के अन्तर्गत मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है। आप के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जबसे वर्तमान सरकार मार्च, 1997 से सत्तारूढ़ हुई है। मान्यवर, तब से इस सरकार का एक ही काम है और उत्तर प्रदेश में तमाम आई० ए० एस० व आई० पी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण कर दिये गये हैं। इतना ही नहीं, एक-एक आई० ए० एस० और एक-एक अधिकारी का एक-एक महीने में तीन-तीन बार स्थानान्तरण कर दिया गया है। इसके अलावा एक-एक जनपद में एक-एक महीने में 3-3 अधिकारी पोस्ट किये जा रहे हैं। मान्यवर, पुरानी कुछ ऐसी नीति है, पुरानी कुछ ऐसी मान्यतायें हैं, पुराने कुछ ऐसे मारेल वैल्यूज हैं कि इस प्रदेश की कुर्सी पर पं० गोविन्द बल्लभ पन्त, आदरणीय श्री चन्द्र भानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, पं० कमलापति त्रिपाठी, श्री नारायण दत्त तिवारी और माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुये हैं। उन्होंने इस प्रदेश को हमारी संस्कृति के परिवेश में, हमारी मान्यताओं के परिवेश में और कुछ नीति और रीति से इस प्रदेश को चलाने का काम किया, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से सुश्री मायावती जी इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई हैं, तब से उन्होंने अपनी सनक से इस प्रदेश को चलाने का काम किया है।

मैं इतिहास के पन्नों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इस देश में एक ऐसा भी बादशाह हुआ, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का काम किया था, लेकिन दौलताबाद में राजधानी चल नहीं पाई, जिसने अपनी सनक से काम किया था, वही सनक आज इस प्रदेश में काम कर रही है। इस सनक के चलते आज इस प्रदेश की स्थिति बड़ी डांवाडोल हैं, कोई भी अधिकारी काम करने के लिये तैयार नहीं है, हर अधिकारी के गर्दन पर ट्रांसफर की तलवार लटक रही है। जनहित के कार्य, विकास के कार्य नहीं हो पा रहा है, आई० पी० एस० अक्सर कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति यहां तक हो गई है कि सीनियर आई० पी० एस० अधिकारी, एक दरोगा से डरने लगा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे जनपद में एक बिछवा थाना है, वहां नानकराम एस० ओ० है, वहां उपाध्याय जी, एस० एस० पी० हुआ करते थे, उन्होंने एस० ओ० को लाइन हाजिर कर दिया।

इसलिए कर दिया कि उसने बदमाशों को पकड़ने का काम नहीं किया, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया, विवेचना करने का काम नहीं किया, अतः एस० एस० पी० अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये उस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिये, इस पर एस० ओ० ने धमकी दी कि मैं आपका ट्रांसफर करवा दूंगा । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि उस दरोगा का तो ट्रांसफर नहीं हुआ, वह दरोगा वापस उसी थाने में फिर चला गया, लेकिन उपाध्याय जी का स्थानान्तरण हो गया, उससे पहले वहां एक तिवारी जी थे, उनका भी स्थानान्तरण हो गया, इस प्रकार एक महीने-डेढ़ महीने में दो-दो एस० एस० पी० वहां आये और चले गये, यह सरकार की रीति नीति है ...

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गई ।

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, और यह कहा कि इस प्रदेश में अनाप शनाप स्थानान्तरण हो रहे हैं और कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है । इस प्रकार एक सलाह सरकार को दी गई थी कि स्थानान्तरण के संबंध में एक आयोग गठित किया जाय...

श्री अध्यक्ष–

संभवतः अपील हो गई और उसमें स्थगनादेश हो गया है ।

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, यह कोई जमीन जायदाद का मामला नहीं था जो सरकार इसको लागू न करती । मैं कहना चाहता हूं कि आप तो बहुत विद्वान हैं, सब जजमेन्टस आपने पढ़े होंगे, कानून पढ़े होंगे, यह तो प्रदेश हित में एक सलाह थी । इसे भले ही सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर दें लेकिन एक नैतिक अधिकार तो बनता है । मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, यह तात्कालिक प्रश्न क्यों हैं, इसलिये कि कोई भी अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, आज अधिकारी अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिये, अच्छी पोस्टिंग करवाने के लिये लखनऊ में चक्कर काटते हैं । वह अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए लखनऊ चक्कर काटते हैं मा० मायावती की कोठी के आस-पास चक्कर काटते हैं मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं ।

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा यह आक्षेप वाली बात निकाल दी जाय ।

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, जहां तक तात्कालिक और लोकमहत्व का प्रश्न है वह इसलिए है कि अनाप-शनाप ट्रांसफर हो रहे हैं और यह अपव्यय है जनता की गाढ़ी कमाई का । हजारों रुपये डी० ए० बनाने में खर्च हो रहे हैं । यह प्रदेश की जनता का अहित है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, जरूरी मामलों में अधिकारी दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं यह लोकमहत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाया, मान्यवर, आरोप लगाने की हमारी नियमावली में व्यवस्था दी गयी है । माननीय सदस्य को कोई भी आरोप लगाना हो सरकार के ऊपर लगाना हो मंत्री के ऊपर लगाना हो, मुख्यमंत्री के ऊपर लगाना हो तो नियम का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि यह सदन संविधान, नियमावली तथा मान्य परम्पराओं से चलता है और उसका समुचित उत्तर जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकें वह सरकार देने के लिए सक्षम हैं और वह सरकार देगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया, कि आक्षेप वाला अंश निकाल दिया जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस देश में जो हमारा संविधान है और जिसके तहत देश और प्रदेश चल रहा है उसमें न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी दी गयी है और अपने अधिकार है तथा कार्यपालिका को अपनी जिम्मेदारी दी गयी है और उसके अपने अधिकार हैं, विधायक की अपनी जिम्मेदारी है और उसके अपने अधिकार हैं तो जिसका जो काम है, जिसका जो अधिकार है वह अपने-अपने अधिकार और दायित्व का निर्वहन करते हैं । न्यायपालिका का जो आदेश होता है, निर्देश होता है उसका हर सरकार अनुपालन करती है, शिरोधार्य करती है । न्यायपालिका अपना काम करती है और कार्यपालिका अपना करती है इसमें कहीं कोई टकराव नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक स्थानान्तरण के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता है तो प्रदेश की गतिशील, संवेदनशील, विकासशील और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए भयमुक्त समाज की स्थापना के उद्देश्य से आई० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ।

स्थानान्तरणों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करना है, जो लुंज-पुंज व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसमें स्थानान्तरण करना आवश्यक हो जाता है जो अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ व क्षमतावान है उनकी उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठ सकता, उन्हें अच्छी जगहों पर तैनात किया गया है । जो अधिकारी अपने दायित्वों को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं उनका ही स्थानान्तरण किया गया है बाकी चुस्त और दुरुस्त प्रशासन और शासन हो सके और जो संवेदनशील प्रशासन की कल्पना है, भयमुक्त समाज की स्थापना की कल्पना है उस दिशा में कार्य हो सके । मान्यवर, अच्छे परिणामों को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है । यह सरकार प्रदेश की 15 करोड़ जनता को इंसाफ देने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो रहा है, नियम कानून के तहत और अपनी सीमा में कर्तव्य का निर्वाहन कर रही है । कृपया इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य और संसदीय कार्य मंत्री जी की सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, 63 बैच के आई० ए० एस० पड़े हुये हैं और 65 बैच के आई० ए० एस० को मुख्य सचिव बना दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब यह सूचना समाप्त हो गई है अगली सूचना मैं ले रहा हूं। श्री अरिमर्दन जी मैंने आपको बुलाया था, आप दूसरी सूचना दे दीजियेगा।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, जो इस तरह से स्थानान्तरण हो रहे हैं और नियुक्तियां हो रही हैं इसके विरोध में हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश व समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट जी की है। अगली पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना है। श्री गौरी शंकर जी की सूचना प्रदेश में हैजा कालरा एवं गैस्ट्रो जैसे संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यही सूचना श्री कौकब हमीद व अन्य की है। दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी व अन्य की जनपद गौतम बुद्ध नगर की तहसील दादरी के राजस्व ग्राम रसूलपुर में ग्राम समाज की भूमि के गलत आवंटन के संबंध में है।

माननीय गौरी शंकर एडवोकेट व माननीय कौकब हमीद व अन्य की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं लेकिन किस दृष्टि से शासन इस समस्या को देखे उस पर माननीय गौरी शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैं ग्राह्यता पर नहीं सुन रहा हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मलिहाबाद और पो० महोना विधान सभा क्षेत्र के बीच में गोमती नदी के किनारे बसाया हुआ गांव अकडेरिया कला है। मान्यवर, क्या संयोग है एक तरफ मायावती जी मुख्यमंत्री हैं दूसरी तरफ वहीं गांव अकडेरिया कला के एक गरीब रघुनन्दन की पत्नी मायावती हैजे की शिकार हुई, दस्त-उल्टी से ग्रस्त हो जाने के बाद वे मर गई, उसकी बेटी मर गई और इस संक्रामक रोग के चलते दो और बच्चे मर गये, पांच लोगों की इसमें मौत हो गई लेकिन राजधानी का विषय होते हुये भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी है, वहां भय और आतंक से लोग पीड़ित हैं कि कौन कब हैजे का शिकार हो जाय लोग भागकर लखनऊ आ रहे हैं। वहां पूरी तरह से लोगों में आतंक व्याप्त है।

इस प्रकार मान्यवर, पूरे प्रदेश में हैजा फैल जायेगा। हम राजधानी में बैठकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कब किसके उल्टी हो जाये और कौन उल्टी होकर मर गया। वैसे तो मान्यवर, उल्टी होना बहुत अच्छी बात है, परन्तु यहां एक मायावती उल्टी होकर मर गई। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि इस हैजे की रोकथाम के लिएं अविलम्ब व्यवस्था की जाय ताकि यह पूरे प्रदेश में फैलने न पाये।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश से गैस्ट्रो, हैजा व कालरा की शिकायतें मिल रही हैं और सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी हैं । इसलिए सरकार अविलम्ब इसकी रोकथाम के लिए व्यवस्था करे, ऐसे निर्देश मैं आपकी पीठ से चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हैजा, कालरा, गैस्ट्रो, जिस किसी भी नाम से आप इसे पुकारते हों, इसके फैलने की लोगों को आशंका है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए समुचित निर्देश आप संबंधित अधिकारियों को दें । अब मैं अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की ले रहा हूं ।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र के जोर-ज़ोर से चिल्लाने पर व्यवधान)

माननीय श्री मिश्र जी आप कृपा करके बैठ जायं । हर चीज की सीमा होती है । आप एक वाक्य में इसे समझ लीजिये । माननीय श्री ओम प्रकाश जी आप तो दल के नेता है, श्री मिश्रा जी को समझाइये ।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र लगातार खड़े रहे और जोर-जोर से कुछ कहने लगे–व्यवधान)

श्री मिश्र जी, आप एक बात स्पष्ट सुन लीजिये । हर चीज की एक सीमा होती है । कहीं ऐसा न हो कि मुझे आपको इंगित करना पड़े । मैं चाहता हूं कि आप एक अनुशासित माननीय सदस्य की भांति रहें और उसी के अनुरूप आपका व्यवहार रहे । मनोरंजन का साधन न बनिये लोगों का ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जी आपकी सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है परन्तु किसी एक विशेष दृष्टि के साथ आप अपनी एक बात कहना चाहते हैं, इसलिए एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें । मैं ग्राह्यता पर आपको नहीं सुन रहा हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर के तहसील दादरी के एक ग्राम राजपुरराय अति महत्वपूर्ण मामले की तरफ आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर शासन, प्रशासन और भू-माफिया तीनों निरंकुश हो गये हैं । वहां का प्रशासन नियम व कानूनों को ताक पर रखकर जिसको चाहे पट्टे दे रहा है और ऐसे लोगों को पट्टे दिये गये हैं, जो पहले ही ग्रेटर नोएडा से मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं । तहसीलदार को गलत तरीके से भूमि विनाश अधिनियम का 122वीं की धारा 4(1) का लाभ दे दिया, जबकि उनको अधिकार नहीं है एस० डी० एम० के पास फाइलें जानी चाहिए थीं । जो नहीं भेजी गयी है ।

सारे अमल दरामद तहसीलदार के आदेश से हो गये हैं और करोड़ों रुपये मुआवजा दिया जा रहा है । इसमें दलितों का उत्पीड़न दलितों द्वारा ही किया जा रहा है । यह उचित नहीं है और उनके हक में ऐसा करना ठीक नहीं है । मान्यवर, इसके बाद ग्राम सभा के पुर्नस्थापना प्रार्थना-पत्र में उच्च मदों में तो उसमें दिनांक 6 मई, 1997 को तहसीलदार, दादरी ने निरस्त कर दिया । मान्यवर, सारे नम्बर में 44 बीघा जमीन है जिसका करोड़ों रुपये मुआवजा बंट रहा है । इसमें अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है । इसलिए यह लोकमहत्व का प्रश्न है । मान्यवर, जिन अधिकारियों ने निरंकुश होकर निर्णय लिये हैं ऐसे अधिकारियों को निलम्बित किया जाय ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह और श्री राजाराम पाण्डेय की है । जनपद प्रतापगढ़ में माननीय सदस्यों की सहमति पर पेयजल, पूर्वांचल जिला योजना में निश्चित सहभागिता को अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इस सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं भी 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास सचिव ग्राम विकास सचिव तथा योजना आयोग के सचिव द्वारा समय-समय पर जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके जनपदों में विधान सभा के सदस्यों की सहमति से उनके विधान सभा क्षेत्रों में हैण्डपम्प निर्गत और स्थापित किये जाने चाहिए । मान्यवर, प्रतापगढ़ में इसके विपरीत अधिकारी अपने मनमाने ढंग से हमारे यहां हैण्डपम्प बेंचे हैं और अमीरों के यहां हैण्डपम्प लगाए गये हैं ।

दलितों के यहां, पिछड़े वर्गों के यहां, गरीब लोगों या अल्पसंख्यकों के यहां पर नहीं लगाये गये हैं । तमाम उदाहरण हैं । पूर्व मुख्य विकास अधिकारी सीधे आदेश कर देते थे कि फलां की राय से हैण्ड पम्प लगा दिया जाय । उसमें यह विधायकों की ग्राम प्रधानों की राय नही लेते हैं और निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है । माह जनवरी 1997 में डी० आर० डी० ए० की एक बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि हैण्ड पम्प विधायकों के परामर्श से लगाये जायेंगे और इस संबंध में मैंने एक सूची दी है जिसमें गरीबों के यहां और सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जाने को कहा है लेकिन उसके विपरीत मुख्य विकास अधिकारी सीधे आदेशित कर रहे हैं । मैं इस [x x x] से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह गरीबों के प्रति संवेदनशील सरकार है, दलितों के प्रति संवेदनशील सरकार है तो यह गरीबों के यहां हैण्ड पम्प लगवाये । मान्यवर, वहां पर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी है । समाप्त करें ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि जो अधिकारी मनमाने ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंह जी, इस प्रकरण पर सोमवार को सुन लूंगा । क्योंकि सोमवार को यह प्रकरण आ रहा है ।

(व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया बैठ जायें । मैंने कहा है कि सोमवार को यह प्रकरण आ रहा है तब अपने विचार रख लीजियेगा । माननीय गौरी शंकर जी आप बैठ जायें । माननीय सदस्य प्रतापगढ़ आप भी बैठ जायं । आप तो सत्ता पक्ष के हैं । आपको जो कुछ कहना है वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखकर दे दें । अब मैं अगली सूचना जो कि माननीय रघुबर दयाल

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वर्मा जी की जनपद फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।

(रघुबर दयाल वर्मा जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप तो वरिष्ठ हैं।

मैंने इस संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट का मौका दे दें। मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद में पांच नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजना में जिन टंकियों को यहां पर लगाया है उसकी टंकियों में पक्षियों की बीट पड़ी है, कीड़े पड़े हुए हैं और पानी बुरी तरह से सड़ गया है। उसमें बदबू आ रही है। मान्यवर, करवला मुहल्ले में पानी में से कीड़े निकल रहे हैं। इसकी दो वर्ष से सफाई नहीं हुई है।

बदबू आ रही है। श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने सूचना दी है, उस पर परीक्षण करा लें और शासन को निर्देश कर दें कि कम से कम क्लोरिन वहां पर डलवा दें और सफाई के लिये ध्यान दें और जो अधिकारी दोषी पाये जायें, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन की सूचनायें समाप्त हुई।

दिलीप होटल हुसैनगंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुये गोलीकाण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग (जारी)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, डा० अशोक बाजपेयी जी ने एक सूचना अभी भेजी है, जो तात्कालिक है। लखनऊ में जंगल का राज्य हो गया है। चार लोग मार दिये गये हैं। राज होटल के सामने चार लोग मार दिये गये हैं। यह तात्कालिक है।

श्री ओम प्रकाश–

आधुनिक हथियारों से मारा गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी जानकारी करता हूं। मैं अभी संसदीय कार्य मंत्री से कहता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

हम लोग यहां पर बैठे हैं और वहां पर गोली चल रही है, चार लोग मारे जा चुके हैं। कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है। यह सरकार फेल हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठे।

आपने एक घटना की सूचना दी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसके बारे में सूचना एकत्र कर लें और सदन को बता दें। इसमें कुछ समय तो लगेगा ही।

(व्यवधान)

डा० अशोक बाजपेयी–

अभी भी वहां पर गोली चल रही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आप सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित कर दे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसको मैं संज्ञान में लेता हूं । मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दे रहा हूं कि कृपया वह जानकारी प्राप्त करके इस सदन को दें कि क्या बात है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ए० के० 47 से मारा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान में हमें ही नहीं सुनाई पड़ रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप अनुमति दें और एक-एक को सुन लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आज ही इस सरकार की छुट्टी हो जानी चाहिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपको हम लोगों ने डा० अशोक बाजपेयी जी ने और माननीय ओम प्रकाश जी ने और अवधेश प्रसाद ने अविलम्बनीय सूचना दी है । विधान सभा से 200 मीटर की दूरी पर राज होटल के पास दिन दहाड़े विधान सभा रोड पर गोली चल रही है । घर पर फोन किया था तो पता चला कि उधर से आवागमन अवरुद्ध है और लखनऊ में सनसनी फैल गयी है और चार लोग मार दिये गये हैं, लखनऊ में ऐसी घटना हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है ।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

आज पूरे प्रदेश में जंगल राज्य हो गया है बार-बार संसदीय कार्यमंत्री कहते हैं कि हमने कानून का राज्य स्थापित किया है हमारा कहना है कि यहां जंगल राज्य चल रहा है । दिन दहाड़े यहां से दो सौ मीटर की दूरी पर चार आदमियों को मार दिया गया जिसमें ए०के० 47 का प्रयोग हो रहा है । ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं, आज तक एक भी अपराधी को सरकार नहीं पकड़ पाई है । (व्यवधान) एक भी अपराधी को सरकार जेल में बन्द नहीं कर पाई है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने कहा घटना के बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा० अशोक बाजपेयी–

आज पूरे लखनऊ का जनजीवन त्रस्त है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी को सूचना एकत्रित करने देंगे कि नहीं । वह अपने साधनों से सूचना प्राप्त करेंगे । (व्यवधान) मैंने निर्देश दिया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

घटना की जानकारी हम दे रहे हैं, यहां विधान सभा चल रही है और यहां से बिल्कुल पास ही यह घटना घटी है । पूरा प्रदेश ऐसी घटनाओं से त्रस्त है । अभी जौनपुर से श्री पारसनाथ जी को टेलीफोन आया है और पूछा है कि आप सुरक्षित हैं या नहीं । (व्यवधान)

इतनी बड़ी घटना सरकार के सामने हो गई है इस सरकार का कोई अंकुश अपराधियों पर नहीं रह गया है । अपराधी निरंकुश हो गये हैं । अभी परसों 8 आदमी बाराबंकी में मारे गए और इसी तरह हरदोई में मारे गये (व्यवधान) इस सरकार के इस्तीफे की हम मांग करते हैं । (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

100 गज की दूरी पर यह घटना हुई है। (व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल सदन के मध्य आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

(व्यवधान)

आप अपना स्थान ग्रहण करें पहले शान्ति बनायें। (व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल के स्थान ग्रहण करने पर)

संसदीय कार्य मंत्री जी से मैंने सूचना मांगी है। (व्यवधान)

उन्हें जानकारी तो प्राप्त कर लेने दें। (व्यवधान)

इतने व्यवधान में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार–

यहां के डी० आई० जी० कश्मीरा सिंह का कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं रह गया है। वह मुख्य मंत्री की सेवा में लगे रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 3.00 बजे तक स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के स्थगित कर दी)

3 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कितने लोग मारे गये ? एक व्यक्ति मारा गया है और सदन स्थगित होने से पहले चार व्यक्तियों के मारे जाने की बात हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में संयम की आवश्यकता होती है। अभी सदन में कहा गया था कि दो बजकर 25 मिनट पर कि अभी भी वहां पर गोली चल रही है। यह घटना किस समय की है ?

(व्यवधान)

हमने संसदीय कार्य मंत्री से इस विषय में सूचना मांगी थी वह सूचना देंगे।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आज पूर्वाह्न करीब 10 बजकर 10 मिनट पर यह घटना दिलीप होटल की है। होटल में चार लोग विवेक शुक्ला, भानु प्रकाश, उमाशंकर और रमाकान्त गोरखपुर से आकर रुके हुये थे। 10 बजकर 10 मिनट पर दो व्यक्ति वहां पहुंचे और घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने ए० के० 47 से फायर किया जिसमें एक आदमी विवेक शुक्ला की मृत्यु हो गयी और बाकी तीन लोग घायल हो गये। जिन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये हैं और अब स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है। यह गंभीर मामला है इस पर सारी आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है। इसको गंभीरता से लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से इतना निवेदन है कि कभी-कभी संवेदनशील मुद्दे होते हैं। संयम से काम लेना चाहिए। भावुकता के भाव में 2 बजकर 25 मिनट पर कहा गया कि वहां पर अभी भी गोली चल रही है। और चार लोग मारे गये हैं। मेरा कहना है कि जब तक सूचना की विश्वसनीयता स्थापित न हो जाय, उस विषय में नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम बिशुन आजाद–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । मैं इस विषय पर किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जाइये । स्थान ग्रहण करिये । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पुलिस वहां मौके पर पहुंच गयी और कैसरबाग थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम बिशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये । यह लिखा नहीं जा रहा है । आप अनिश्चित काल तक बोलिये । कुछ लिखा नहीं जायेगा । आप बैठ जाइये । कितने घंटे बोलेंगे आप । आप कितना समय बोलने में लेंगे बतायें । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री राम बिशुन आजाद–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री ओम प्रकाश–

यह गम्भीर सवाल है इस पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब मुझे यह बतायें कि इस सदन को गुमराह करने के लिये किस-किस को नोटिस दी जाए । यह कहा गया कि 2 बजकर 25 मिनट तक गोली चली है तो इसमें किस-किस को नोटिस दिया जाए ?

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों के लिये मतदान ,अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) अनुदान सं०–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (जारी)

श्री अध्यक्ष–

समाज कल्याण मंत्री जी आप चारों अनुदानों को एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम पाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,14,60,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान)

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,28,81,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,19,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें । आप लोग बैठ जाएं ।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री जगदम्बिका पाल आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,07,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान)

दिलीप होटल हुसैनगंज लखनऊ में दिनदहाड़े हुए गोली काण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग (जारी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

सब जगह जंगल राज कायम हो गया इस तरह से नहीं चलेगा ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गरीबों, मजलूमों और समाज के गरीब तबके के लोगों के लिये, उनके कल्याण के लिये .....

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

* श्री राम विशुन आजाद–

इस प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है । लखनऊ में एक०के० 47 से हत्या कर दी गई ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

यह सरकार [x x x] को बढ़ावा दे रही है । यह सरकार [x x x] लोगों की सरकार है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री मिश्र जी कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

(श्री राम विशुन आजाद व श्री धर्मज्ञ मिश्र द्वारा अपना स्थान न ग्रहण करने पर)

श्री राम विशुन आजाद व श्री धर्मज्ञ मिश्र का सदन से निष्कासन

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 के उप नियम (1) के अन्तर्गत श्री राम विशुन आजाद व श्री धर्मज्ञ मिश्र को निर्देश देता हूं कि वह सदन के बाहर चले जाएं ।

कृपया सदन के बाहर चले जाएं ।

श्री राम बिशुन आजाद व श्री धर्मज्ञ मिश्र के सदन का त्याग न करने पर ।

श्री अध्यक्ष–

श्री धर्मज्ञ मिश्र व श्री राम विशुन आजाद आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार वेल में रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 4.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही तत्पश्चात् 3 बजकर 40 मिनट पर 4 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 4.00 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक बढ़ा दिया है ।

5.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।

दिलीप होटल हुसैन गंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोली काण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग (जारी)

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

* श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिन्दु पर सुनने की आज्ञा दी । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे केवल अध्यक्ष ही नहीं हमारे संरक्षक भी हैं और हमारे शिक्षक भी हैं । मान्यवर, आज सुबह से मैं देख रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा न लीजियेगा, आपका कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गुस्सा ज्यादा है, आपका गुस्सा तो हमारा सत्यानास ही कर देगा ।इसलिये हम चाहते हैं कि आपको कभी गुस्सा न आये । मैंने आज सबेरे आपका गुस्सा देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ ।

"निन्दन्तु नीति निपुणा, यदिवा स्तीवन्तु ।
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं ।
अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेवा,
न्यायात पथात प्रविचलन्ति पदम् न धीराः ।"

मान्यवर, आप धीर हैं, आप गम्भीर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जिस अध्यक्ष पीठ के प्रति आप लोग इतना सम्मान करते हैं उस अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश दिया गया है, उसका अनुपालन करा दें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, उसका पालन करेंगे लेकिन आप मेरी बात सुन लें । आपने हमारे 2 माननीय सदस्यों को निर्देश दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

उसका अनुपालन करा दीजिये नहीं तो वह निर्देश निरर्थक हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह जो कुछ कह रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कतिपय सदस्य श्री धर्मज्ञ मिश्र को, अनुरोध कर, सदन की लांबी में ले गये)

श्री बाबू राम यादव–

आज सुबह दो माननीय सदस्य आपके द्वारा इंगित किये गये मुझे रोमांच हुआ कि माननीय अध्यक्ष जी कुछ गुस्से में हैं । आप गम्भीर हैं .....

श्री अध्यक्ष–

इसे छोड़कर दूसरी बात करिये वह प्रकरण समाप्त हो गया ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस तरह से फैसला न लीजिये, पीठ पर यह आक्षेप नहीं है, मेरी राय है । अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें बुलाकर कक्ष में आप डांट देंगे तो ठीक हो जायेगा । पाल साहब ने व्यवस्था उठाई कानून व्यवस्था की, अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में विधान सभा सत्र के दौरान किसी भी मुख्य मंत्री के समय में ए० के० 47 रायफल प्रयोग नहीं हुई, पाल साहब ने सूचना दी आप गुस्सा हो गये, गोली वहां चल गयी, आप पाल साहब पर गुस्सा हो गये और कह दिया कि किसको नोटिस देंगे सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

नोट :–[xxx] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, कृपया एक मिनट बैठ जाएं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जब यहां सूचना दी, तो माहौल एकदम शान्त था, एक माननीय सदस्य बीच में खड़े होकर बोलने लगे तब भी शान्त था फिर उनके साथ माननीय सदस्य एक और आ गये । मैं सराहना करूंगा शेष माननीय सदस्यों के व्यवहार की सब पूरी तरह शान्त पूर्वक बैठे रहे, फिर जो लोग खड़े हो रहे थे, मेरे निर्देश के बाद बैठ गये मैंने सोचा कि यह प्रकरण समाप्त हो गया । मैंने दूसरी बजट की मद ले ली, मंत्री जी खड़े हो गये । फिर कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात जारी रखी । दो माननीय सदस्य शोर मचा रहे थे उसकी प्रतिक्रिया में यह कहा गया कि सदन को गुमराह करने के लिये किस-किस को सूचना दी जाय, उसके पीछे भाव तो होता नहीं, अपने को असहाय उस समय पाया, उसके पीछे कोई भावना नहीं थी, किसी को दंडित करने का इरादा नहीं है । मैं अपनी विवशता को प्रकट कर रहा था । एक सूचना आई, मैंने सदन को स्थगित कराया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहा कि सूचना मंगवाइये, जब कई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो पीठ पर सुनाई नहीं देता है । मैंने अगली मद संख्या पुकार ली थी माननीय मंत्री जी अपनी बात कह रहे थे, मेरे कहने पर कई माननीय सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण भी कर लिया था, मैंने मंत्री जी को अनुमति दे दी थी और उन्होंने बजट पर बोलना शुरू कर दिया था । अब अगर काफी संख्या में माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा पीठ को, हमारे रिपोर्टर्स को सुनाई नहीं पड़ेगा,न सदन के दूसरे माननीय सदस्यों को सुनाई पड़ेगा । कभी-कभी मैं अपने को असहाय पाता हूं तभी प्रतिक्रिया होती है । माननीय श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की सूचना शलाका में नहीं आई मैंने उनसे कहा कि कल दे देंगे किसी न किसी नियम में मैं प्रयास करूंगा उसे शामिल करने का । लेकिन अगर इस तरीके से कार्यवाही में बाधा होगी तो कोई पसन्द नहीं करेगा । सत्ता पक्ष, न और कोई भी पसन्द करेगा । मैं अभी प्रशंसा कर रहा था कि अभी उतनी अच्छी तरह से कार्यवाही सदन की चली जिसके कारण मैं बजट की मद पर आ गया । तो कोई मुझे गुस्सा नहीं है और न किसी से कोई दुश्मनी है । लेकिन कभी-कभी विवशता हो जाती है जिससे ऐसा करना पड़ता है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने कहा कि हम असहाय हैं तो यह शब्द मुझे अच्छा नहींलगा । हम सब 425 विधायक सब आपके पीछे खड़े हैं इसलिये आप असहाय नहीं हैं ।

आपने यह भी कहा–हम आगे बढ़ गये और उस समय हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे लेकिन तब तक आप आगे बढ़ गये थे । मान्यवर, वैसे भी यह सदन थोड़े दिन चल रहा है । हम लोग इतना भय महसूस कर रहे हैं कि आप देखें रोज यहां लखनऊ में राजधानी में एक इंजीनियर मारा गया, वीरेन्द्र शाही मारे गये, सिनेमा का मैनेजर मारा गया और आज दिन में गोली से हत्या करने की घटना हो गयी । आपने कहा कि सदन को गुमराह करने की सूचना की नोटिस किस को दें । तो मान्यवर माननीय संसदीय कार्यमंत्री तो हम लोगों को रोज ही गुमराह कर रहे हैं । आपके सामने तय यह हुआ कि श्री पारसनाथ जी की सुरक्षा बढ़ायी जायेगी और श्रीमती विजमा यादव को सुरक्षा दी जायेगी, तो क्या आज तक यह किया गया है ? मान्यवर लखनऊ की ही तरह हरदोई और बाराबंकी में 7 लोगों का कत्ल हो गया, तो यह जंगल राज हो गया है ।

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल जी की सूचना सही थी, लेकिन उन्हें पूरा विवरण नहीं मालूम था । सदन जब आपने स्थगित किया तो मालूम हुआ है कि यह घटना सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर हुई है और संसदीय कार्य मंत्री जी को ढाई बजे तक लखनऊ में हुई घटना की जानकारी नहीं थी । मान्यवर, आप जब सदन स्थगित करके गये और जब सूचना मंगवाया तो मंत्री जी को मालूम हुआ । इसलिये मैं तो कहता हूं कि इस जनानी सरकार को हम लोग कहां तक ढोएं । यह सरकार संवेदन शील हो गयी है । इसलिये मान्यवर, आज हम लोग असुरक्षित हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात अब आ गयी है, इसलिये आप बैठ जायें । हम इस पर अभी चर्चा नहीं करा रहे हैं इसलिये आप लोग शान्त रहें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह सरकार गूंगी बहरी है । हम आपके सहारे हैं इसलिये आप हमारी सहायता और रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी ?

* श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं कि माननीय सदस्य का जनानी कहने का क्या अर्थ है ?

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, कत्ल होते रहें और सरकार देखती रहे ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

आप भी तो किसी मां की कोख से जन्म लिये होंगे । आपका अस्तित्व भी तो उनकी कोख से आया होगा ।

श्री बाबू राम यादव–

जो होटल में ठहरे हुए लोगों पर गोली चली, कल दारुलशफा में चलेगी और परसों हाउस में चलेगी । तो मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आप इसमें एक घंटे की चर्चा स्वीकार करें । यह बजट तो पास हो जायेगा इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है । हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का व्यक्ति सुरक्षित रहे, जनता सुरक्षित रहे और माननीय सदस्य गण सुरक्षित रहें इसलिये सारे काम रोककर एक घंटे की चर्चा इसमें स्वीकार करें । (व्यवधान के मध्य)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मानयवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।मान्यवर, सदन का संचालन नियमों के अधीन होता है । अभी सदन के बीच में अव्यवस्था हुई थी उस संबंध में माननीय बाबू राम यादव जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिया । वह कोई अव्यवस्था के संबंध में बात कर रहे थे वहां तक तो बात समझ में आती है लेकिन उसको बहाना बनाकर एक नया विषय खड़ा करना यह किस नियम के तहत है ।

श्री राम विशुन आजाद एवं श्री धर्मज्ञ मिश्र का सदन से निष्कासन समाप्त किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष का निर्णय

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दो माननीय सदस्य सर्वश्री धर्मज्ञ मिश्र और राम विशुन आजाद जी को आज की शेष सदन की शेष कार्यवाही से निष्कासित किया था । माननीय श्री धर्मज्ञ मिश्र अपनी व्यक्तिगत व्यथा सुनाना चाहते थे । इसके पहले भी उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करते समय उन्हें 40 दिन तक जेल में बन्द रखा गया । आज उनके लड़के के ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया, उन्हें लाठी से मारा गया । तो वह अपनी व्यथा कहना चाहते थे और उसमें वे उत्तेजित हो गये । इस पर मैं समझता हूं कि ध्यान नहीं देना चाहिये । मान्यवर, उन्हें परेशानी थी । उन्हें आपसे कोई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिकायत नहीं थी । सरकार को कानूनी व्यवस्था और उत्पीड़न से वह त्रस्त थे इसी में वह उत्तेजित हो गये । हम चाहेगे कि उनका निलम्बन समाप्त किया जाय और उनकी बातों को सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की व्यक्तिगत समस्या का सवाल है वह तो मैंने पहले ही इस सदन में सुन लिया था । वे एक घटना के संबंध में कहना चाहते थे जो उनके क्षेत्र में घटी । मैंने उनसे कहा कि आप किन्हीं सुसंगत नियमों के तहत इसे दे दें । मैं प्रयास करूंगा कि आपको अवसर दे दूं । सभी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, थोड़ा आप संयम रखें । जितना अवसर मिलता है, मैंने सुनने का समय दिया है । सदन को विनयिमत हो जाने दीजिये । मैंने उनसे कहा कि सूचना दे दें । सूचना आ जायेगी तो उसका निस्तारण हो जायेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय सदस्य धर्मज्ञ मिश्र जी और आजाद जी को जिस बात को लेकर निष्कासित होना पड़ा, वह उनकी समस्या व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की है ।

श्री अध्यक्ष–

जब उनकी सूचना आ जायेगी तो सुन लेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

कानून व्यवस्था का सवाल है और लखनऊ के अन्दर ऐसी घटना हुई है, सरकार ने गलत वयानी किया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचित कर दें, 6 बजे सदन में आ जायें ।

दिलीप होटल हुसैन गंज लखनऊ में दिन दहाड़े हुए गोली काण्ड के संबंध में दी गयी सूचना पर चर्चा की मांग (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मैंने हर चीज को बता दिया है, तो गलत बयानी क्या हुई, जो आरोप लगाये गये हैं, वह निराधार हैं और मैं उनका घोर प्रतिवाद करता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

संसदीय कार्य मंत्री जी बराबर इस बात को कह रहे हैं कि घटना सत्य से परे है । क्या घटना नहीं हुयी ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा है कि घटना हुयी है ।

श्री धनीराम वर्मा–

ए० के० 47 से हुयी । और इसीलिये कहा गया कि जंगल राज्य है । मुख्य मंत्री कहती हैं कि मा० मुलायम सिंह (गुण्डा) हैं लेकिन क्या यह जानबूझकर नहीं कराया जा रहा है । मान्यवर कानून व्यवस्था पर एक घन्टे की चर्चा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना आ जायेगी तो मैं देख लूंगा ।

श्री समर पाल सिंह–

सत्र चल रहा है । यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं । लखनऊ के अन्दर आने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और मान्यवर, विधान सभा के आस-पास ए० के० 47 से हत्या हो गयी है । हम लोग विधायक निवासों में रहते हैं । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इस घटना को देखते हुए सुरक्षा के और क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जब सूचना आ जायेगी तो देख लूंगा । कल माननीय सदस्य इसकी सूचना दे दें ।

(व्यवधान)

मद संख्या 11 प्रारम्भ हो गई थी । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर अभी आपने माननीय नेता विरोधी दल और माननीय समर पाल सिंह जी को सुना और उनकी बात से स्पष्ट है कि इस विधान सभा में बैठे हुए प्रत्येक सदस्य के मन में आशंका है सुरक्षा के संबंध में । इस सदन के आस-पास इतनी सुरक्षा होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गयी और 10.00 बजे से 5.30 बजे तक सूचना मंगवाने में ही संसदीय कार्य मंत्री लगे रहे । प्रदेश के किसी कोने से भी सूचना इतनी देर में एकत्रित होकर आ सकती है । 300 गज की दूरी पर यह घटना घटित हुई है, और उसमेंसाढ़े पांच घण्टे लग गये और सूचना न मिल सके ऐसा विश्वास नहीं हो सकता ।सदस्यों को आशंका है, उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है ।माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विचार हम जानना चहाते हैं । क्या सचमुच सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है कि नहीं । क्योंकि इसके बगल में ही विधायक निवास लगा हुआ है वहां कोई इस तरह की दूसरी घटना न हो जाय इस पर हम उनके विचार सुनना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

हमें एक मात्र भरोसा आपकी पीठ से है, अगर आप भी संरक्षण नहीं देंगे तो इस तरह के झूठे आश्वासन रोज यहां आते रहेंगे । माननीय सदस्य पारस नाथ और माननीया सदस्य विजपा यादव जी को भी यह आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । (व्यवधान)

मैं नया सदस्य हूं, कोई बहुत पुराना नहीं हूं ।(व्यवधान) जानता हूं । जिन नियमों का मैं उद्धरण दे सकूं । मैं सीखूंगा सदन से बाहर निकलकर आपके पास बैठकर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी पूछूंगा कि किन नियमों में ऐसे मामले उठाने चाहिये । मान्यवर, यह गम्भीर मसला है मैं नियमों को नहीं जानता हूं लेकिन इस गम्भीर घटना में आप संरक्षण दें । और इस सरकार को बाध्य करें कि सदन में बैठे हुए सदस्यों को कम से कम इतनी सन्तुष्टि हो जाय कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

राकेश जी आप को क्या कहना है ?

* श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मैं कह रहा था कि कितनी देर यह इस पर बोलेंगे ? (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दल बहादुर कोरी–

नेता विरोधी दल जब 1993 में वहां विद्यमान थे और इनकी सरकार थी तो 9-9 बच्चों की हत्या कर फेंक दिया गया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

कृपा करके इसे कार्यवाही से निकाल दें। (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

सभी माननीय सदस्यों एवं उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के जानमाल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा ..... (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं पहले से खड़ा हुआ हूं कृपा करके पहले मुझे सुन लें। आप असहाय हो जाते हैं मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस घटना के संबंध में वक्तव्य दे दिया और उन्होंने खड़े होकर कहा कि न केवल माननीय सदस्यों की बल्कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के जानमाल की हिफाजत करने के लिये यह सरकार बचनबद्ध है। इस तरह की बचनबद्धता कई बार वह दोहरा चुके हैं। इस घटना से पूर्व एक सप्ताह पहले अम्बेडकर पार्क से जुड़े हुए एक इन्जीनियर की हत्या कर दी गई। मेफेयर के मैनेजर की हत्या हुई, आलमबाग का तिहरा हत्याकाण्ड हुआ, उसके बाद एक लाटरी वाले की हत्या हुई लेकिन आज तक किसी हत्याकांड को वर्कआउट नहीं किया गया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, बाहर माफिया गोली चला रहे हैं और ये यहां बोली चला रहे हैं। सदन का समय नष्ट किया जा रहा है।

(शोर)

श्री धनीराम वर्मा–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायगा । (शोर)

श्री धनीराम वर्मा–

[× × ×]

(श्री ओम प्रकाश, श्री पारसनाथ यादव, श्री बाबू राम यादव, डा० वकार अहमद शाह, श्री मुन्ना चौहान आदि अनेक सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(शोर के मध्य)

नोट :–[× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 79—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), अनुदान संख्या 80—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण), अनुदान संख्या 81—समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या 87—सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 19—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 46—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 78—सचिवालय प्रशासन विभाग, 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान सं० 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 79—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,14,60,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव रखें । (कुछ समय उपरान्त) कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 79—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,14,60,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 80—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,28,81,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है । इसलिये मैं प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 80—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,28,81,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 81—समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,19,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,19,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,07,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि मैं 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,07,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,34,30,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,34,30,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,42,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,42,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,25,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,25,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,46,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,46,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध

में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,79,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,79,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,58,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं। अतः मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,23,58,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1-8-1997 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री अरिमर्दन सिंह की है जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की है जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री अमित अग्रवाल की है जिसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठवीं सूचना श्री बालचन्द्र मिश्र की है जिसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री हरवंश कपूर की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री सन्त राम सेंगर की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दसवीं सूचना श्री राम प्यारे की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती कृष्णाराज की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

बारहवीं सूचना श्री दीपक कुमार की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

तेरहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इस वक्तव्य की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिये इसे स्थगित किया जाता है ।

जनता इण्टर कालेज, बलहरी, थाना मोतिगरपुर, जनपद सुल्तानपुर के प्रधानाचार्य की हत्या किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जनता इण्टर कालेज, बेलहरी, थाना मोतिगरपुर, सुल्तानपुर में दिनांक 24-7-97 को.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रधानाचार्य श्री मान बहादुर सिंह की हत्या के संबंध में मा० सदस्य श्री तेजभान सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर से समस्त घटना की सूचना तथा विवेचना की अद्यावधिक स्थिति ज्ञात की गई । उपरोक्त के आधार पर तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक 24--7-97 को श्री हरिशंकर सिंह पुत्र बलदेव सिंह, साकिन सकवा थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर प्रवक्ता हिन्दी, जनता इण्टर कालेज, बेलहरी, थाना मोतिगरपुर, सुल्तानपुर द्वारा दी गई सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 211/97 अन्तर्गत धारा 302/307 भा० द० वि० अभियुक्त राज सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह उर्फ शेरई, निवासी ग्राम–बेलहरी, थाना मोतिगरपुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध दिनांक 24-7-97 को पंजीकृत किया गया एवं विवेचना थानाध्यक्ष मोतिगरपुर, श्री श्यामधर भट्ट द्वारा की जा रही है ।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उपरोक्त घटना प्रातः 11.30 बजे की है । सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष, मोतिगरपुर मय समुचित पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुंच गये तथा 12.30 बजे पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर सीमावर्ती थानों के 5 थानाध्यक्षों, 2 क्षेत्राधिकारी, ए० डी० एम०, अपर पुलिस अधीक्षक तथा पी० ए० सी० के साथ घटना स्थल पर तुरन्त पहुंच गये । घटना स्थल से लगभग 25 कि०मी० दूर है ।

घटना में जनता इण्टर कालेज बेलहरी के हिन्दी प्रवक्ता श्री हरिशंकर सिंह पर भी अभियुक्त द्वारा देशी कट्टे से फायर किया गया जिससे उन्हें छर्रे से चोटें आयी हैं । श्री सिंह को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है जहां उनका उपचार हो रहा है, इस समय वे खतरे से बाहर हैं ।

मा० विधायक श्री सूर्यभान सिंह के निवास स्थान बेलहरी कालेज के प्रधानाचार्य के निवास तथा बेलहरी इण्टर कालेज पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है तथा मा० विधायक एवं प्रधानाचार्य के निवास पर 5 सशस्त्र गार्द लगा दी गयी है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

घटना के तत्काल पश्चात् अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्री राज बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री सुरेन्द्र प्रताप राय, क्षेत्राधिकारी (नगर) श्री पारस नाथ द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी, कादीपुर के पर्यवेक्षण में दिनांक 24-7-97 से 28-7-97 के मध्य विभिन्न टीमें गठित करके दबिशें दी गयी हैं। अभियुक्त के गिरफ्तार न हो पाने की दशा में न्यायालय सी० जे० एम० सुल्तानपुर से दिनांक 25-7-97 को गिरफ्तारी का अधिपत्र प्राप्त करके धारा 82-83 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। विवेचना के दौरान अभियुक्तों की जहां-जहां मिलने की सम्भावना प्राप्त हुई है पुलिस द्वारा लगातार प्रयास करके अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विवेचना के मध्य यह स्पष्ट हुआ है कि यह घटना जनता इण्टर कालेज़ बेलहरी के प्रबन्ध समिति को लेकर दो गुटों के बीच उत्पन्न हुए विवाद के कारण घटित हुई। इनमें से एक गुट अभियुक्त राज सिंह का तथा दूसरा गुट श्री उदय भान सिंह पुत्र हरिहर सिंह का है। श्री उदय भान सिंह मा० विधायक श्री सूर्यभान के सगे भाई हैं।

इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1954 में अभियुक्त श्री राज सिंह के दादा श्री अछैबर सिंह ने की थी। प्रबन्ध समिति का विवाद वर्ष 1982 में श्री उदयभान सिंह के द्वारा अपने पिता श्री हरिहर सिंह को प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष घोषित कर देने से उत्पन्न हुआ। यह विवाद वर्तमान में उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में दायर रिट याचिका के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री उदय भान सिंह की प्रबन्ध समिति ने वर्ष 1990 में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम वरन सिंह की मत्यु पर विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमान् बहादुर सिंह को प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। वह अभियुक्त राज सिंह के विपक्ष की प्रबन्ध समिति थी। वर्तमान में विद्यालय ने मां० न्यायालय के निर्देशानुसार कोई भी प्रबन्ध समिति कार्यरत नहीं है तथा विद्यालय के खातों का संचालन प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर के संयुक्त हस्ताक्षरों से हो रहा है।

विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि क्योंकि प्रधानाचार्य श्री मान् बहादुर सिंह विपक्ष की प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त थे तथा माह मई, 1997 में श्री सिंह ने 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की थी। इन अभियुक्तों में प्रधानाचार्य द्वारा अभियुक्त श्री राज सिंह द्वारा संस्तुत व्यक्तियों की नियुक्तियां नहीं की गयी जिससे अभियुक्त को प्रधानाचार्य द्वारा उपेक्षित किये जाने का आभास हुआ साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के साइकिल स्टैण्ड का ठेका भी अभियुक्त के पक्ष में लोगों को नहीं दिया गया इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने प्रधानाचार्य से दो छात्रों के प्रवेश के लिये भी कहा था किन्तु प्रधानाचार्य उनके प्रवेश भी विद्यालय में नहीं लिया गया। इस घटना से क्षुब्ध हो करके अभियुक्त राज सिंह द्वारा प्रधानाचार्य श्री मान् बहादुर सिंह के साथ उपरोक्त जघन्य वारदात की गयी।

जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से वार्तालाप की गयी तथा उन्हें इस घटना के संबंध में समुचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है। बेलहरी इण्टर कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, परन्तु जनपद की अन्य शिक्षण संस्थाएं सामान्य रूप से खुलती जा रही हैं। स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में तथा सामान्य है।।

जनपद फिरोजाबाद में फतेहाबाद—आगरा मार्ग पर यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनाये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद आगरा में फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग के कि०मी० 11 में यमुना....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[नदी पर पैन्टून पुल स्वीकृत है, जो प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर से 15 जून तक की अवधि के लिये बनाया जाता है । वर्षा ऋतु में 15 जून से 15 अक्टूबर के मध्य नदी पर यातायात नावों/पावर वार्ज द्वारा संचालित होता है । केवल असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर यातयात कभी बन्द नहीं किया जाता, अतएव यात्रियों/कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को अपने कार्य हेतु नदी पार करने में असुविधा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

2–दिनांक 29 जून, 1996 को बाढ़ के कारण पैन्टून पुल टूटने की घटना सत्य नहीं है बल्कि नार्दन इण्डिया फेरीज ऐक्ट 1878 के प्राविधानों के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 25-6-96 को पैन्टूनों की सुरक्षा की दृष्टि से बांधते समय नाव पलट गयी थी, जिससे कुछ कर्मचारी यमुना नदी में गिर गये थे । इस घटना में श्री दीताराम, मेट की डूबने से मृत्यु हो गयी थी तथा अन्य लोगों को बचा लिया गया था ।

3–शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनाने के लिये लगभग 400 मीटर स्पान का पुल व 2 कि०मी० पहुंच मार्ग बनाना होगा, इसकी कुल अनुमानित लागत रु० 11.00 करोड़ आयेगी । यह सेतु एक वृहद सेतु है ।

उपर्युक्त तथ्यों तथा विभाग के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सेतु के निर्माण की अपरिहार्यता वर्तमान में नहीं है और आवश्यकता के सापेक्ष इसका निर्माण विभाग के सीमित संसाधनों पर निर्भर है ।]

जनपद मेरठ में उ० प्र०–हरियाणा सीमा विवाद को लेकर किसानों के मध्य हुए खूनी संघर्ष से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

ग्राम मवीकला साकरौंद व नगौल बहरोरपुर की कृषि भूमि जमुना नदी के दूसरी ओर.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[हरियाणा प्रदेश के गांव खुरमपुर व बहराबंकी की कृषि भूमि से मिली हुई है । इस भूमि के विषय में मवीकलां एवं ग्राम साकरौंद के किसान अपना बताते हैं, जबकि हरियाणा के गांव खुरमपुर व बहराबंकी के किसान अपना बताते हैं । प्रश्नगत भूमि के संबंध में हरियाणा राज्य के इन दोनों गांवों के कुछ लोगों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से इस संबंध में स्थगनादेश भी प्राप्त किया है । वर्तमान में भूमि पर हरियाणा राज्य के गांवों का कब्जा है ।

मवीकलां व साकरौंद के किसान मेरठ के प्रशासन पर लगातार इस भूमि पर कब्जा दिलाने के लिये दबाव डालते रहे । यह विवाद विगत 30 वर्षों से चला आ रहा है । इस विवाद को हल करने के लिये मेरठ एवं सोनीपत के राजस्व अधिकारियों की कई बार बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं । प्रश्नगत विवादित भूमि को लगातार हरियाणा के ही किसान जोतते-बोते आये हैं ।

दिनांक 22-7-97 को परगना मजिस्ट्रेट, बागपत, श्री आलोक शेखर तिवारी तथा श्री एफ० सी० आजाद, पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, बागपत इस भूमि पर मेरठ के किसानों को कब्जा दिलाने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ से मिले और अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इन दोनों अधिकारियों से यह कहा कि इस समय कांवड़ियों का मेला चल रहा है, अतः फिलहाल इस कार्य को स्थगित रखा जाय । मेला समाप्ति के बाद दोनों जनपदों के अधिकारियों एवं किसानों द्वारा समझौता किया जायेगा । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिया कि कब्जा दिलाने की कार्यवाही हर हालत में फिलहाल स्थगित रखी जाय ।

नोट :– 1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्पष्ट आदेशों के बावजूद परगना मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दिनांक 23-7-97 को लगभग 13-14 ट्रैक्टरों में किसानों को लेकर विवादित भूमि में कब्जा दिलाने हेतु जमुना के दूसरी ओर हरियाणा राज्य के क्षेत्र में चले गये । यह अधिकारी अपने साथ कांवड़ियों की व्यवस्था हेतु दी गयी एक प्लाटून पी० ए० सी०, थानाध्यक्ष खेकड़ा एवं थाना खेकड़ा के 3-4 कान्सटेबुल व एक उप निरीक्षक तथा एक उप निरीक्षक व 3-4 कान्सटेबिल थाना बागपत से ले गये ।

विवादित स्थल पर जाकर इन अधिकारियों ने कब्जे के लिये प्रयास किया तथा हरियाणा के गांव खुर्रमपुर व बहराबंकी के किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया । जिलाधिकारी ने यह अवगत कराया कि परगना मजिस्ट्रेट द्वारा खुर्रमपुर के प्रधान को बेइज्जत करके यह कहते हुए भगा दिया कि इस विवाद को आज हर दशा में निपटाकर ही दम लिया जायेगा । इस पर उक्त प्रधान ने गांव बहराबंकी, खुर्रमपुर तथा आस-पास के गांव में यह बात बतायी । जहां से भारी संख्या में गांव वालों द्वारा परगना मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी के साथ किसानों द्वारा लगाये गये टेन्ट को गिरा दिया गया तथा ट्रैक्टरों को पलट दिया गया । लगभग 11.30 बेजे से दोनों जनपदों के किसानों में भीषण संघर्ष होता रहा, फलस्वरूप दोनों तरफ से किसान लाठी, डंडों, फरसों आदि की चोटों से घायल हुए । घायल हुए किसानों द्वारा कट्टे से फायर भी किया गया इस घटना में ओमपाल पुत्र धर्मवीर चौधरी निवासी ग्राम बहराबंकी जनपद सोनीपत की गोली लगने से मृत्यु हो गयी एवं 2-3 अन्य व्यक्ति छर्रे लगने से घायल हो गये ।

विवादित स्थल पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष खेकड़ा ने बागपत थाने के माध्यम से जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना देने का प्रयास किया, किन्तु थानाध्यक्ष के अनुसार परगना मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी, बागपत ने उनसे यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया कि जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको यह कहकर कि शिवरात्रि तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिये थे, इसलिये उच्चाधिकारियों को बताना उचित नहीं है । सायंकाल लगभग 1.00 बजे इन अधिकारियों ने अपने आप को घिरा पाकर यह महसूस किया कि अब वे नहीं निकल पायेंगे, तब उन्होंने मेरठ मुख्यालय को सूचना भेजकर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सोनीपत से सम्पर्क स्थापित करके सोनीपत की पुलिस द्वारा इन अधिकारियों को वहां से राई थाने पर लाया गया ।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर अन्तर्राज्यीय विवाद है और यह विवाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । परगना मजिस्ट्रेट, बागपत एवं क्षेत्राधिकारी, बागपत द्वारा इस अन्तर्राज्यीय विवाद के संबंध में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को विश्वास में लिये बिना और स्वविवेक के आधार पर अपर्याप्त बल लेकर कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही किये जाने के कारण यह घटना घटी थी । अतः दोनों अधिकारियों की दायित्वहीनता एवं लापरवाही के कारण इन अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है ।

यह कहना सही नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों अथवा पुलिस द्वारा मेरठ क्षेत्र में आकर किसानों पर कातिलाना हमला किया गया । मेरठ जनपद का कोई भी किसान इस घटना में नहीं मारा गया हरियाणा राज्य के एक किसान की मृत्यु अवश्य हुई । जनपद मेरठ के जो 14 किसान घायल हुए थे, उनको समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और तीन व्यक्ति अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। 11 किसानों को पंजीकृत कराये गये मुकदमों में वांछित होने के कारण हरियाणा पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर जेल भेजा है । 4 ट्रैक्टर केस प्रापर्टी के कारण थाना राई में खड़े हैं, जिनको न्यायालय के आदेश से ही प्राप्त किया जा सकेगा । घटना वाले दिन 2 व्यक्तियों श्री सतपाल सिंह पुत्र हरफूल

सिंह एवं श्री मनवीर सिंह पुत्र मलूप सिंह निवासी ग्राम साकरौंद, थाना खेकड़ा, मेरठ के अपहरण की सूचना दी गयी थी, तदनुसार अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच करने पर यह पता चला कि यह दोनों व्यक्ति अपहृत नहीं किये गये थे बल्कि अपनी रिश्तेदारी में कहीं चले गये थे और ये दोनों व्यक्ति अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि कोई किसान अपहृत किया गया है।

प्रश्नगत घटना की मजिस्टीरियल जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जनपद मेरठ द्वारा की जा रही है।]

जनपद मैनपुरी में पूर्ण साक्षरता योजनान्तर्गत फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर लाखों रुपयों का घोटाला किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की पहली परियोजना 1991 में लागू.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[की गयी थी। वर्तमान में मार्च, 1997 तक प्रदेश के 68 जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की स्वीकृति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रदान की गयी है।

2–साक्षरता अभियान का लक्ष्य जहां एक ओर 15–35 आयु वर्ग को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम अवधारणा तथा सार्वभौम न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिये प्रेरणा देना भी है।

3–कार्यात्मक साक्षरता का अर्थ है पढ़ने-लिखने और अज्ञान में आत्मनिर्भरता, अपने पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी पाना और संगठित प्रयत्नों से तथा विकास कार्यक्रमों में सहभागी बनकर इन कारणों से उबरने की कोशिश करना। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये हुनर सीखना। राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की सुरक्षा, महिला समानता और छोटे परिवार के आदर्श का पालन जैसे–राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों की जानकारी पाना।

इस तरह साक्षरता का सम्बन्ध केवल अंक ज्ञान से नहीं वरन् यह आजीवन शिक्षा, जीवन में गुणात्मक सुधार और शिक्षोन्मुख समाज से है।

4–जनपद में साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन के लिये जनपद में जिला अधिकारी के सभापतित्व में गठित तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत "जिला साक्षरता समिति" गठित है।

5–साक्षरता अभियान मूलतः स्वयं सेवा आधारित अभियान है, किन्तु साक्षरता के पक्ष में वातावरण बनाने, साक्षरता की मांग पैदा करने वाली गतिविधियों के आयोजन करने, सर्वेक्षण करने, निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ने-लिखने की सामग्री उपलब्ध कराने, साक्षरता शिक्षण का कार्य करने वाले स्वयं सेवक शिक्षकों तथा उनके प्रशिक्षकों को तैयार करने, कार्यक्रम के अनुश्रवण मूल्यांकन और प्रबन्धन पर न्यूनतम सम्भावित लागत के आधार पर लागत की व्यवस्था की जाती है।

6–जनपद मैनपुरी में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की कार्य योजना मार्च, 1995 में 10-35 वय वर्ग के 2.40 लाख निरक्षरों हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा स्वीकृत की गयी है। जनपद को अभियान संचालित करने हेतु भारत सरकार द्वारा रु० 79.00 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु० 52.73 लाख की धनराशि कुल रु० 131.73 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7–जनपद में सर्वेक्षण के आधार पर 10–40 वय वर्ग के 1.75 लाख निरक्षरों की पहचान की गयी है, जिसके सापेक्ष 1.57 लाख निरक्षरों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें 1.05 लाख महिलायें तथा 0.25 लाख अनुसूचित जाति के प्रतिभागी हैं । जनपद में अभियान के अन्तर्गत 1.47 लाख प्रतिभागियों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय प्रवेशिका पूर्व की जा चुकी है तथा 0.39 लाख प्रतिभागियों द्वारा तृतीय प्रवेशिका पूर्ण की जा चुकी है । जनपद में पठन-पाठन का कार्य जनवरी, 1996 में प्रारम्भ किया गया ।

8–अभियान के अन्तर्गत पुस्तकों का क्रय राज्य संदर्भ केन्द्र साक्षरता निकेतन, लखनऊ से तथा अन्य पठन-पाठन सामग्री का क्रय जिला साक्षरता समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाता है ।

9–जनपद द्वारा माह जून, 1997 तक साक्षरता अभियान के विभिन्न चरणों यथा वातावरण सृजन, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, पठन-पाठन सामग्रियों का क्रय, अनुश्रवण तथा प्रशासनिक आदि मदों पर रु० 90.28 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

10–साक्षरता अभियान मूलतः स्वयं सेवी अभियान है । इसके कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा निदेशालय के परियोजना स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर तथा ग्राम पंचायतों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से समय-समय पर समितियों के कार्य का निरीक्षण किया जाता है इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं । समितियों के लेखों का आडिट भी किया जाता है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में साक्षरता अभियान को सफल बनाने हेतु शासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गयी है । इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । कल दिनांक 2-8-97 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर शनिवार, 2-8-1997 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
दिनांक 1-8-1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अना० प्र० सं० 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

सूची

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के 2सरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर का संलग्नक।

क्र०सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित धनराशि (लाख रु० में)	3/97 तक का व्यय (कि०मी० में)	प्रस्तावित पाइप लाइन	बिछाई गई पाइप लाइन (कि०मी० में)
1	2	3	4	5	6
1	हीततोक पेयजल योजना	3.40	3.40	1.67	1.67
2	मछोड बाजार	8.50 (पुनरीक्षित)	8.46	4.00	4.00
3	चामड तोक	5.50	2.68	4.10	3.25
4	गोविन्द पाडली	8.00 (पुनरीक्षित)	7.55	3.02	3.82
5	बरेड़ी बसन्तल	20.88	18.26	13.00	13.00
6	भ्याड़ो पेयजल योजना	6.30	5.20	3.96	3.96
7	चाचगधेरा पेयजल योजना	55.91	40.50	26/51	26.51
8	आमगधेरा	3.30	3.26	2.20	2.20
9	सीकाढैया	5.00	1.26	3.60	–
10	मल्ला गुरना	8.00 (पुनरीक्षित)	7.36	4.59	4.50
11	मगरोखाल	78.86	60.82	16.24	16.44
12	तल्ला खल्दुआ	2.50	2.13	2.63	2.63
13	नैथाना देवी भाग–1 पेज–2	207.50	177.51	110.00	98.00
14	मटेला तल्ला	6.05	6.06	2.00	2.00
15	पन्त गांव	14.00 (पुनरीक्षित)	13.89	5.15	5.00
16	अमरोलीधार	5.00	3.89	1.20	1.20
17	भण्टी तकुल्टी	47.80	6.34	23.60	1.00
18	बिनौली अम्बेडकर	4.35	3.54	1.40	1.00
19	खरिया	19.75	19.40	13.21	13.21

पी०एस०यू०पी०–एल० 292 विधान सभा (660)–1997–813 (डी० टी० पी०)।